सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2023-2024

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2023-2024

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

भारत सरकार

एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव

नई दिल्ली-110029

संक्षिप्तियां

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.डी.आर.आई.	आपदा समुत्थानशील अवसंरचना गठबंधन
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.डब्ल्यू.	पूर्व-चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई.(फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार समिति
आई.एम.डी.	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.एफ.आर.	प्राथमिक चिकित्सा मोचक
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर-सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबल
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
एस.ए.आर.	खोज एवं बचाव
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन बल
यू.टी.	केंद्र शासित प्रदेश

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
	संक्षिप्तियां	iii
अध्याय - I	प्रस्तावना	1
अध्याय - II	कार्यकलाप एवं लक्ष्य	5
अध्याय - III	नीति, योजनाएं और दिशा-निर्देश	7
अध्याय - IV	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	21
अध्याय - V	क्षमता-विकास	43
अध्याय - VI	कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन	57
अध्याय - VII	प्रशासन एवं वित्त	87
	अनुबंध - I	90
	अनुबंध - II	92

अध्याय-1

प्रस्तावना

अतिसंवेदनशीलता विवरण

1.1 भारत, अपनी अनोखी भू-जलवायु एवं सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और वनाग्नि जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यू.टी.) में से 27 आपदा संभावित हैं, 58.6% भू-भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकम्प संभावित क्षेत्र है: इसकी भूमि का 12% बाढ़ संभावित और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. भू-भाग चक्रवात और सुनामी संभावित क्षेत्र है; इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असुरक्षित है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम बना रहता है, इसका 15% भू-भाग भूस्खलन संभावित है। कुल 5,161 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शहरी बाढ़ संभावित हैं। आगजनी की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और अन्य मानव-जनित आपदाएँ जिनमें रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी सामग्रियों से संबंधित आपदाएं शामिल हैं, वे अतिरिक्त खतरे हैं जिनमें आपदाओं के प्रशमन, उनका सामना करने की तैयारी और उनके लिए मोचन संबंधी उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है।

1.2 जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू-गर्भीय संकट, महामारियों और संक्रामक रोगों के कारण बढ़ती हुई संवेदनशीलता की वजह से भारत में आपदा-जोखिम में और भी अधिक वृद्धि हुई है। स्पष्टतः, इन सब बातों से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां ये आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 किसी भी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों के निष्पादन की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओं के मामले में संभार-तंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके, राज्य सरकार के प्रयासों में उनकी मदद करती है। संभार-तंत्र सहायता में एयरक्राफ्ट, नौकाओं, सशस्त्र बलों की विशेष टीमों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओं की व्यवस्थाएं जैसे- मेडिकल स्टोर, महत्त्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं की पुनर्बहाली जैसे- संचार नेटवर्क, और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यथा-अपेक्षित, अन्य कोई, सहायता सम्मिलित है।

1.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के राहत-केंद्रित दृष्टिकोण वाले तरीके में बदलाव लाकर अब समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन पद्धति को अपनाया है जिसमें आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं (रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, मोचन, राहत, पुनर्वास और पुनर्बहाली) को

शामिल किया गया है। यह पद्धति इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि जब तक कि विकास प्रक्रिया के अंदर ही आपदा प्रशमन को शामिल न किया जाए तब तक विकास में निरंतरता नहीं रह सकती।

1.5 आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हुए, भारत सरकार ने अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया। तथापि, हिंद महासागर में वर्ष 2004 में हुई सुनामी के बाद भारत सरकार ने, भारत में आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित दृष्टिकोण बनाने और उसे कार्यान्वित करने हेतु संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना करके, देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया।

1.6 भारत सरकार ने आपदाओं और उनसे जुड़े मामलों अथवा उनके कारण हुई दुर्घटनाओं के कारगर प्रबंधन की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बनाया है। इसमें आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाने तथा उनका अनुपालन करने के लिए संस्थागत उपाय बनाए गए हैं व किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में त्वरित मोचन सुनिश्चित किया गया है|

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संरचना

1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात्, 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बनाया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संरचना

1.8 भारत के प्रधानमंत्री एन.डी.एम.ए. के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्तमान सदस्य और प्राधिकरण में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि निम्नानुसार हैं :

1.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से) एवं विभागाध्यक्ष (01.10.2021 से 19.05.2024 तक)
2.	लेफ्टिनेन्ट जनरल सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बीएआर (सेवानिवृत्त)	सदस्य (21.02.2020 से)
3.	श्री राजेंद्र सिंह	सदस्य (02.02.2020 से)
4.	श्री कृष्ण स्वरुप वत्स	सदस्य (04.05.2020 से)

1.9 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य बातों के साथ-साथ, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) उपायों का एकीकरण करने अथवा ऐसा करने के उद्देश्य हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। राज्यों द्वारा उनसे संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और आपदाओं को रोकने के उपायों अथवा इसका प्रभाव कम करने के साथ-साथ, किसी आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण, जैसा राज्य जरूरी समझे, करने हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी एन.डी.एम.ए. तैयार करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संगठनात्मक संरचना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय का नेतृत्व एक सचिव करते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। संगठन में दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता है। अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी संगठन को काम में सहायता करते हैं। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की अनुबंध आधार पर विशेषज्ञता उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिवालय के संगठन की विस्तृत परिचर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है। अधिकारियों की सूची अनुबंध-II में दी गई है।

अध्याय-2

कार्यकलाप एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का है। इसके सांविधिक कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है:

(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियां निर्धारित करना;

(ख) राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करना;

(ग) राज्य की योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ड़) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशियों (फंड्स) की व्यवस्था की सिफारिश करना;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जो केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

(ज) आपदा की रोकथाम के लिए, अथवा प्रशमन आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन हेतु अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) पर सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री का आपातकालीन प्रबंधन करने के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना;

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम मानकों की राहत के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव-जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का निकटता से तालमेल होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (जवाबी

कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, सीरीयल बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, रासायनिक जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार प्रणाली, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, वनाग्नि, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा पहले की तरह ही निपटाया जाता रहेगा।

2.3 तथापि, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) आपातस्थितियों के बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश तैयार करेगा तथा प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को आसान बनाएगा। प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, मनो-सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि जैसे विविध विषयों पर भी संबंधित हितधारकों की भागीदारी के साथ एन.डी.एम.ए. अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध वे संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दूरदृष्टि (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति से प्रवाहित दूरदृष्टि (विजन) निम्न प्रकार से है:

"रोकथाम, प्रशमन, तैयारी एवं मोचन प्रेरित संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना।"

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

(क) ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी और समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ग) विकासात्मक योजना प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन सरोकारों को मुख्य स्थान प्रदान करना।

(घ) सक्षमकारी नियामक वातावरण और अनुपालनकारी व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय-विधिक ढांचों को स्थापित करना।

(ड़) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी (मॉनिटरिंग) करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से अनुक्रियाशील और बाधा-रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(छ) समाज के संवेदनशील वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल कुशल मोचन और राहत के कार्य सुनिश्चित करना।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा का सामना करने में सक्षम इमारतें बनाने के लिए, एक अवसर के रूप में मानते हुए, पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

अध्याय-3

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) 2009

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित किया गया था और 18 जनवरी, 2010 को इसका लोकार्पण किया गया। इसमें पूर्ववर्ती 'मोचन-केंद्रित' तरीके के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाकर किए गए आमूल-चूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

3.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी। नवंबर, 2019 में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसे संशोधित किया गया था। संशोधित योजना में नए खतरे [आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली, चंडवात, धूल की आंधी और तेज हवा/बादल फटना और ओला-वृष्टि/हिमनदीय झील प्रस्फोट जनित बाढ़ (जीएलओएफ)/लू/जैविक और जन स्वास्थ्य आपातस्थितियां (बीपीएचई/वनाग्नि)], नए अध्याय (2015 के बाद वैश्विक ढांचा/सामाजिक समावेश/डीआरआर को मुख्यधारा में लाने हेतु डीआरआर के लिए सुसंगतता और पारस्परिक सुदृढ़ीकरण) तथा ज्ञात डीआरआर जलवायु जोखिम के लिए नए विषयगत क्षेत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन भी शामिल है। इस एनडीएमपी में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए समयबद्ध कार्रवाई दर्शायी हई है, ताकि, डीआरआर के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की समयसीमा के साथ तालमेल हो सके। योजना को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया गया है, ताकि वे सेंडाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनडीएमपी 2019 की समयसीमा के अनुरूप अपनी योजनाओं और रणनीतियों को विकसित कर सकें।

3.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

उद्देश्यों को योजनाओं में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं (प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) के सहयोग से अनेक पहल शक्तियों को शामिल करते हुए एक मिशन-आधारित दृष्टिकोण (मिशन-मोड अप्रोच) को अपनाया है। नीति के रूप में, सभी अन्य हितधारकों के अलावा केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों को दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। विनिर्दिष्ट आपदाओं सुविधा विशिष्ट और अत्याधुनिक मुद्दों पर आधारित ये दिशानिर्देश योजनाओं की तैयारी के लिए आधार प्रदान करेंगे। विषय की जटिलता के आधार पर, दिशानिर्देशों को बनाने में न्यूनतम 12 से 18 महीनों का समय लगता है। इस दृष्टिकोण में हितधारकों के साथ एक **'नौ-चरण'** वाली सहभागितापूर्ण तथा परामर्शी प्रक्रिया शामिल है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

दिशानिर्देशों की तैयारी प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:–

- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/कार्रवाईयों की, आपदा-वार, किए गए अध्ययनों की एक त्वरित समीक्षा।

- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों से संबंधित शेष कार्यसूची की पहचान।
- सुगम निगरानी को आसान बनाने के लिए गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, मील के पत्थरों को दर्शाते हुए।
- लक्ष्यों और उद्देश्यों के संबंध में अनिवार्य, आवश्यक एवं वांछनीय के रूप में यथा वरीय गन्तव्यों को अल्पावधि और दीर्घावधि में भी प्राप्त किया जाना है।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात्-क्या किया जाना है? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा? और कब तक किया जाना है?-के उत्तर दिए जाने थे।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना जो इस रोड मैप के प्रचलन की निगरानी करेगा।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

नौ कदम

1

1- चिह्नित कमियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा ढांचे को मजबूती प्रदान करना
2- तौर-तरीके निर्धारित करना
3- भागीदारों और हितधारकों की पहचान करना
   - प्रमुख मंत्रालय
   - विभाग
   - राज्य
   - सशस्त्र बल
   - वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाएं और शिक्षण समुदाय
   - गैर-सरकारी संगठन
   - कार्पोरेट क्षेत्र
   - पेशेवर निकाय
   - मीडिया

2

1. आवश्यक ताओं की पहचान करना और उद्देश्य निश्चित करना
2. मील पत्थर सहित रोड़ मैप बनाना
3. भागीदारों तथा हितधारकों (परिवर्धित समूह) के साथ परामर्श करना
4. प्रमुख/संचालन समूह गठित करना

3

प्रमुख समूह के विचार-विमर्श हेतु कार्य
1- आवश्यकताओं और उद्देश्यों का विश्लेषण करना
2- निम्नलिखित को मान्यता देते हुए संभावित विकल्पों का विकास करना, और परीक्षण करना
   - प्रचालनात्मक
   - प्रशासनिक
   - वित्तीय और
   - कानूनी पक्ष
3- प्रारंभिक मसौदा तैयार करना

4

विस्तृत परीक्षण और विकल्पों का ठोस निर्धारण (परिवर्धित समूह के साथ परिचर्चा)

5

विस्तृत परीक्षण एवं विकल्पों को फिल्मअप करना (विस्तीर्ण समूह के साथ विचार विमर्श)

6

राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारों और हितधारकों से परामर्श

7

1- अंतिम मसौदा (दिशानिर्देश) तैयार करना
2- टिप्पणी तथा सुझाव के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को भेजना

8

पुनःसमीक्षा करना तथा दिशानिर्देश को अंतिम रूप देना

9

पूर्णतया तैयार (फाइनल) दिशानिर्देश जारी करना

सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्यों द्वारा योजनाओं की तैयारी

चित्र 3.1

3.4 जारी किए गए दिशानिर्देश, रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज:

क. जारी किए गए दिशानिर्देश:

एनडीएमए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की सूची		
क्र. सं.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश	उनको तैयार करने/जारी करने का महीना तथा वर्ष
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल, 2007
2.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक) प्रबंधन	अप्रैल, 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना	जुलाई, 2007
4.	चिकित्सा तैयारी एवं सामूहिक हताहतों का प्रबंधन	अक्तूबर, 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी, 2008
6.	चक्रवात प्रबंधन	अप्रैल, 2008
7.	जैव आपदा प्रबंधन	जुलाई, 2008
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थिति प्रबंधन	फरवरी, 2009
9.	भूस्खलन एवं हिमस्खलन प्रबंधन	जून, 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबंधन	जून, 2009
11.	आपदाओं में मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर, 2009
12.	घटना मोचन प्रणाली	जुलाई, 2010
13.	सुनामी प्रबंधन	अगस्त, 2010
14.	आपदाओं के कारण मारे जाने वाले मृतकों के शवों का प्रबंधन	अगस्त, 2010
15.	शहरी बाढ़ प्रबंधन	सितंबर, 2010
16.	सूखा प्रबंधन	सितंबर, 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली	फरवरी, 2012
18.	अग्नि शमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण	अप्रैल, 2012
19.	कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)	जून, 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी, 2016
21.	अस्पताल सुरक्षा	फरवरी, 2016
22.	राहत के न्यूनतम मानक	फरवरी, 2016
23.	संग्रहालय	मई, 2017
24.	सांस्कृतिक विरासत स्थलों तथा आस-पास का परिसर	सितंबर, 2017
25.	नौका सुरक्षा	सितंबर, 2017
26.	कार्य योजना की तैयारी-आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली/हवा के थपेड़ों/धूल/ओलावृष्टि और तीव्र हवा की रोकथाम और प्रबंधन	मार्च, 2019
27.	आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थाई आश्रय	सितंबर, 2019

28.	दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण	सितंबर, 2019
29.	भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति	सितंबर, 2019
30.	कार्य योजना की तैयारी-लू की रोकथाम तथा प्रबंधन (संशोधित दिशानि-र्देश)	अक्तूबर, 2019
31.	हिमनदीय झील प्रस्फोट जनित बाढ़ का प्रबंधन (जीएलओएफ)	अक्तूबर, 2020
32.	भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 से भवनों की भूकंप से सुरक्षा के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश	मई, 2021
33.	कार्य योजना की तैयारी के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश-शीत लहर और पाला की रोकथाम और प्रबंधन	जून, 2021

ख. जारी की गई रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज:

क्र. सं.	विवरण
1.	नागरिक सुरक्षा संगठन का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और संरक्षा संबंधी उपायों का सुदृढ़ीकरण
4.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों संबंधी संकट
5.	आपदा मोचन हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
6.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिका: भाग-I एवं-II
7.	भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों पर भीड़ का प्रबंधन
8.	भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों/स्थानों के लिए प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु संक्षिप्त रूपरेखा
9.	आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/कानूनों/विनियमों/अधिसूचनाओं का सार-संग्रह
10.	जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.) की मॉडल रूपरेखा तथा डी.डी.एम.पी. को तैयार करने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां
11.	चक्रवात हुदहुद-भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में बेहतर तैयारी तथा जोखिम समुत्थानशीलता को और सुदृढ़ करने के लिए रणनीतियां तथा सबक
12.	प्रशिक्षण मैनुअल : आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास का संचालन कैसे करें
13.	भवनों तथा अवसंरचना के आपदा समुत्थानशील निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश
14.	भारत में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता हेतु क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना
15.	जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं "शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों हेतु क्षमता निर्माण
16.	"शहरी बाढ़ के प्रशमन हेतु कार्य योजना
17.	गुजरात की बाढ़ 2017-प्रकरण अध्ययन
18.	खतरा जोखिम निर्माण पर राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर नियम
19.	तमिलनाडु बाढ़ : सीखे गए सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक रिपोर्ट
20.	गाजा चक्रवात पर अध्ययन रिपोर्ट-2018

21.	चक्रवात और भूकंप सुरक्षा के लिए गृह स्वामी की मार्गदर्शिका
22.	भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक रिपोर्ट
23.	भारत में अग्नि सुरक्षा (एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस की कार्यवाही)
24.	भारत में लू की चेतावनी के लिए तापमान सीमा का अनुमान लगाने के लिए प्रारंभिक अध्ययन
25.	विभिन्न आपदाओं पर 'क्या करें' और 'क्या न करें' की पॉकेट बुक
26.	कोविड-19 पर 'क्या करें' और 'क्या न करें' तथा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) पर एक डिजिटल किताब
27.	लू-2020 की तैयारी और प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट
28.	वन अग्नि प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों पर प्रकाश डालने वाली रिपोर्ट
29.	आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता स्वीकार करने पर एसओपी
30.	दिव्यांगत समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआईडीआरआर) पर विवरण

3.5 एनडीएमए द्वारा आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम:

ए. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिवों (आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी) के लिए "आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशील" पर अभिविन्यास कार्यक्रम। (स्थल: एलबीएसएनएए, मसूरी, 15-16 मई, 2023)

भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए आपदा प्रबंधन की अवधारणाओं और उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझना महत्वपूर्ण है। एनडीएमए समय-समय पर विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ इस एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहा है। डीआरआर से संबंधित मुद्दों पर उचित ध्यान देने के लिए, सभी मंत्रालयों और विभागों ने मंत्रीमंडल सचिव के निदेशानुसार आपदा प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित किया है, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 37 (1) (ए) के अनुसार, भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना अनिवार्य है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए एनडीएमए एक अनुमोदन प्राधिकरण है। एनडीएमए मंत्रालयों/विभागों को उनकी आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी करने में सहायता कर रहा है और इस प्रक्रिया में मंत्रालयों/विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए एनडीएमए ने एक टेम्पलेट भी विकसित किया है, साथ ही 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू)' का एक सेट भी तैयार किया है। कुछ मंत्रालयों/विभागों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर ली है, कुछ प्रक्रिया में हैं और कुछ को अभी इसे तैयार करना है।

इस संदर्भ में, एनडीएमए ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए नोडल अधिकारियों के साथ 10-11 अक्टूबर, 2019 और 2 मार्च, 2022 को दो कार्यशालाएं भी आयोजित कीं। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए तीसरी कार्यशाला एलबीएसएनएए के सहयोग से 15-16 मई, 2023 को एलबीएसएनएए, मसूरी में आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम), आयोजित की गई थी। इस अभिविन्यास कार्यक्रम में, नोडल अधिकारियों को देश में आपदा प्रबंधन की अवधारणा और अभ्यासों से परिचित कराया गया और साथ ही इन दो दिनों के दौरान कुछ व्यावहारिक अभ्यास के माध्यम से उनकी आपदा प्रबंधन योजनाओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 34 प्रतिभागी उपस्थित थे। नोडल अधिकारियों ने उनके मंत्रालय/विभाग में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में अपनी चिंताओं को भी साझा किया।

बी. एनडीएमए भवन में 7 जुलाई, 2023 को XVवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार एनडीएमएफ के तहत 'सूखा प्रशमन के लिए प्रस्ताव' तैयार करने हेतु टेम्पलेट के लिए एनडीएमए में अभिविन्यास कार्यशाला।

1. पंद्रहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से बारह सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) को 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए (कुल मिलाकर 1200 करोड़ रुपये) प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये आवंटित करने की सिफारिश की है ताकि लगातार सूखे से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए जिला स्तरीय सूखा न्यूनीकरण योजनाएं विकसित की जा सकें। इन राज्यों को एनडीएमएफ के तहत उपलब्ध 'बारह सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता - 1200 करोड़ रुपये' तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाने के लिए, 9 मई 2023 को एनआरएए द्वारा गठित एक कोर-ग्रुप ने 'पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित एनडीएमएफ के तहत सूखा न्यूनीकरण के प्रस्ताव - 2021-2026' के लिए एक टेम्पलेट विकसित किया था। इस टेम्पलेट का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा एनडीएमएफ के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि तक पहुंचने के लिए अपनी-अपनी सूखा निवारण योजनाएं तैयार करने में किया जाएगा।

2. एनडीएमए और राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने संयुक्त रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों [राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन) और कृषि विभाग के प्रमुख सचिवों] को इस टेम्पलेट के बारे में जानकारी देने और उन्हें सूखा प्रशमन योजनाएँ तैयार करने की आगे की प्रक्रियाओं के बारे में बताने के लिए 7 जुलाई, 2023 को तपोवन, एनडीएमए भवन में आधे दिन का ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किया। इस सत्र में सभी बारह राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सरकारी और निजी संस्थानों ने भी भाग लिया, जो टेम्पलेट का उपयोग करके अपने प्रस्ताव तैयार करने में राज्य की सहायता कर सकते हैं। राज्यों और संस्थानों ने सूखा प्रशमन के लिए उनके द्वारा किए गए मौजूदा कार्यों को भी प्रस्तुत किया और भविष्य के संभावित हस्तक्षेपों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

3. प्रतिभागियों ने टेम्पलेट पर कई अवलोकन/टिप्पणियाँ/सुझाव दिए। आपसी सहमति से, मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने, राज्यों द्वारा उठाई गई संभावित शिकायतों का समाधान करने और एनडीएमए को अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समयसीमा तय की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों, संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच अंतर-राज्य समाधान विनिमय के लिए एक संचार चैनल/संसाधन निर्देशिका विकसित की जाए और सूखे से निपटने के लिए अच्छे तरीकों को पारस्परिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

सी. 2023-24 में आयोजित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) प्रशिक्षण/कार्यशाला:

1. पोर्टल पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के साथ-साथ एनडीएमआईएस पोर्टल का उपयोग करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सामने आने वाली समस्याओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए अन्य सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एनडीएमआईएस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और बैठक आयोजित की गई है। एसडीएमए और राजस्व विभाग ओडिशा के लिए आपदा हानि और क्षति डेटाबेस पर प्रशिक्षण 18 नवंबर, 2023 को आयोजित किया गया था।

2. ओएसडीएमए ने 18 नवंबर, 2023 को भुवनेश्वर में जिला परियोजना अधिकारियों (डीपीओ) और डीआरआर सलाहकारों (डीआरआरसी) के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। डीपीओ और डीआरआर सलाहकारों को एसएफडीआरआर की प्रगति के लिए एनडीएमआईएस पोर्टल में डेटा (हानि और क्षति) अपलोड करने के बारे में जानकारी दी गई। एनडीएमए के वरिष्ठ सलाहकार (आपदा प्रबंधन) श्री अभिनव वालिया और एनआईसी के वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-एसबी श्री पवन अरोड़ा की एक टीम ने ओडिशा में प्रशिक्षण आयोजित किया।

डी. तपोवन, एनडीएमए भवन में 9 जनवरी, 2024 को "लू (हीट वेव) प्रशमन हेतु रुपरेखा विकसित करने" पर आधे दिन का विचार-मंथन कार्यशाला:

1. इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हीट वेव प्रशमन के लिए एक रुपरेखा विकसित करना और वार्षिक लू कार्यशाला 2024 के लिए एक घटना-पूर्व के रूप में कार्य करना था। लू प्रशमन योजना की रूपरेखा पर चर्चा की गई जिसमें पूर्व चेतावनी प्रणाली, स्वास्थ्य प्रभाव, सार्वजनिक जागरुकता, शहरी नियोजन, वित्तपोषण और निगरानी तथा मूल्यांकन के घटक शामिल थे।

2. डॉ. नरेश कुमार, आईएमडी ने लू के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। 2022 और 2023 के लिए लू प्रतिरुपों (पैटर्न) के बीच अंतर पर प्रकाश डाला गया और 2023 में उच्च मृत्यु दर को मानसून की बारिश में देरी को जिम्मेदार ठहराया गया। ऐतिहासिक डेटा सेट की तुलना में लू के हालिया रुझान

दर्शाए गए। पूर्व चेतावनी के अलावा, क्षमता निर्माण, संवेदनशीलता आकलन, सार्वजनिक जागरूकता और पहुंच, हितधारकों के सहयोग, स्वास्थ्य पहलुओं, एचएपी के वित्तपोषण और शहरी नियोजन पर विस्तार से चर्चा की गई।

3. निर्णय लिया गया कि हितधारकों को स्थानीय स्तर पर लू की तैयारी और प्रशमन के समाधान खोजने के लिए बार-बार मिलना चाहिए। सभी 23 ग्रीष्म संभावित राज्यों और जिलों द्वारा लू कार्य योजना नियमित रूप से तैयार/संशोधित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, 2024 में लू के कारण शून्य मृत्यु दर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर पूर्व चेतावनी प्रणाली को भी सक्रिय तरीके से करने की आवश्यकता है।

ई. लू 2024 पर राष्ट्रीय कार्यशाला:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 13-14 फरवरी, 2024 को "लू हस्तक्षेप प्रबंधन और प्रशमन रणनीति" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस राष्ट्रीय कार्यशाला का एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी और निजी संस्थानों, स्वास्थ्य क्षेत्र, मौसम विभाग, शहरी योजनाकारों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के हितधारकों को एक साथ लाकर भारत के लिए लू प्रशमन की रुपरेखा विकसित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से ज्ञान एकत्र करना था। कार्यशाला का उद्देश्य लू सीजन 2024 के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर दिशानिर्देशों, नीति रुपरेखा और सर्वोत्तम अभ्यासों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना था।

कार्यशाला के अपेक्षित परिणाम निम्नलिखित शामिल है:

1. कार्यशाला में सुझाए गए कार्रवाई योग्य और निर्णय-उन्मुख अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों को शामिल करके 2024 लू सीज़न के लिए अपनी लू कार्य योजना की तैयारी और अद्यतन करने में सभी संवेदनशील राज्यों/जिलों की सहायता करना।

2. जागरूकता बढ़ाना, ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, बेहतर नीति निर्माण, लू प्रबंधन के लिए नए नवाचारों का प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के बीच बेहतर नेटवर्किंग और सहयोग, ताकि गर्मी प्रतिरोधी भविष्य के लिए हमारी क्षमताओं को और बढ़ाया तथा एकीकृत किया जा सके।

3.6 राज्य आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण:

36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 के पास उनकी अपनी स्वीकृत राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) है। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसने एसडीएमपी को भी मंजूरी दी थी, को दो केंद्र शासित प्रदेशों (i) जम्मू और कश्मीर और (ii) लद्दाख में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों (i.) दादरा और नगर हवेली और (ii.) दमन और दीव, जिन्होंने एसडीएमपी को

मंजूरी दे दी थी, को एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया है। इन तीन नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों में अलग एसडीएमपी तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

3.7 तैयार किए जा रहे दिशानिर्देश तथा अन्य दस्तावेज

1. आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए घरेलू सहायता और मानवीय सहायता को चैनलबद्ध करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मसौदा

बचाव, राहत और पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का ही होता है। घरेलू सहायता में इन मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों को घरेलू सहायता के समन्वय और प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें आवश्यकता का आकलन, सहायता के लिए अनुरोध, सहायता प्राप्त करना, छंटाई, स्टोर, पैकिंग, सहायता का वितरण और अप्रयुक्त सहायता का प्रबंधन शामिल हैं। एनडीएमए द्वारा तैयार की जा रही एसओपी का उद्देश्य घरेलू सहायता के प्रबंध में अंतर को पाटना है। इस एसओपी का विशिष्ट उद्देश्य है:

i. घरेलू सहायता को चैनलबद्ध करने के लिए एक रुपरेखा उपलब्ध कराना, जिसको राज्य सरकारें और अन्य हितधारकों/केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनाया जा सकता है।

ii. सहायता के समन्वय और कुशल वितरण में सुधार करना।

iii. उन प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना जो आपदा राहत के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने की वितरण प्रणाली को महत्व देंगी।

iv. आपदा प्रभावितों के लिए राहत की आवश्यकताओं का आकलन करना और राहत सहायता प्रदान करना।

v. घरेलू सहायता प्राप्त करने, प्रबंध करने और वितरित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मानदंड और संस्थागत तंत्र का होना है।

2. जलवायु परिवर्तन वार्ता के अंतर्गत अनुकूलन सहित हानि और क्षति:

एनडीएमए के सदस्य डॉ. कृष्ण एस. वत्स ने सीओपी28 में हानि और क्षति के मामलों पर बातचीत की, जिसके परिणामस्वरुप हानि और क्षति कोष की स्थापना हुई। यह कोष पेरिस समझौते (सीएमए) के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करने वाले पार्टियों के सम्मेलन के प्रति जवाबदेह है और उसके मार्गदर्शन में कार्य करता है। कोष का उद्देश्य विकासशील देशों की सहायता करना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, ताकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान और क्षति का जवाब दे सकें, जिसमें चरम मौसम की घटनाएं और धीमी शुरुआत की घटनाएं शामिल हैं। सीओपी 28 में अपनाए गए हानि और क्षति कोष पर विस्तृत निर्णय पाठ को वेबपेज https://unfccc.int/documents/636558 पर देखा जा सकता है।

हानि और क्षति से संबंधित एक अन्य प्रमुख परिणाम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़े संबंधित दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित संगठनों, निकायों, नेटवर्क और विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता को उत्प्रेरित करने के लिए हानि और क्षति को रोकने, कम करने और हल करने के लिए सैंटियागो नेटवर्क पर निर्णय है। सैंटियागो नेटवर्क के सचिवालय के मेजबान को सीओपी 28 में अंतिम रुप दिया गया था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के संयुक्त संघ को पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए सैंटियागो नेटवर्क सचिवालय के मेजबान के रूप में चुना गया है, जिसमें पांच साल की नवीनीकरण अवधि है।

3.8 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना:

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं (डी.एम.पी.) की तैयारी में सहायता के लिए,

एन.डी.एम.ए. ने 'आपदा प्रबंधन योजना हेतु प्रस्तावित संरचना-भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों का सृजन किया और उसे सभी संबंधितों को परिचालित किया। नीति एवं योजना-डीएम योजना टेम्प्लेट्स के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर यह उपलब्ध है। डीएम योजना के लिए एक सरल टेम्प्लेट उन मंत्रालयों/विभागों, के लिए तैयार किया गया है, जो आपदा प्रबंधन से प्रत्यक्ष रुप से शामिल नहीं है।

डीएमपी पर मंत्रालयों से बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और उनके उत्तरों की एक सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की गई है और एनडीएमए की वेबसाइट में नीति और योजना - डीएम प्लान टेम्प्लेट के तहत अपलोड भी किया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के मामले को उनके साथ बैठकों में और अ.शा. पत्रों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

(**31.03.2024** के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन किया है:

1. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
2. मत्स्य विभाग
3. पशु पालन एवं डेयरी विभाग
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
5. इस्पात मंत्रालय
6. परमाणु ऊर्जा विभाग
7. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की साझा योजना अर्थात: राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)
8. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की साझा योजना अर्थात: राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)
9. विद्युत मंत्रालय
10. कोयला मंत्रालय
11. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
12. पंचायती राज मंत्रालय
13. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
14. न्याय विभाग
15. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
16. रासायन एवं पेट्रो रासायन विभाग
17. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(**31.03.2024** के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) की जांच की और उनके संशोधन के लिए टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

1. आयुष मंत्रालय
2. उर्वरक विभाग
3. नागर विमानन मंत्रालय
4. वाणिज्य विभाग
5. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
6. दूरसंचार विभाग
7. संस्कृति मंत्रालय
8. रक्षा उत्पादन विभाग
9. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
10. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
11. भारी उद्योग विभाग
12. आंतरिक सुरक्षा विभाग
13. राज्यों का विभाग
14. राजभाषा विभाग
15. गृह विभाग
16. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग
17. सीमा प्रबंधन विभाग
18. आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय
19. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
20. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
21. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
22. खान मंत्रालय
23. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

24. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
25. रेल मंत्रालय
26. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
27. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
28. युवा कार्य विभाग
29. अंतरिक्ष विभाग
30. विदेश मंत्रालय
31. लोक उद्यम विभाग
32. ग्रामीण विकास विभाग
33. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
34. औषध विभाग
35. भूमि संसाधन विभाग
36. आर्थिक कार्य विभाग
37. उपभोक्ता मामले विभाग
38. जैव प्रौद्योगिकी विभाग

3.9 योजना जिसका अनुपालन किया जाना शेष है:

1. **आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करना:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क योजना को वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान तीन वर्षों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए एनडीएमए द्वारा फरवरी, 2019 में 2010.6 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन किया गया था। पूरी परियोजना को लागू करने की अवधि, वर्ष 2018-19 से बढ़ा कर 2025-2026 कर दिया गया है और इसे सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजना लागू करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है।

   योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीएमए में एक आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ की नियुक्ति करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करता है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने के उपायों को अपनाने में राज्य प्रशासन को सुविधा/सहायता प्रदान करेंगे। योजना के संघटकों के लिए वित्तीय सहायता के विवरण निम्नानुसार हैं:

   1. 1 लाख रु. प्रति मास की दर पर एक वरिष्ठ परामर्शदाता को नियुक्त करना।
   2. 22,000/-रु. प्रति मास की दर पर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को नियुक्त करना।
   3. पहले वर्ष 25,000/रु. प्रति मास अधिकतम, दूसरे वर्ष 27,500/-रु. प्रति मास अधिकतम और तीसरे वर्ष 30,250/-रु. प्रति मास की सीलिंग के साथ अधिकतम पर वाहन को किराए पर लेना।
   4. कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रु. (एककालिक) की वित्तीय सहायता।

योजना के अंतर्गत **(31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

योजना के तहत जारी कुल धनराशि			
क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**जारी की गई धनराशि (लाख रुपये में)**	**राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या**
1.	2018-19	594.56	29 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश
2.	2019-20	22.16	3 केंद्र शासित प्रदेश
3.	2020-21	134.90	7 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश
4.	2021-22	235.26042	11 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश
5.	2022-23	219.014	10 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश
6.	2023-24	102.6895	5 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश
	कुल योग	**1308.57847**	

2. **115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा बहुल जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का सुदृढ़ीकरण:** योजना-115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा बहुल जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के सुदृढ़ीकरण-की योजना

को गोवा को छोड़कर, जहां पिछड़े जिले की पहचान नहीं की गई है, सभी राज्यों में योजना के क्रियान्वयन के लिए 2018-19 से 2020-21 के दौरान, तीन वर्षों तक लागू करने के लिए 28.98 करोड़ रु. लागत की एनडीएमए द्वारा फरवरी, 2019 को मंजूरी दे दी गई है। समग्र योजना की क्रियान्वयन अवधि को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दी गई और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा योजना की शुरु होने की तारीख से तीन वर्षों तक योजना का क्रियान्वयन कर सकता है।

इस योजना में 28 राज्यों में 115 चिह्नित जिलों के प्रत्येक खतरा बहुल क्षेत्रों में प्रतिमाह 70,000/रु. (सत्तर हजार) की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) पेशेवर को नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। डीएम पेशेवर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को सुविधा देने/सहायता देने का कार्य करेगा।

इस योजना **(31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)** के अंतर्गत राज्यों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

योजना के तहत जारी कुल धनराशि			
क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**जारी की गई धनराशि (लाख रुपये में)**	**राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या**
1.	2018-19	524.30	27 राज्य
2.	2019-20	315.00	18 राज्य
3.	2020-21	221.20	11 राज्य
4.	2021-22	287.00	11 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश
5.	2022-23	226.80	5 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश
6.	2023-24	109.90	3 राज्य
	कुल योग	**1684.20**	

3.10 परियोजनाएं पूरी हुई/अपूर्ण कार्यान्वयन:

ए. भारतीय शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैपिंग और मॉडल लू कार्य योजना के लिए रुपरेखा विकसित करना: एनडीएमए ने भारतीय शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैपिंग और मॉडल लू कार्य योजना की रुपरेखा विकसित करने के लिए विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर को 46,94,612/-रुपए की अनंतिम लागत राशि सौंप दी है।

परियोजना की सुपुर्दगी में शामिल हैं:

1. आउटडोर थर्मल कम्फर्ट, मौसम विज्ञान संबंधी मापदंडों और आकृति-मूलक मापदंडों के बीच संबंध दिखाने वाले अध्ययन
2. विदर्भ क्षेत्र के 2 शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैप
3. किसी चयनित शहर के लिए लू कार्य योजना
4. एचवी मैपिंग के लिए जेनरिक पद्धति
5. मॉडल एचएपी के लिए रुपरेखा

वीएनआईटी ने परियोजना के लिए "मॉडल हीट एक्शन प्लान (एमएचएपी) की तैयारी पुस्तिका" प्रस्तुत की और इसे एनडीएमए द्वारा स्वीकृति के लिए विचाराधीन रखा गया है। एमएचएपी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो शहर स्तर पर अत्यधिक गर्मी की व्यापक योजना के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नगरपालिका और स्थानीय प्राधिकरणों, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों, शहरी चिकित्सकों और अन्य संबंधित एजेंसियों को गर्मी की लहरों के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शहर स्तर पर अत्यधिक रोकथाम की योजना बनाना, लागू करना और प्रबंधित करना है। इसके अलावा, यह तीन अलग-अलग समय-सीमाओं अर्थात् अल्पकालिक (3 साल तक की समयावधि), मध्यम अवधि (3 से 5 साल की समयावधि) और दीर्घकालिक (5 से 10 साल की समयावधि) पर कार्रवाई का प्रस्ताव देकर गर्मी प्रबंधन और गर्मी नियोजन की प्रतिक्रिया देने का प्रयास करता है।

एमएचएपी इन समय-सीमाओं में आठ मुख्य तत्वों की प्रयोज्यता पर केंद्रित है। प्रस्तावित गर्मी प्रबंधन रणनीतियाँ संरचनात्मक (ठंडी छतें, ताप मौसम केंद्र, हरित भवन) और गैर-संरचनात्मक (गर्मी चेतावनी प्रणाली, व्यवहार परिवर्तन) दृष्टिकोणों का एकीकरण हैं, ताकि प्रतिरोधक शहरी स्थान बनाए जा सकें और अत्यधिक गर्मी की घटनाओं से निपटा जा सके। यह मौजूदा नीतियों (जैसे, ईसीबीसी, हरित भवन रेटिंग सिस्टम, वॉकेबिलिटी, पारगमन-उन्मुख विकास,

शहरी हरियाली, आदि) और स्थानीय विशेषज्ञता को कार्य योजनाओं में एकीकृत करने का भी प्रस्ताव करता है। शहरी परिवेश में गर्मी जोखिमों के प्रबंधन के लिए विभागों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए, एमएचएपी के लिए एचएपी और एचएचडब्ल्यूएस की सफल शुरुआत, कार्यान्वयन और संचालन के लिए मौसम विज्ञान अधिकारियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों, महामारी विज्ञान निकायों और शहरी चिकित्सकों/योजनाकारों सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होती है।

बी. वनाग्नि प्रबंधन के संबंध में सर्वोत्तम पद्धतियों और स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का संग्रह: एनडीएमए ने अप्रैल, 2021 में 28,49,000/- रुपये की अनुमानित लागत से एफआरआई, देहरादून को "वनाग्नि प्रबंधन के संबंध में सर्वोत्तम पद्धति और स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का संग्रह" की तैयारी नामक एक परियोजना प्रदान की है और कार्य प्रगति पर है। परियोजना की निम्नलिखित उद्देश्यों पर सूचना और विश्लेषण को संकलित करने वाली एक रिपोर्ट होगी:

1. वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के स्वदेशी ज्ञान और पारंपरिक पद्धतियों के बारे में विभिन्न राज्यों से जानकारी एकत्र करना।
2. सीमांत वन गांव के लोगों जहां वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पारंपरिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, से (सीधे/प्रश्नावली सर्वेक्षण के माध्यम से) बातचीत करना, सीमांत वनों के निकट रहने वाले ग्राम समुदायों के पास उपलब्ध अग्नि निवारण और नियंत्रण के स्वदेशी ज्ञान का संकलन करना।
3. पारंपरिक पद्धतियों को आधुनिक अग्निशामक प्रणाली में मुख्यधारा में कैसे लाया जाए उसका विश्लेषण करना।

सी. वनाग्नि प्रबंधन हेतु प्रशमन परियोजना:

अपर सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना-"वनाग्नि प्रबंधन के लिए प्रशमन परियोजना" को मंजूरी देने के लिए 16 जनवरी 2024 को एक बैठक आयोजित की गई। गृह मंत्रालय ने 987.37 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय वाली इस परियोजना को 20 राज्यों के 146 सबसे अधिक आग लगने वाले जिलों में लागू करने की सिफारिश की है, जिसे मंजूरी के लिए उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय-4

आपदा खतरा प्रशमन परियोजनाएं/गतिविधियां

क. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी)

4.1 भारत सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) को मंजूरी दी थी, जिसका समग्र उद्देश्य चक्रवातों के प्रति अति संवेदनशीलता को कम करना तथा भारत के चक्रवात जोखिम बहुल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए लोगों और बुनियादी ढांचे को आपदा के प्रति प्रतिरोधी बनाना है। परियोजना के चार घटक हैं:

i) घटक क : अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने वाली पूर्व-चेतावनी प्रसारण प्रणाली

ii) घटक ख : चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना जैसे, बहु-उद्देशीय चक्रवात आश्रय-स्थल, सुरक्षित/निकास हेतु सड़कें/पुल/लवणीय तटबंध एवं भूमिगत केबलिंग

iii) घटक ग : बहु-खतरा जोखिम प्रबंधन और क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता

iv) घटक घ : परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता।

4.2 घटक क, ग और घ पूर्णत: केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित है और घटक ख का वित्त पोषण केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: 75:25 के अनुपात में है। केंद्रीय सरकार का हिस्सा विश्व वैंक सहायता (ऋण) द्वारा वित्तपोषित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस परियोजना का कार्यान्वयन निकाय है। परियोजना को दो चरणों में केंद्र प्रायोजित परियोजना (सीएसएस) के रूप में मंजूरी दी गई है।

4.3 एनसीआरएमपी का प्रथम चरण आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए जनवरी, 2011 में मंजूर किया गया था। यह परियोजना दिसंबर 2018 में 2440 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पूरी हुई।

4.4 एनसीआरएमपी का दूसरा चरण गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 2361.35 करोड़ रु. की लागत की मंजूरी जुलाई 2015 में दी गई और इस परियोजना को पूरा करने की तारीख 15 मार्च, 2021 रखी गई। योजना के प्रदर्शन, रेटिंग, शुरु न की गई गतिविधियों को रद्द करने और 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत को समर्पित करने के मद्देनजर रखने के बाद में संशोधन के साथ, परिव्यय को अंतत: ₹ 1864.38 करोड़ में संशोधित किया गया और परियोजना की समाप्ति तिथि मार्च 2023 तय की गई। परियोजना के वित्तीय समापन के लिए रियायती अवधि अगस्त 2023 तक थी। परियोजना का दूसरा चरण ₹ 1806.84 करोड़ के कुल व्यय के साथ पूरा हुआ।

4.5 पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) स्थापित की जा चुकी है और तीन तटीय राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गोवा में शुरु की गई है। कर्नाटक और केरल में ईडब्ल्यूडीएस का सभी भौतिक कार्य पूरा हो चुका है और शुरु करने से पहले अंतिम परीक्षण प्रगति पर है। एनसीआरएमपी के तहत कुल 795 बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय केंद्र (एमपीसीएस), 1291.52 किलोमीटर सड़कें, 118.18 किलोमीटर लवणीय तटबंध (एसई), 1331.97 किलोमीटर भूमिगत इलेक्ट्रिक केबलिंग (यूजीसी) और 36 पुलों का निर्माण किया गया है।

4.6 आपदा जोखिमों को कम करने और विभिन्न सरकारी विभागों और समुदायों की क्षमता को मजबूत करने के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना के उप-घटकों में से एक है। एनसीआरएमपी के तहत 24,007 सरकारी अधिकारियों को 22 विभिन्न विषयों पर 889 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करने के साथ-साथ 68,988 सामुदायिक प्रतिनिधियों को भी एनसीआरएमपी के तहत 3,378 आश्रय-स्थल स्तर का भी प्रशिक्षण दिलाया गया है।

4.7 इसके अलावा, आश्रय व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए 8 परियोजना राज्यों में 795 चक्रवात आश्रय प्रबंधन और रखरखाव समितियों का भी गठन किया गया है। प्रत्येक समिति में विभिन्न सरकारी अधिकारी, सामुदायिक प्रतिनिधि, महिलाएं और कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि आदि की भागीदारी शामिल थी। एनसीआरएमपी के तहत निर्मित चक्रवात आश्रयों का उपयोग कोविड-19 महामारी और हाल के चक्रवातों के दौरान विभिन्न राहत और पुनर्वास उद्देश्यों के लिए किया गया था।

एनसीआरएमपी में अपनाए गए निम्नलिखित गैर-संरचनात्मक रोकथाम उपाय इस प्रकार हैं:

I. वेब आधारित गतिशील समग्र जोखिम एटलस और निर्माण सहायता प्रणाली (वेब डीसीआरए-डीएसएस) स्थान विशिष्ट चक्रवाती हवा की गति और तूफानी लहरों के कारण बाढ़ स्तर, चक्रवात से उत्पन्न वर्षा और नदी बाढ़ के कारण जलप्लावन के स्तर की विशिष्ट स्थान निर्धारण के लिए एक वास्तविक समय प्रभाव पूर्वानुमान उपकरण है। इस जानकारी का उपयोग राज्यों द्वारा निकासी योजना और मोचन करने के साथ-साथ प्रशमन योजना में भी किया जा सकता है।

II. व्यापक बहु-खतरा जोखिम वित्तपोषण रणनीति (सीएमएचआरएफएस) आपदाओं के मामले में राज्यों के लिए जोखिमों की मात्रा निर्धारित करने और वित्तीय जोखिम हस्तांतरण के लिए रणनीति विकसित करने का अध्ययन करती है।

III. जल-मौसम संबंधी समुत्थानशील कार्य योजना (एचएमआरएपी) छह परियोजना तटीय शहरों में विभिन्न खतरों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाने और मोचन करने के लिए यूएलबी को मजबूत करने का अध्ययन करता है।

कर्नाटक लवणीय तटबंध

भूमिगत विद्युत केबलिंग महाराष्ट्र

गोवा एमपीसीएस

गोवा ईडब्ल्यूडीएस मोनोपोल टॉवर

गुजरात एमपीसीएस

केरल चेर्थला मारारिकुलम उत्तर गांव एमपीसीएस
अक्षांश देशांतर 9º 37' 36.419' 3 76º 18' 13.091" पूर्व

स्पन कंक्रीट टॉवर ओडिशा

पश्चिम बंगाल एमपीसीएस तारानगर

एनडीएमए के प्रशमन प्रभाग की पहल

4.11 प्रशमन प्रभाग ख्याति प्राप्त संस्थानों/संगठनों के माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय आदि प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए क्रॉस कटिंग विषय पर प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) को स्वीकार करता है और उसका अध्ययन करता है। एनडीएमए द्वारा शुरु की गई विभिन्न परियोजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

ए. सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, विकिरणीय और परमाणु)

4.12बंदरगाहों/हवाई अड्डों पर आपातकालीन प्रबंधकों के लिए रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय (सीबीआरएन) आपातकाल प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण:

सीबीआरएन आपातस्थिति की तैयारी में सुधार लाने के लिए प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। सीबीआरएन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूलभूत खतरा, सुरक्षा कार्रवाई, हैंड्स-ऑन फील्ड अभ्यास को शामिल किया जाता है जिसका लक्ष्य घटना स्थल पर प्रशिक्षित मोचकों के पहुंचने तक सीबीआरएन संबंधी दुर्घटनाओं की रोकथाम और बंदरगाह पोर्ट प्रशमन के लिए तैयार करना है। चरण-I में सीबीआरएन आपातकाल प्रबंधन का बुनियादी प्रशिक्षण के 38 बैच पूरे हो चुके हैं और पोर्ट प्रचालन के उत्तरदायी विभिन्न अभिकरणों के लगभग 1400 स्टाफ सदस्यों को विषय विशेषज्ञों और एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित कर दिया है। चरण-II में 38 पोर्ट पर बुनियादी प्रशिक्षण कराया जा चुका है। वर्ष 2023-24 (31.03.2024 तक), से अब तक एनडीएमए ने 29 हवाई अड्डों और 09 बंदरगाहों (एमपीए (गोवा बंदरगाह)), विशाखापत्तनम बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, एमआईएएल (मुंबई हवाई अड्डा), कोच्ची हवाई अड्डा, मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट, पैरादीप बंदरगाह, कोलकाता हवाई अड्डा, चेन्नै हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा, नागपुर हवाई अड्डा, बैंगलोर हवाई अड्डा, वाराणसी हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा में प्रशिक्षण पूरे कर लिए हैं। 2023-24 की अंतिम तिमाही में अमृतसर हवाई अड्डा, मदुरै हवाई अड्डा, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण, मुंद्रा बंदरगाह और कृष्णपट्टनम बंदरगाह पर बुनियादी सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

बी. भूकंप

4.13 तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण संसाधन सामग्री का विकास

- भारत का लगभग 58.6% भूभाग मध्यम से गंभीर भूकंपीय झटकों के खतरे के प्रति संवेदनशील है और 80% भारतीय आबादी इन क्षेत्रों में रहती है। पिछले भूकंपों से यह स्पष्ट है कि अगर इमारतों को ठीक से डिज़ाइन नहीं किया गया तो उन्हें नुकसान होता है। अधिकांश मामलों में, यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में मौजूदा इमारतों में बीआईएस कोड में निर्दिष्ट भूकंप रोधी विशेषताएं नहीं हैं। इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर कॉलेजों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में संसाधन सामग्री की अनुपलब्धता होने के कारण डिज़ाइन या निर्मित वातावरण के खराब निर्माण के कारण होती है। इसलिए, सिविल इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर विषय में स्नातक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।
- यह परियोजना आईआईटी बॉम्बे को सौंप दी गई है। परियोजना का दायरा पांच पहचाने गए विषयों अर्थात् संरचना गतिशीलता और भूकंप इंजीनियरिंग (मुख्य विषय); भूकंप भू-तकनीकी इंजीनियरिंग (वैकल्पिक विषय); आरसी ढांचे का भूकंप रोधी डिजाइन (वैकल्पिक विषय); इस्पात ढांचे का भूकंप रोधी डिज़ाइन (वैकल्पिक विषय); और डिज़ाइन स्टूडियो-भूकंप रोधी ढांचा विन्यास (मुख्य विषय) पर शिक्षण संसाधन सामग्री विकसित करना है, उसके बाद इंजीनियरिंग और

आर्किटेक्चर कॉलेज, विशेष रुप से, भूकंपीय क्षेत्र IV और V में स्थित, में एक पूर्ण सेमेस्टर पाठ्यक्रम के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों का प्राथमिक परीक्षण करना है। अपेक्षाकृत उच्च रैंक वाले इंजीनियरिंग संस्थानों के संकाय आधारित सदस्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशालाओं के माध्यम से पहचाने गए विषयों पर एनआईआरएफ रैंकिंग का प्रशिक्षण दिया गया। भविष्य में, प्रशिक्षित संकाय सदस्यों से उम्मीद है कि अन्य इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों के संकाय सदस्यों को आगे प्रशिक्षण देंगे। प्रस्तावित प्रारंभिक पाठ्यक्रम और टीओटी कार्यशाला से प्राप्त फीडबैक के आधार पर संसाधन सामग्री को संशोधित किया गया है। संसाधन सामग्री मुद्रीकरण की प्रक्रिया में है।

आईआईटी मद्रास में आर.सी. संरचनाओं के भूकंपरोधी डिजाइन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशाला आयोजित की गई

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारका, नई दिल्ली में वास्तुकला डिजाइन स्टडियों- भूकंप प्रतिरोधी संरचनात्मक विन्यास पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित की गई

आईआईटी बॉम्बे में संरचना गतिशीलता और भूकंप इंजीनियरिंग पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशाला आयोजित की गई

4.14 भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक चरण-II का विकास

- पिछले कुछ दशकों में भारतीय शहरों के तेजी से शहरीकरण से आवास क्षेत्र की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे निर्माण उद्योग पर इस मांग को पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। अक्सर, कम समय में इस मांग को पूरा करने के लिए शहरों और उसके बुनियादी ढांचे की उचित योजना नहीं बनाई जाती है। इससे टियर-II शहरों में कम ऊंचाई से मध्यम ऊंचाई वाली इमारतों और टियर-I शहरों में मध्यम ऊंचाई से ऊंची इमारतों में असमान वृद्धि हुई है, जिससे आपदाओं के दौरान जान-माल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसलिए, भारत के उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित इमारतों के भूकंपीय जोखिम का आकलन करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि शहरों की आपदा को कम करने में मदद मिल सके।
- परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के शहरों में भूकंप के खतरे का आकलन करना है, जिससे नकारात्मक परिणामों को कम करने, तैयारी करने और अगली घटना का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। प्राप्त किए गए अध्ययन से प्राप्त जोखिम सूचकांक मुख्य रूप से खतरे, संवेदनशीलता और शहर के जोखिम का संयोजन होगा। यह प्रत्येक शहर को उनके आसन्न जोखिम और उसके परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे भूकंप के कारण होने वाले सामाजिक और आर्थिक परिणामों को कम करने में मदद मिलेगी और शहरों के बीच जोखिम की आंतरिक-तुलना होगी और साथ ही शहर के अधिक संवेदनशील क्षेत्र में आपदा तैयारी और मोचन उपायों को प्राथमिकता देने के लिए सरकारी एजेंसियों का मार्गदर्शन होगा। एनडीएमए ने 2019 में 50 शहरों के लिए परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया है और परियोजना का दूसरा चरण प्रगति पर है जो अगले 16 शहरों के लिए है। यह परियोजना एमएनआईटी जयपुर को सौंप दी गई है। परियोजना में शहरों के भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक ए) इमारतों की संवेदनशीलता, बी) इमारतों को नुकसान का अपेक्षित स्तर और सी) जान-माल की अपेक्षित हानि का मूल्यांकन शामिल है: साथ ही नीति निर्माता के लिए एक अलग रिपोर्ट के साथ, समग्र जोखिम में योगदान देने वाले प्रमुख कारक की सूची के साथ व्यक्तिगत शहर की रिपोर्ट तैयार करना है।

एनडीएमए के 19वें स्थापना दिवस पर "पारंपरिक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण का संग्रह" रिपोर्ट का विमोचन

4.15 ज्ञान साझा करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पारंपरिक भूकंप रोधी निर्माण पद्धतियों का संग्रह: पारंपरिक निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देना

- पिछले कई भूकंपों के कारण हिमालय क्षेत्र में महत्वपूर्ण संपत्ति और मानव जीवन की हानि हुई है। परिणामस्वरुप, इस क्षेत्र में रहने वाले समुदायों ने भूकंप सुरक्षा के मूल आधार को तेजी से समझ लिया, जिसमें कहा गया है कि भूकंपीय घटना में जान-माल के नुकसान से बचने के लिए ढांचागत सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पारंपरिक निर्माण प्रथाएं, विशेष रुप से हिमालयी क्षेत्र में, अद्वितीय हैं क्योंकि वे मुख्य रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हैं जो बहुत कम लागत की होती है और पर्यावरण-अनुकूल भी होती है। हाल की भूकंप आपदाओं के दौरान इन पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से सामने आई है। स्थानीय पारंपरिक निर्माण पद्धति में भूकंप रोधी प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया था, जो अब आधुनिक निर्माणों में भूकंपीय सुरक्षा का समाधान किए बिना इन क्षेत्रों में आधुनिक सामग्रियों और निर्माण तकनीकों को शामिल करने के कारण लुप्त हो रही हैं।

- परियोजना का दायरा हिमालयी क्षेत्र में पारंपरिक इमारतों के तरीकों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना और उनकी संरचनात्मक प्रणाली वर्गीकरण योजना को विकसित करना है, साथ ही पारंपरिक इमारतों में भूकंप रोधी और संवेदनशील विशेषताओं की पहचान करना और उनकी भूकंपीयता संवेदनशीलता को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों का सुझाव देना है। यह परियोजना आईआईटी रुड़की और एईसी गुवाहाटी के सहयोग से आईआईटी रोपड़ को सौंप दी गई थी। यह परियोजना मार्च 2023 को पूरी की गई और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 19वें स्थापना दिवस (27 सितंबर, 2023) पर "ज्ञान साझाकरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पारंपरिक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण का संग्रह" औपचारिक रुप से जारी किया गया।

4.16 मौजूदा साहित्य में भारत के उत्तर-पश्चिमी हिमालय में कई पारंपरिक भूकंप-रोधी भवन निर्माण पद्धतियों के होने

की जानकारी दी गई है। इन पारंपरिक भवन निर्माण पद्धतियों में मुख्य रूप से शामिल है; गारा-चूना के बिना टिम्बर बेस्ड पत्थर की चिनाई, जिसे देशी भाषा में 'कोटि-बनाल' या 'काठ-कुन्नी' (रौतेला एट अल. 2009ए, रौतेला एट अल. 2009बी) कहा जाता है, सूखे पत्थर की दीवारों के साथ लकड़ी का फ्रेम देशी भाषा में इसे 'ठठरा' (राहुल एट अल. 2013) कहा जाता है, मिट्टी के गारे में रखी गई ईंट/पत्थर की चिनाई से भरा लकड़ी का फ्रेम जिसे देशी भाषा में 'धज्जी-देवरी' (हिसीइल्माज़ एट अल. 2011) और लकड़ी के फ्रेम से बंधी हुई मिट्टी के गारे में रखी गई ईंट/पत्थर की चिनाई, जिसे 'ताक' (धंधपनी एट अल 2019) कहा जाता है। इसी तरह, पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक भूकंपीय-रोधी इमारत पद्धति में मुख्य रूप से 'एकरा' सरकंडे से बंधी हुई लकड़ी के फ्रेम शामिल हैं, जिन्हें 'असम-प्रकार' या 'एकरा' (कौशिक और बाबू 2009) आवास के रूप में जाना जाता है। संस्थान की टीम ने इन पारंपरिक भवन विधियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया और मूल्यांकन के आधार पर, इन इमारतों में सुरक्षा उपाय में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं।

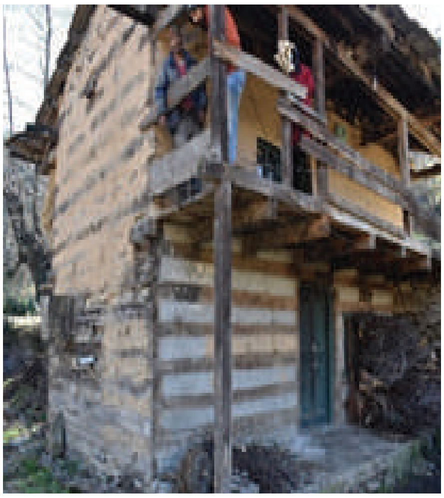
काठ-कुन्नी निर्माण

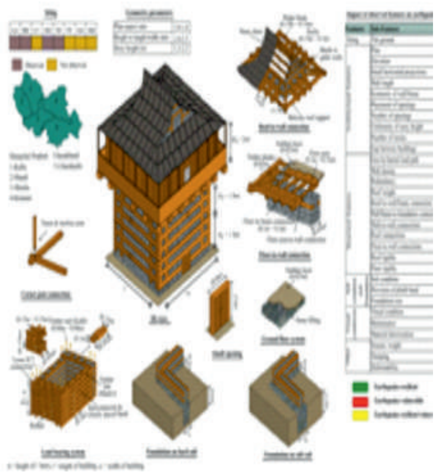
प्रमुख विशेषताएं

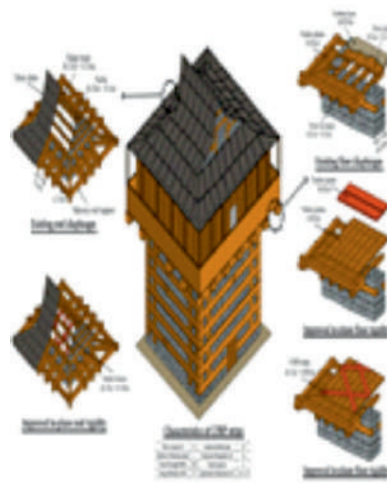
सुझाए गए सुरक्षा उपाय

काठ-कुन्नी निर्माण पारंपरिक निर्माण के सबसे पुराने रूपों में से एक है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जिलों और उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में व्यापक रूप से देखा जाता है।

ठठरा निर्माण

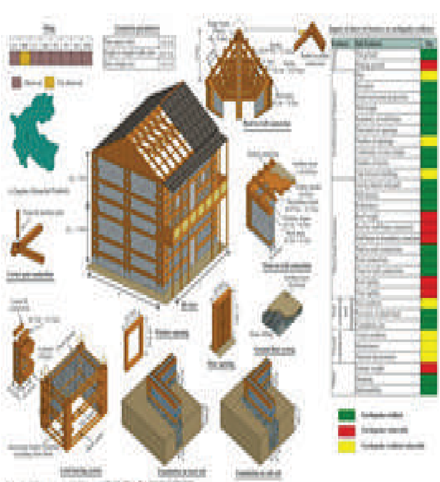
प्रमुख विशेषताएं

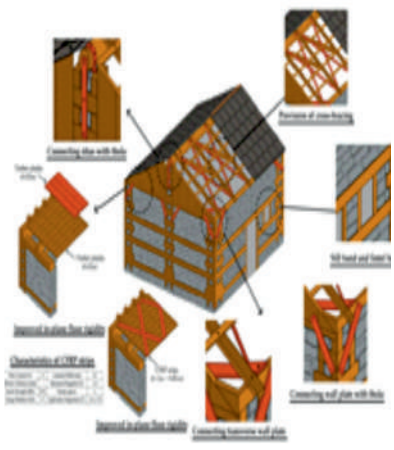
सुझाए गए सुरक्षा उपाय

ठठरा पारंपरिक निर्माण प्रथा भारत के हिमाचल प्रदेश के 'चंबा' जिले (चित्र 2.25) में देखी गई सबसे प्रचलित पारंपरिक भवन प्रकारों में से एक है।

धज्जी-देवरी निर्माण

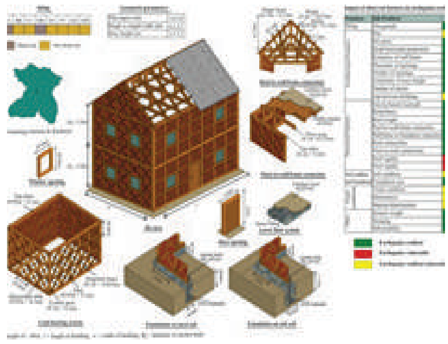

प्रमुख विशेषताएं

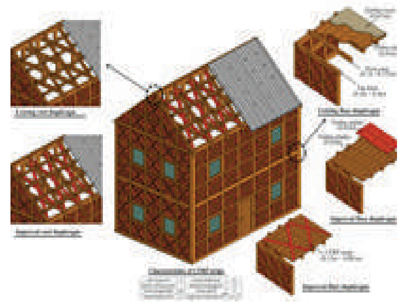

सुझाए गए सुरक्षा उपाय

धज्जी-देवरी शब्द फ़ारसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है 'पैचवर्क रजाई की दीवार' और यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की एक पारंपरिक निर्माण प्रथा है। विशेष रूप से, ये इमारतें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में देखी जा सकती हैं और कुछ इमारतें भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला शहर और आसपास के इलाकों में भी देखी जा सकती हैं।

ताक निर्माण

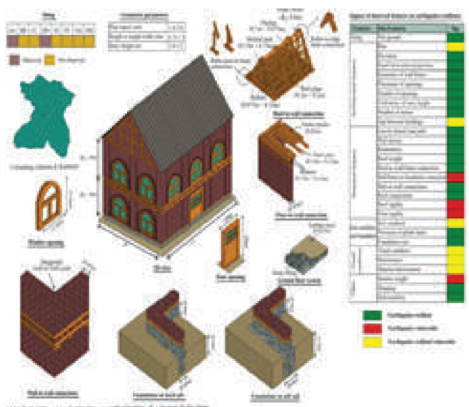

प्रमुख विशेषताएं

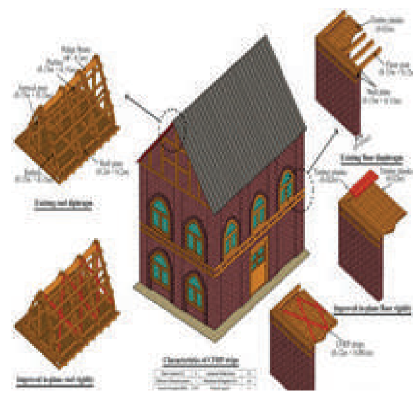

सुझाए गए सुरक्षा उपाय

ताक भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के आसपास कश्मीर घाटी में पश्चिमी हिमालय में प्रचलित एक पारंपरिक लकड़ी से बंधी हुई चिनाई निर्माण प्रथा है।

असम निर्माण

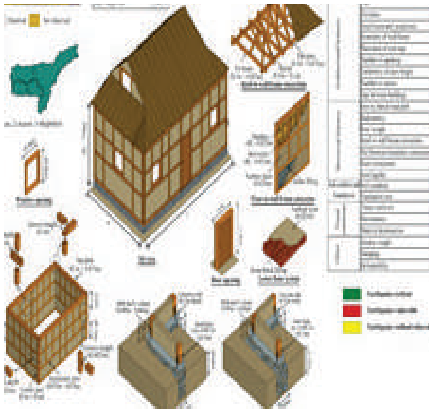

प्रमुख विशेषताएं

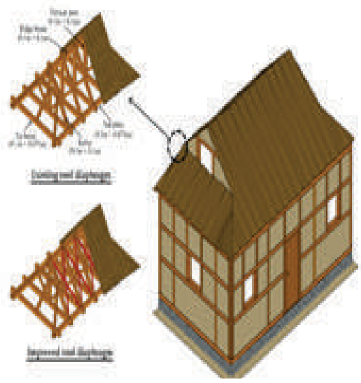

सुझाए गए सुरक्षा उपाय

असम-तरीके का भवन निर्माण पारंपरिक निर्माण के सबसे पुराने रूपों में से एक है जो व्यापक रुप से उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, सिक्किम और मेघालय में देखा जाता है।

4.17 मेसनरी जीवनरेखा संरचनाओं और आगामी निर्माणों की भूकंप रोधी क्षमता में सुधार के लिए प्रायोगिक परियोजना

भारत में हाल के दिनों में आए भूकंपों से बड़े पैमाने पर क्षति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि हुई है, विशेष रुप से कमजोर चिनाई वाली संरचनाओं में दुनिया भर में इमारतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कमजोर चिनाई (यूआरएम) इमारतें होती हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि इनमें से अधिकांश संरचनाओं को भूकंपीय भार के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और इन भवन संरचनाओं की दीवारों को मुख्य रुप से गुरुत्वाकर्षण भार सहन के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसलिए, शहरों या गांवों में मध्यम से तीव्र भूकंप विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती हैं और संपत्ति और राष्ट्रीय मूलभूत ढांचे को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन संरचनाओं की मरम्मत करना और उनकी ताकत बढ़ाना आवश्यक है। इन संरचनाओं के भूकंपीय व्यवहार में सुधार के लिए कई तकनीकें विकसित और क्रियान्वित की गई हैं।

एनडीएमए ने जीवनरेखा संरचनाओं की भूकंप प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिपुरा, उत्तराखंड और एनडीएमसी, दिल्ली के साथ मिलकर एक प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की है जिसमें चिह्नित मेसनरी जीवनरेखा इमारतें, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाई का निर्माण और इंजीनियरों का क्षमता निर्माण, बार बेंडर और कारपेंटरों के क्षमता निर्माण शामिल है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य:-

- चयनित जीवनरेखा मेसनरी भवनों की संरचनात्मकता की सुरक्षा ऑडिट
- चयनित जीवनरेखा भवनों का पुन: मरम्मत
- भूकंप रोधी तकनीक को दर्शाने वाली प्रदर्शन इकाइयों का निर्माण (परियोजना राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में एक-एक)
- क्षमता निर्माण-इंजीनियर, राजमिस्त्री, बार बेंडर और कारीगरों का प्रशिक्षण

मेलाघर गर्ल्स हाई स्कूल (+2) स्कूल, त्रिपुरा का मरम्मत कार्य

अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभावाला, देहरादून, उत्तराखंड का मरम्मत कार्य

सी. भूस्खलन एवं हिमस्खलन

4.18 भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजना

- एनडीएमए ने आपदा तैयारियों के लिए संवेदनशील राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने और भविष्य में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य भूस्खलन प्रशमन परियोजनाओं को शुरू करने के क्षमता निर्माण के लिए **भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजना (एलआरएमएस)** शुरु की है। एनडीएमए ने जुलाई, 2019 में एसडीएमए/ डीडीएमए के आपदा जोखिम प्रशासन में सुधार के तहत **एलआरएमएस** की संकल्पना की शुरुआत की है। परियोजना की कुल लागत 43,9174000 रुपये है। इस योजना में 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पायलट पैमाने पर लिया गया है, जिसमें चरण-I में 10 राज्यों को और चरण-II में 11 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। योजना के चार प्रमुख परिणाम हैं भूस्खलन प्रशमन, वास्तविक समय निगरानी, जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण। डीपीआर की तैयारी के लिए एनडीएमए द्वारा एक टेम्पलेट तैयार करके सभी संवेदनशील राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित किया गया था। तीन राज्यों मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम

ने भूस्खलन उपचार/प्रशमन पूरा कर लिया है और उत्तराखंड संवेदनशील स्थल पर उपचार करने के लिए कार्य चल रहा है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में राज्य स्तरीय कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं।

4.19 भूस्खलन रोधी विशेषताओं पर भवन संहिताओं का निर्माण, आवधिक समीक्षा/अद्यतनीकरण

- एनडीएमए ने भूस्खलन विषयों पर नए दिशानिर्देश/कोड/मानक तैयार करने में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की सहायता करने के लिए एक परियोजना शुरु की। भूस्खलन के लिए दिशानिर्देश/कोड/मानक तैयार करने के लिए बीआईएस की दो समितियां अर्थात् सीईडी 48 (रॉक मैकेनिक्स सेक्शनल) और सीईडी 56 (हिल एरिया डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सेक्शनल) का गठन किया गया था। दिशानिर्देशों को एनडीएमए और बीआईएस द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर प्रासंगिक कोड/मानक बीआईएस द्वारा विकसित किए जाएंगे। विकसित दस्तावेज़ को उपयोग के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के बीच वितरित किया जाएगा। जुलाई 2020 में आईआईटी रुड़की और बीआईएस के साथ बीआईएस समिति (सीईडी 48) के तहत 'भूस्खलन प्रभावित ढलानों की आधारशिला (बेड रॉक) में चट्टान मात्रा (रॉक मास) दबाव शक्ति (शीयर स्ट्रेंथ) के निर्धारण पर दिशानिर्देश' की तैयारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बीआईएस समिति (सीईडी 56) के तहत "भूस्खलन या ढलान स्थिरीकरण के प्रशमन हेतु सूक्ष्म ढेर के लिए दिशानिर्देश" और "भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में इमारतों और बुनियादी ढांचे के लिए सुरक्षा और प्रशमन उपाय" पर दो और दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए जुलाई 2021 में एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। "चट्टान द्रव्यमान दबाव शक्ति के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश" और "भूस्खलन या ढलान स्थिरीकरण के प्रशमन के लिए सूक्ष्म ढेर के लिए दिशानिर्देश" को बीआईएस द्वारा अनुमोदित किया गया है।

डी. भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)

4.20 परियोजना-1 क्लाउड आधारित अनुप्रयोग सूचना प्रणाली परियोजना का विकास

- समग्र भारत (पैन इंडिया) में क्लाउड आधारित जीआईएस पोर्टल और ऑपरेशन डैशबोर्ड विकासित करना

1. खतरा सूचना प्रणाली पोर्टल

- भूगर्भीय खतरों की रोकथाम और प्रशमन के लिए खतरा प्रबंधन, मूल्यांकन और पूर्वानुमान विकसित किए जाते हैं। भूगर्भीय खतरे की रोकथाम से संबंधित डेटा सेट विभिन्न राज्यों से एकत्र किए गए हैं, और भूकंप, बाढ़, रसायन, भूस्खलन, चक्रवात और हवा के खतरे, वनाग्नि, सुनामी, नाभिकीय, आकाशीय बिजली और बहु-खतरा जैसे खतरों के विशिष्ट भू-डेटाबेस के लिए ऐतिहासिक डेटा, समग्र भारत के खतरों की संवेदनशीलता के मानचित्र संरचना और उपयोगिताओं की परतों को भी एकीकृत किया गया है। समग्र भारत के खतरा संवेदनशीलता मानचित्र।

1.1 खतरे-वार जानकारी

- भूकंप क्षेत्र/भ्रंश रेखा/भूकंप स्थान
- भूस्खलन
- बाढ़
- चक्रवात और हवा का खतरा
- वनाग्नि
- सुनामी
- नाभिकीय
- रासायनिक खतरे / एमएएच इकाइयाँ
- एनसीआरएमपी आश्रय केंद्र
- केन्द्रीय भंडार स्थान निर्धारण
- पेट्रोलियम अन्वेषण सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) स्थान निर्धारण
- एपीडीए मित्र स्वयंसेवक भू-स्थानीय

1.2 उपकरण और बुनियादी ढाँचा

- अस्पतालों का स्थान (पीएचसी और निजी अस्पतालों तक)
- निदान केंद्र

- एफसीआई स्थान
- कृषि मंडी
- डाक घर
- बिजली के स्टेशन
- रासायनिक रिफाइनरियाँ

1.3 इन्वेंटरी

- ऐतिहासिक भूस्खलन स्थल
- जीएलओसी स्थान
- बाढ़ की घटनाएँ
- भूकंप का केंद्र
- एमएएच इकाइयां
- वनाग्नि स्थल निर्धारण

- एनडीआरएफ स्थल
- चक्रवात आश्रय
- राज्य/जिला मुख्यालय
- अग्निशमन केंद्र
- शहर/ग्राम स्तर का जनसंख्या डेटा
- प्रशासनिक सीमाएँ (राज्य/जिला/उप जिला/गाँव)

1.4 अन्य स्रोत (जैसे data.gov.in)

- राज्य/जिला मुख्यालय
- अग्निशमन केंद्र
- शहर/ग्राम स्तर का जनसंख्या डेटा
- विरासत इमारतें
- अन्य उपयोगिताएँ

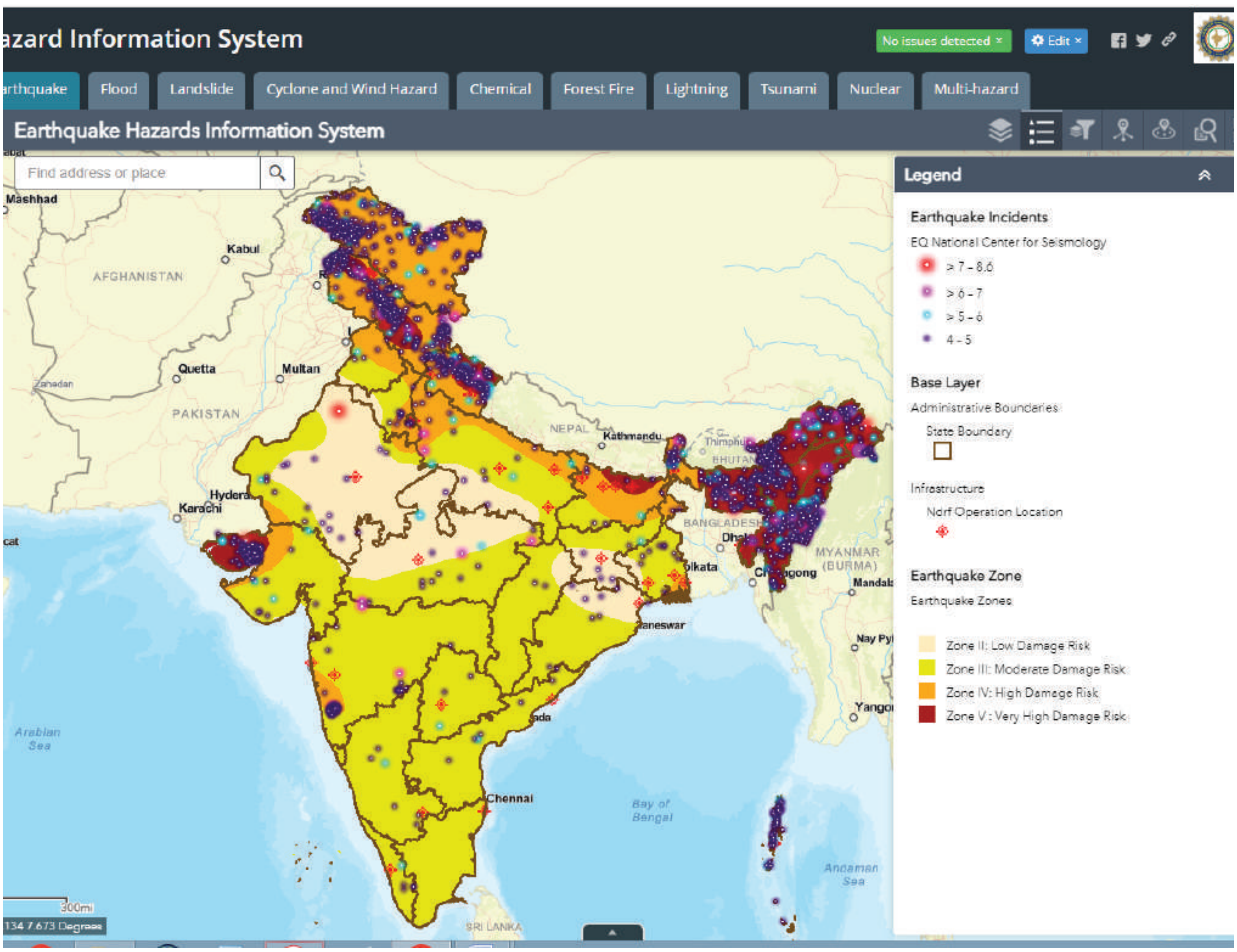

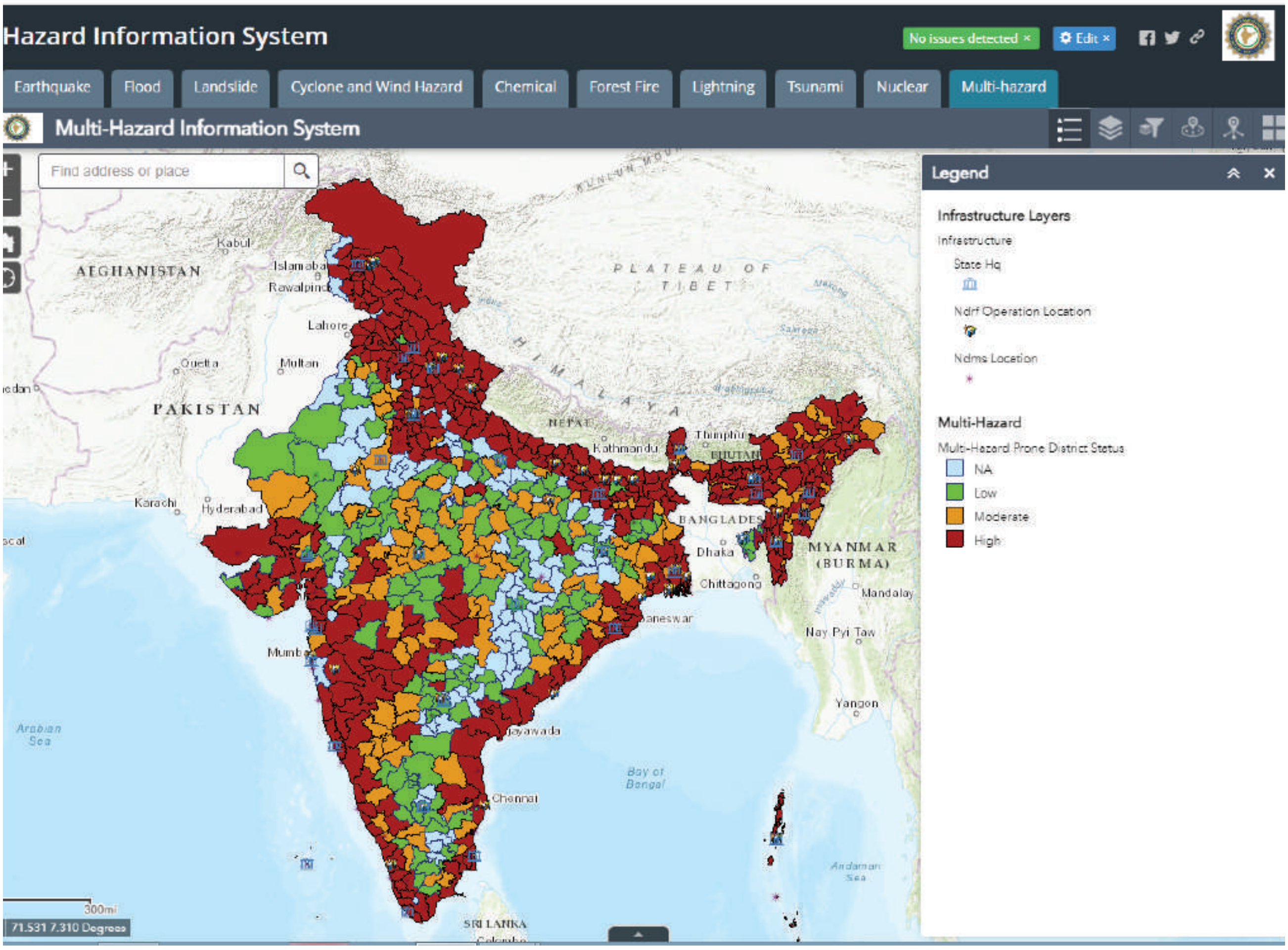

चित्र 3: ये आंकड़े खतरा सूचना प्रणाली के चक्रवात और हवा के खतरे और भूकंप टैब (अखिल भारतीय मानचित्र) को दर्शाते हैं

4.21 परियोजना-2 आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना में जीआईएस पर हितधारकों का क्षमता निर्माण:

2.1 एनईएसएसी के सहयोग से "आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीआईएस के अनुप्रयोग" पर प्रशिक्षण आयोजित करना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग पर सभी एसडीएमए और हितधारकों/आपदा प्रबंधकों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए एनडीएमए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन को प्रायोजित कर रहा है, जो उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी), उमियाम, मेघालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय और पांच दिवसीय प्रशिक्षण के लिए है। प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न राज्यों के कई प्रतिभागी शामिल हैं ताकि वे जीआईएस तकनीक के बारे में जागरुक हो सकें और इस प्रौद्योगिकी का उपयोग भूवैज्ञानिक आपदा या महामारी के समय निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। 2023-2024 के दौरान 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम (पांच दिन) आयोजित किया गया है और सभी एसडीएमए, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से लगभग 25 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है। परियोजना मार्च 2026 तक पूरी की जानी है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रतिभागी, निदेशक एनईएसएसी, मुख्य अतिथि (एनडीएमए), पाठ्यक्रम निदेशक और अधिकारी और संसाधन व्यक्ति

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रतिभागी, निदेशक एनईएसएसी, मुख्य अतिथि (एनडीएमए), पाठ्यक्रम निदेशक और अधिकारी और संसाधन व्यक्ति

4.22 राष्ट्रीय जीएलओएफ जोखिम प्रशमन कार्यक्रम (एनजीआरएमपी)

- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय हिमनदों के पीछे हटने और पिघलने के साथ-साथ मौजूदा हिमनद झीलों के बढ़ने और नई झीलों के निर्माण में भूमंडलीय ऊष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) के प्रभाव स्पष्ट हैं। जैसे-जैसे हिमनद सिकुड़ते हैं, पिघला हुआ पानी उन जगहों को भरता है जहाँ कभी बर्फ हुआ करती थी, जिससे हिमनद झीलें या बर्फ के 'बांध' बन जाते हैं। ये बांध, स्वाभाविक रूप से अस्थिर होते हैं, भूकंप, हिमस्खलन या ओवरटॉपिंग जैसे विभिन्न कारणों से अचानक टूटने या टूटने की संभावना होती है। जब इस तरह के टूटन होती है, तो लाखों क्यूबिक मीटर पानी और मलबा तेज़ी से निकल सकता है, जिससे सैकड़ों किलोमीटर तक नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ आ सकती है- एक ऐसी घटना जिसे हिमनदीय झील प्रस्फोट जनित बाढ़ (GLOF) के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य और क्षेत्रों में विशेष रूप से GLOF का जोखिम है।
- कार्यक्रम के उद्देश्य स्पष्ट हैं: जीएलओएफ से होने वाली जीवन की हानि को रोकना तथा आर्थिक क्षति को न्यूनतम करना, पूर्व चेतावनी और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना, स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना, तथा स्वदेशी ज्ञान और उन्नत प्रशमन उपायों को अपनाना।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है, जिसमें राज्यों को प्रशमन परियोजनाओं की पहचान, योजना और क्रियान्वयन का काम सौंपा जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यह सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के आपदा जोखिम न्यूनीकरण लक्ष्यों के अनुरुप है। यह मानते हुए कि GLOFs स्थान-विशिष्ट होते हैं, और संवेदनशीलता भौगोलिक, भूवैज्ञानिक और मानवीय कारकों के आधार पर कार्यान्वयन को विभिन्न चरणों में होती है। चरण-I चार हिमालयी राज्यों- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश- और दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख पर केंद्रित है।
- 18 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव ने एससी-एनईसी की अध्यक्षता की और एनजीआरएमपी को अंतिम मंजूरी के लिए एचएलसी के पास भेजा। इसके बाद, एनडीएमए ने 30 अक्टूबर 2023 से 8 अप्रैल 2024 तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति (सीओडीआरआर) की छह बैठकों की मेजबानी की। इस बैठक में भाग लेने वाले हितधारकों में डीआरडीओ, सीडब्ल्यूसी, सीडैक, जीएसआई, आईएमडी, आईआईआरएस, एनईएसएसी, एनआईएच, एनसीपीओआर, डीजीआरई, एनजीआरआई, एनआरएससी और छह हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एसडीएमए शामिल हैं।
- सीओडीआरआर का विचार-विमर्श एनडीएमए द्वारा भारत में 141 उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों के संकलन पर केंद्रित थीं, जो पिछले 15 वर्षों में एनआरएससी, सीडब्ल्यूसी, सीडैक, जीएसआई और एसडीसी2 द्वारा संकलित अध्ययनों पर आधारित थीं।

1- वर्गीकरण: केंद्रीय गृह सचिव के निर्देशानुसार, इन 141 झीलों को जोखिम के स्तर के आधार पर तीन श्रेणियों में प्राथमिकता दी गई, चौथा समूह यूसी (अवर्गीकृत) रहा।

State	No. of GL	A	B	C	UC
Unique GL - IHR	490	66	77	128	219
TB	302	24	40	66	172
Unique GL - India	**188**	**42**	**37**	**62**	**47**

2- नोडल के रूप में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: यह निर्णय लिया गया कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में जीएलओएफ प्रशमन को आगे बढ़ाएंगी, और उन्हें एजेंसी, केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थान की एक प्रमुख तकनीकी द्वारा सलाह दी जाएगी।

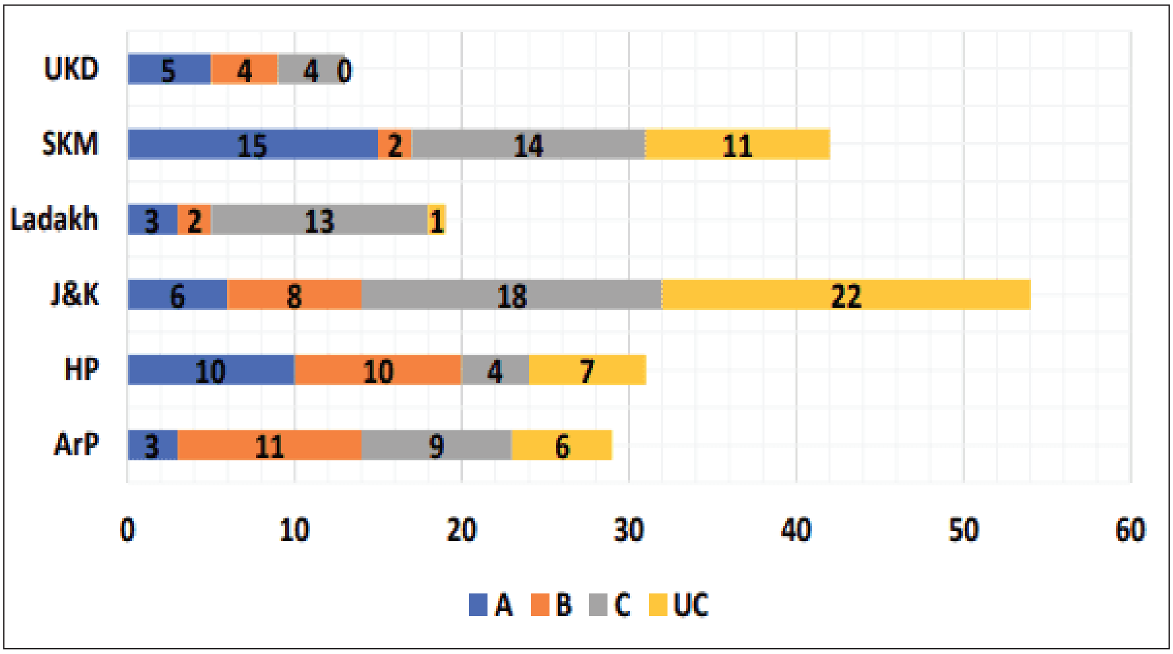

3- प्रमुख तकनीकी एजेंसी (एलटीए): मौजूदा अनुभव और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ काम करने के आधार पर, सीडैक ने सिक्किम सरकार और एनईएसएसी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ प्रमुख तकनीकी एजेंसी के रूप में काम करने की पेशकश की। सदस्यों ने इन एजेंसियों को हर संभव तकनीकी और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एलटीए को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

4- समन्वय: एनडीएमए इस तंत्र के माध्यम से उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों को जोखिम मुक्त करने के लिए समन्वय करना जारी रखेगा। हिमदन झीलों को जोखिम मुक्त करने की पहल को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी।

8 अप्रैल, 2024 को छठी CoDRR बैठक के बाद, राज्य एजेंसियों ने 2024 की गर्मियों के दौरान व्यवहार्यता अध्ययन करने और AWS/EWS स्थापित करने के लिए हिमनद झीलों पर केंद्रित अभियानों की योजना बनाने की घोषणा की है। 41 हिमनद झीलों (जैसा कि तालिका में सूचीबद्ध है) के लिए अभियानों की तैयारियों पर पाँच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। हालाँकि, लद्दाख बैठक में शामिल नहीं हो सका।

State / UT	Expeditions to No. of Glacial Lakes
Sikkim	19
Arunachal Pradesh	8
Himachal Pradesh	4
Uttarakhand	5
J&K	5
Ladakh	No information

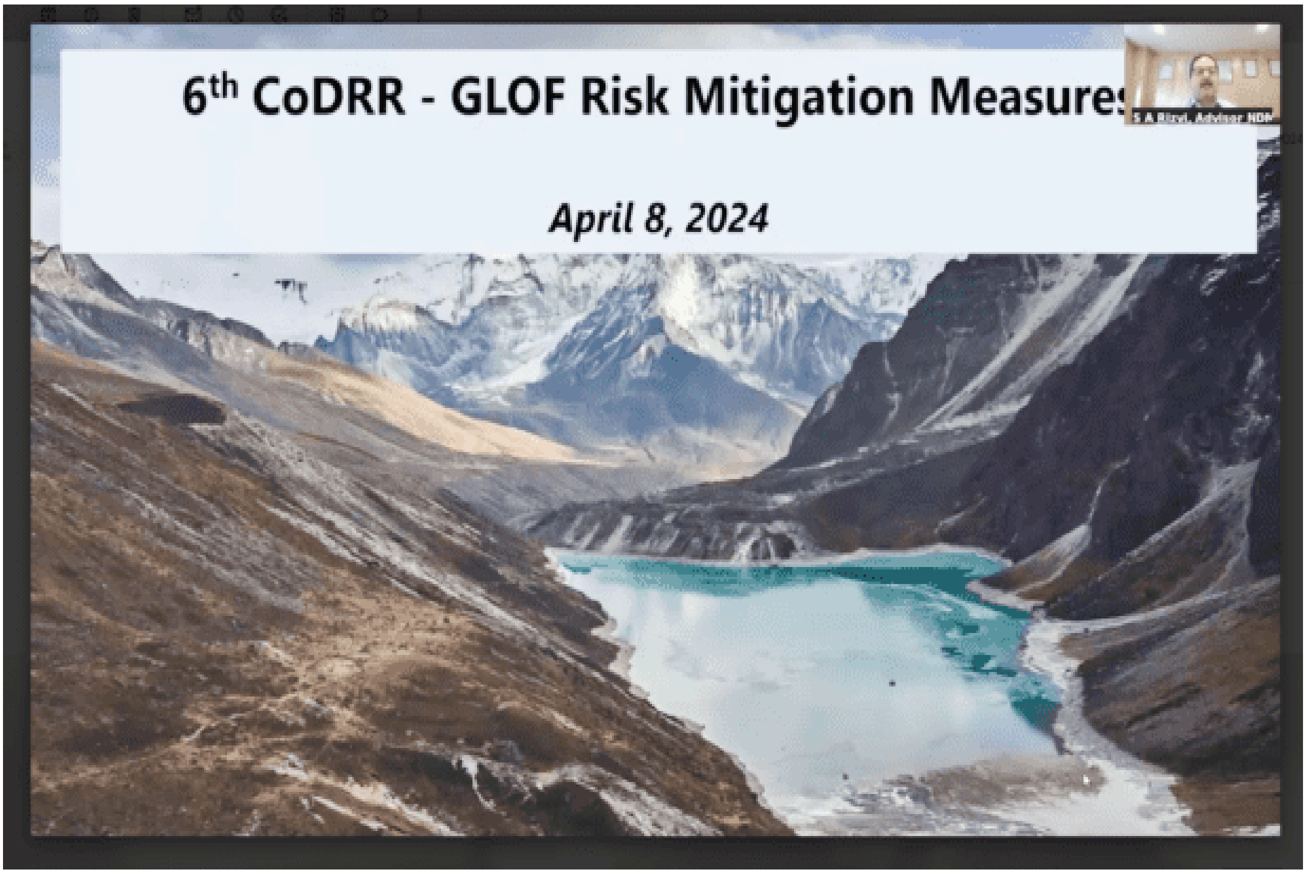
6th CoDRR - GLOF Risk Mitigation Measures
April 8, 2024
S A Rizvi, Advisor NDM

Dr Piyush Gourav
SC DMRRR
O/o Adv Mit
Dr K H V DurgaRao, NR
S A Rizvi, Advisor NDM
SDMA Arunachal Prade
Dr. Ranjit Kumar Sinha
CDAC

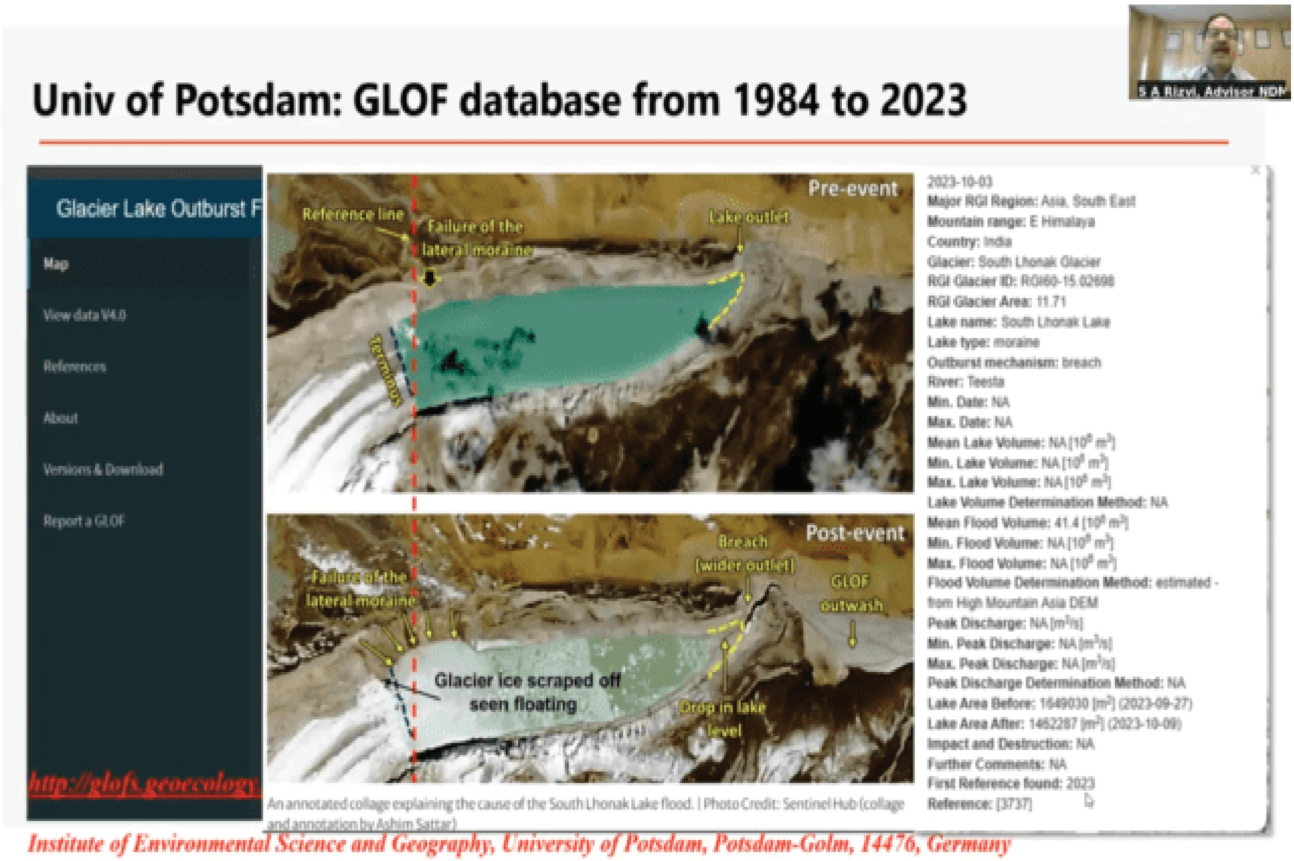
S A Rizvi, Advisor NDM
Univ of Potsdam: GLOF database from 1984 to 2023
Glacier Lake Outburst F
Map
View data V4.0
References
About
Versions & Download
Report a GLOF
http://glofs.geoecology
Pre-event
Reference line
Failure of the lateral moraine
Lake outlet
Terminus
Post-event
Breach (wider outlet)
GLOF outwash
Failure of the lateral moraine
Glacier ice scraped off seen floating
Drop in lake level
An annotated collage explaining the cause of the South Lhonak Lake flood. | Photo Credit: Sentinel Hub (collage and annotation by Ashim Sattar)
2023-10-03
Major RGI Region: Asia, South East
Mountain range: E Himalaya
Country: India
Glacier: South Lhonak Glacier
RGI Glacier ID: RGI60-15.02698
RGI Glacier Area: 11.71
Lake name: South Lhonak Lake
Lake type: moraine
Outburst mechanism: breach
River: Teesta
Min. Date: NA
Max. Date: NA
Mean Lake Volume: NA [10^6 m^3]
Min. Lake Volume: NA [10^6 m^3]
Max. Lake Volume: NA [10^6 m^3]
Lake Volume Determination Method: NA
Mean Flood Volume: 41.4 [10^6 m^3]
Min. Flood Volume: NA [10^6 m^3]
Max. Flood Volume: NA [10^6 m^3]
Flood Volume Determination Method: estimated - from High Mountain Asia DEM
Peak Discharge: NA [m^3/s]
Min. Peak Discharge: NA [m^3/s]
Max. Peak Discharge: NA [m^3/s]
Peak Discharge Determination Method: NA
Lake Area Before: 1649030 [m^2] (2023-09-27)
Lake Area After: 1462287 [m^2] (2023-10-09)
Impact and Destruction: NA
Further Comments: NA
First Reference found: 2023
Reference: [3737]
Institute of Environmental Science and Geography, University of Potsdam, Potsdam-Golm, 14476, Germany

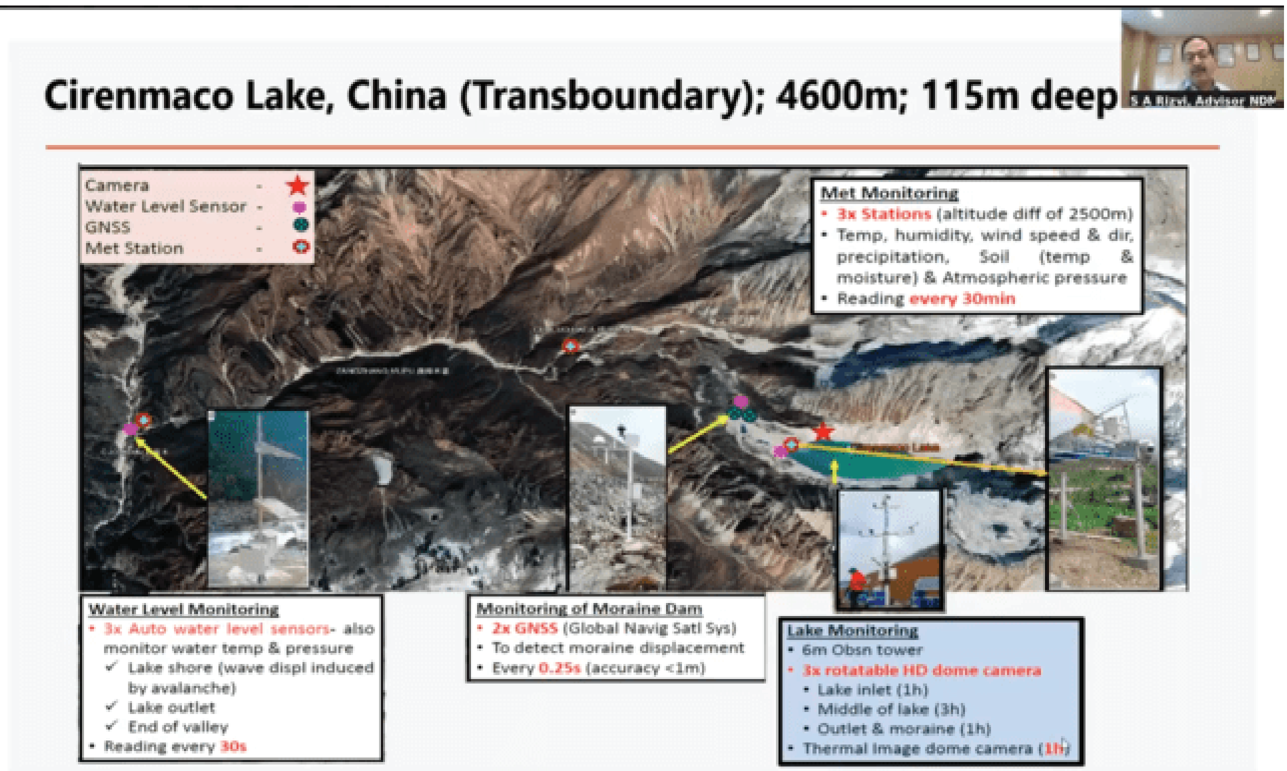
Cirenmaco Lake, China (Transboundary); 4600m; 115m deep
S A Rizvi, Advisor NDM
Camera -
Water Level Sensor -
GNSS -
Met Station -
Met Monitoring
3x Stations (altitude diff of 2500m)
Temp, humidity, wind speed & dir, precipitation, Soil (temp & moisture) & Atmospheric pressure
Reading every 30min
Water Level Monitoring
3x Auto water level sensors- also monitor water temp & pressure
Lake shore (wave displ induced by avalanche)
Lake outlet
End of valley
Reading every 30s
Monitoring of Moraine Dam
2x GNSS (Global Navig Satl Sys)
To detect moraine displacement
Every 0.25s (accuracy <1m)
Lake Monitoring
6m Obsn tower
3x rotatable HD dome camera
Lake inlet (1h)
Middle of lake (3h)
Outlet & moraine (1h)
Thermal Image dome camera (1h)

अध्याय-5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक दृष्टिकोण पर सभी हितधारकों की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही किसी कार्य को कारगर ढंग से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरुकता सृजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) आदि शामिल होते हैं। साथ ही, इसमें आपदाओं की प्रभावी रोकथाम और उनसे निपटने के लिए समुचित संस्थागत रुपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और संसाधनों के आबंटन से संबंधित समाधान किया जाता है।

5.2 क्षमता विकास के दृष्टिकोण में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

- प्रादेशिक विविधताओं और बहु-संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से समुदायों की विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआआरआर) प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से और स्थानीय स्तर के कार्यान्वयन प्रभारी प्राधिकारी की परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले ज्ञान-आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुरुपणों (सिमुलेशंस), कृत्रिम अभ्यासों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा मोचन दलों की क्षमता का विश्लेषण।

आपदा मित्र योजना का उन्नयन

5.3 पायलट योजना की सफलता के साथ-साथ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सराहना किए जाने और उनके अनुरोध करने पर मार्च 2024 तक, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप की आशंका वाले 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अत्यधिक संवेदनशील 350 जिलों में 100000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 369.40 करोड़ रुपये की कुल लागत पर एनडीएमए *अप-स्केलिंग आपदा मित्र योजना लागू कर रहा है।* इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को एक आपातकालीन मोचक किट (ERK) और साथ ही बीमा, जिसमें अस्पताल का खर्च/स्थायी आशक्तता/मत्यु शामिल है, उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, चुने गए प्रत्येक जिले को आपातकालीन अनिवार्य संसाधन निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का मार्च, 2024 तक एक वर्ष के लिए विस्तार किया गया था।

5.4 इस योजना को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) की तैयारी और क्षमता-निर्माण फंडिंग विंडो से वित्त पोषित किया जा रहा है।

योजना की स्थिति (31.3.2024 तक) इस प्रकार है:

1. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा योजना के अंतर्गत 96600 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है।

3. कुल प्रशिक्षित स्वयंसेवकों में से 83132 स्वयंसेवकों का बीमा किया गया है।

4. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आपदा मित्र एमआईएस पोर्टल में 94870 का डेटा फीड किया गया है।

5. 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईआरके क्रम कर लिए गए हैं और 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईईआरआर की व्यवस्था कर ली गई है।

6. ₹369.41 करोड़ में से ₹352.92 करोड़ की राशि या तो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है या एनडीएमए स्तर पर खर्च की गई है।

7. 88 घटनाओं में 2,953 से अधिक स्वयंसेवकों में बहादुर आपदा मित्र स्वयंसेवक शामिल थे। उन्होंने अब तक 78,019 लोगों को बचाया है और 129 लोगों की जान बचाई है, जो उनकी दृढ़ निष्ठा, प्रतिबद्धता और योजना के वांछित परिणाम को दर्शाता है।

8. आपदा मित्र योजना के विस्तार के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रदर्शित करने और आपदा-रोधी समाज के निर्माण में आपदा मित्र स्वयंसेवकों के समर्पण, बहादुरी और निस्वार्थता का सम्मान करने के लिए, एनडीएमए ने अपने 19वें स्थापना दिवस पर **"आपदा मित्र संकल्पना एवं उपलब्धियाँ: Key Concept and Achievements"** शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका का उद्देश्य योजना की अवधारणा और आपदा मित्र स्वयंसेवकों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करना है।

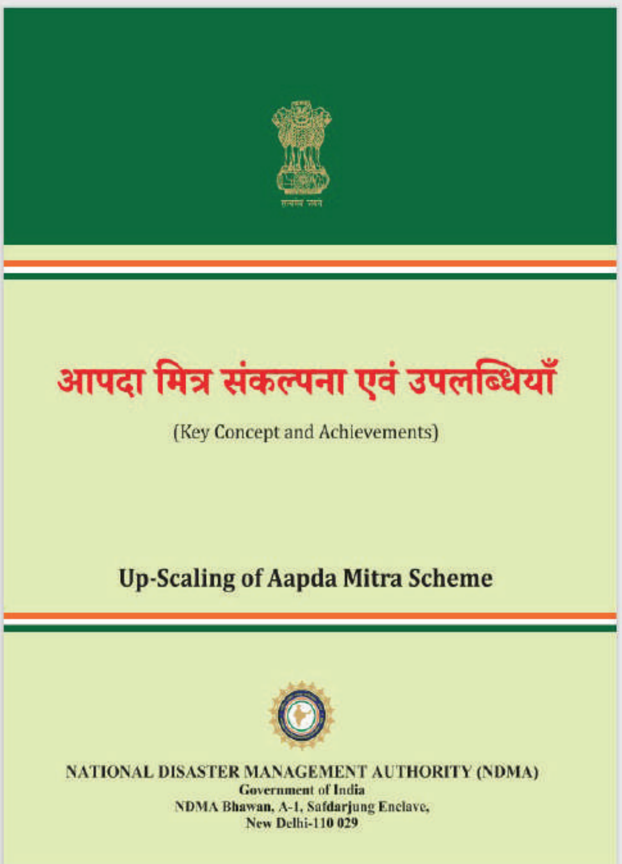

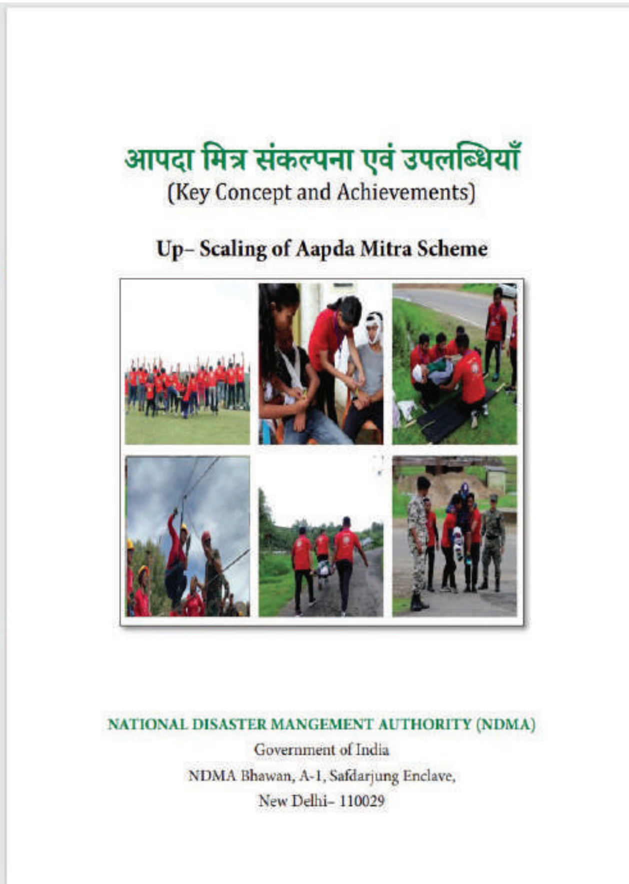

9. 22.7.2022 को बेंगलुरु में और 8.12.2022 से 9.12.2022 तक गुवाहाटी में आयोजित समीक्षा कार्यशालाओं के अनुसरण के रूप में, एनडीएमए ने हरियाणा सरकार के सहयोग से 11 अगस्त, 2023 को सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में "आपदा मित्र योजना के उन्नयन के सर्वोत्तम अभ्यासों की समीक्षा और दस्तावेज़ीकरण" शीर्षक से एक और कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य योजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना, प्रशिक्षण मॉडल और कार्यप्रणाली का आकलन करना, चुनौतियों की पहचान करना और आपदा मोचन और तैयारी गतिविधियों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के उपयोग का दस्तावेज़ीकरण करना था। कार्यशाला ने सभी परियोजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने फीडबैक और सुझाव और उनके द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

सूरजकुंड कार्यशाला छवियाँ

सूरजकुंड, हरियाणा में अगस्त, 2023 को आयोजित "आपदा मित्र योजना के विस्तार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा और दस्तावेजीकरण" पर कार्यशाला के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उपस्थित लोग एकत्रित हुए।

सीडीएम, एलबीएसएनएए में आपदा प्रबंधन में आईएएस/केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण परियोजना

5.5 एनडीएमए आपदा प्रबंधन केन्द्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी पर प्रतिवर्ष 950 अधिकारियों को पांच वर्षों 2021-22 (फरवरी, 22) से 2025-26 तक के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कुल रु. 3.75 करोड़ परिव्यय पर परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

5.6 परियोजना का लक्ष्य सरकार के विभिन्न कार्यपालकों और नीति निर्माण स्तरों पर आपदा प्रबंधन की मौजूदा प्रणालियों के प्रति संवेदनशील बनाना; मामले का अध्ययन करना; और आपदा प्रबंधन पर ज्ञान भंडार विकसित करना है।

5.7 वित्तीय वर्ष 2023-24 में परियोजना के तहत 1369 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। अब तक परियोजना के तहत 3308 अधिकारियों (वित्त वर्ष 2021-22 - 488, वित्त वर्ष 2022-23-1451, और वित्त वर्ष 2023-24 - 1369) को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

संयुक्त निगरानी समिति (जेएमसी) की 15वीं बैठक

5.8 स्कूल सुरक्षा नीति-2016 पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वियन के लिए राज्यों और अन्य हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एनडीएमए की सलाहकार (सीबीटी) सुश्री सुमिता सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समिति (जेएमसी) की 15वीं बैठक 15.3.2024 को वर्चुअल रुप से आयोजित की गई।

दक्षेस (सार्क) आपदा प्रबंधन केंद्र (आईयू) की 8वीं अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक

5.9 दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र (आईयू) की गतिविधि योजना 2024-25 और कुशल कामकाज के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एनडीएमए के सदस्य और प्रभारी सचिव श्री कमल किशोर की अध्यक्षता में 8वीं अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक दिनांक 19.03.2024 को एनडीएमए में आयोजित की गई।

अंतरराष्ट्रीय बैठकें/द्विपक्षीय बैठकें/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

5.10 एनडीएमए, भारत सरकार ने एससीओ सदस्य देशों के साथ भूकंप और बाढ़ पर जानकारी साझा करने के लिए वर्चुअल मोड में क्रमशः 23.02.2023 और 24.02.2023 को संरचित कार्यशाला की मेजबानी की। एससीओ सदस्य देशों के विशेषज्ञों ने भूकंप और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में अपने विचार और अनुभव प्रस्तुत किए।

5.11 भारत सरकार ने एससीओ गतिविधियों के आपदा प्रबंधन मुद्दों पर आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम के लिए एससीओ सदस्य देशों की विशेषज्ञ समूह बैठक और मंत्रिस्तरीय बैठक क्रमशः 19.04.2023 और 20.04.2023 को हाइब्रिड मोड में लीला पैलेस, नई दिल्ली में आयोजित की।

5.12 बांग्लादेश ने हिन्द महासागर तटीय क्षेत्र केंद्र (आईओआरए) कार्यात्मक निकायों के अध्यक्षों और समन्वय देशों (एफबीसी-सीसी) की तीसरी और चौथी बैठक की वर्चुअल मेजबानी क्रमशः 29.05.2023 और 25.09.2023 को मेजबानी की। भारत की ओर से एनडीएमए, भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

5.13 दक्षिण अफ्रीका ने क्रमशः 07.09.23 और 08.09.2023 को 5वीं ब्रिक्स संयुक्त कार्य बल बैठक (जेटीएफ) और ब्रिक्स की चौथी मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की। श्री आशीष वी गवई, निदेशक, डीएम डिवीजन, एमएचए; सुश्री मृणालिनी श्रीवास्तव, निदेशक (जी20), एनडीएमए; श्री आर.के. मिश्रा, अवर सचिव (सीबीटी), एनडीएमए ने भारत की ओर से 5वीं ब्रिक्स जेटीएफ में वर्चुअली भाग लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, सदस्य, एनडीएमए ने ब्रिक्स की चौथी मंत्रिस्तरीय वर्चुअली बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

5.14 रुस के EMERCOM ने 15.2.2024 को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) से संबंधित मुद्दों पर ब्रिक्स आपदा जोखिम प्रबंधन केंद्र का प्रशिक्षण वर्चुअली आयोजित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में

एनडीएमए के संयुक्त सलाहकार श्री नवल प्रकाश और गृह मंत्रालय के डीएम डिवीजन के सेकेंड-इन-कमांड श्री अवनीश कुमार ने भाग लिया।

विदेश यात्रा/दौरे:

5.15 श्री कमल किशोर, सदस्य और विभागाध्यक्ष, एनडीएमए ने 18.05.2023 से 19.05.2023 तक न्यूयॉर्क, यूएसए में जनरल असेंबली की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसमें सेंडाई फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और जिसमें कई सत्र, साइड इवेंट और विषयगत कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि विभिन्न सेक्टरों, क्षेत्रों और संदर्भों में जोखिम कम करने के प्रयासों को कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने 17.09.2023 से 19.09.2023 तक न्यूयॉर्क, यूएसए में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एसडीजी शिखर सम्मेलन में वैश्विक मंच पर सीडीआरआई के प्रतिनिधि के रूप में भी भाग लिया। उन्होंने 12 से 15 मार्च, 2024 को बेलाजियो सेंटर, इटली में सीडीआरआई के सह-अध्यक्ष के रूप में 'आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए वैश्विक संस्थागत वास्तुकला को मजबूत करना' पर एक कार्यक्रम में भी भाग लिया।

5.16 श्री आलोक, अपर सचिव, एनडीएमए ने जलवायु परिवर्तन प्रभावों और अन्य से जुड़े नुकसान और क्षति के लिए वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र के तहत सैंटियागो नेटवर्क से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए 05.06.2023 से 09.06.2023 तक वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, बॉन, जर्मनी में यूएनएफसीसीसी के सहायक निकायों के 58वें सत्र में भाग लिया।

5.17 श्री कुणाल सत्यार्थी, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने 20.08.2023 से 26.08.2023 तक ऑक्सफोर्ड, यूके में ईसीबीआई फेलोशिप 2023 और ऑक्सफोर्ड सेमिनार और फेलो कॉलोक्वियम में भाग लिया।

5.18 कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार), ने अनुभवों को साझा करने तथा निष्पादन अवगत कराने और आकस्मिक बाढ़ मार्ग दर्शन प्रणाली (एफएफजीएस) की नूतन क्षमताओं को समझाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एफएफजीएस का प्रयोग करने वाले भविष्य वक्ताओं को एक साथ लाने के लिए स्कोपिये, उत्तरी मैसेडोनिया में दिनांक 19 से 23 जून, 2023 तक आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

5.19 सुश्री मृणालिनी श्रीवास्तव, निदेशक जी20, एनडीएमए ने आपदा और महामारी जोखिम वित्तपोषण के लिए सक्षम वातावरण को मजबूत करने: आपदा और महामारी जोखिम वित्तपोषण तंत्र, विधियों और केस स्टडीज को समझने के लिए वित्तीय समुत्थानशील बढ़ाने के विकल्प, पर दिनांक 19.09.2023 से 20.09.2023 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित क्षेत्रीय फोरम में भाग लिया।

5.20 डॉ. पवन कुमार सिंह, संयुक्त सलाहकार (आईसी), एनडीएमए ने एएचए सेंटर, जकार्ता में व्यवस्था से परिचित होने के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए 10.1.2024 से 12.1.2024 तक एएचए सेंटर, जकार्ता का दौरा किया।

5.21 लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव कुमार शाही, संयुक्त सलाहकार (ऑपरेशन), एनडीएमए ने 2023 नेपाल आपदा मोचन अभ्यास और आदान-प्रदान में भाग लेने के लिए 6.11.2023 से 10.11.2023 तक काठमांडू और चितवन, नेपाल का दौरा किया। उन्होंने 28.11.2023 से 30.11.2023 तक बैंकॉक, थाईलैंड में केयर फॉर साउथ एशिया परियोजना के घटक 1 की दूसरी क्षेत्रीय कार्यशाला में भी भाग लिया।

5.22 श्री अभिषेक शर्मा, एसआरओ, एनडीएमए ने 16.05.2023 से 18.05.2023 तक बैंकॉक, थाईलैंड में "रत्चाफ्रूएक (Ratchaphruek)" नामक एक चिकित्सा मोचन कार्यशाला और टेबल टॉप अभ्यास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

5.23 श्री चंदन सिंह, अवर सचिव, एनडीएमए ने 29.05.2023 से 09.06.2023 तक स्लोवाकिया में आयोजित सीबीआरएन-ई रक्षा और सुरक्षा क्षमता विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

5.24 राष्ट्रीय आकाशीय बिजली प्रशमन कार्यक्रम (एनएलएमपी)

जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए, एनडीएमए ने विभिन्न हितधारकों अर्थात् संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और संस्थानों के परामर्श से आकाशीय बिजली सुरक्षा पर प्रशमन कार्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया शुरु की है। कार्यक्रम के अनुमोदन के बाद, कार्यक्रम दस्तावेज़ को विचार के लिए गृह मंत्रालय के साथ साझा किया गया।

राष्ट्रीय आकाशीय बिजली प्रशमन कार्यक्रम के मसौदे पर चर्चा के लिए 05.06.2023 को अपर सचिव (डीएम) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। माननीय गृह मंत्री ने 16.07.2023 को एनडीएमए की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की और निदेश दिया कि कार्यक्रम का ध्यान बिजली गिरने के दौरान सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने पर होना चाहिए। तदनुसार, कार्यक्रम दस्तावेज को जागरूकता पैदा करने पर जोर देते हुए बिजली सुरक्षा पर प्रशमन परियोजना (एमपीएलएस) संशोधित किया गया और अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय के साथ साझा किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति की बैठक 18.01.2024 को हुई और कार्यक्रम के घटकों और उप-घटकों की समीक्षा की गई। जैसा कि सुझाव दिया गया था, कार्यक्रम को संशोधित किया गया और अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम पर विचार करते समय व्यय विभाग ने कई टिप्पणियां कीं और एनडीएमए से जवाब मांगा। इस संबंध में एनडीएमए ने वित्त विभाग को जवाब भिजवाने के लिए गृह मंत्रालय के साथ साझा किया।

5.25 आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली के लिए तैयारी और प्रशमन उपाय

एनडीएमए ने आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली के लिए सलाह और 'क्या करें और क्या न करें' तैयार की है और आवश्यक कार्रवाई के लिए 18.03.2024 को पत्र के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया है।

एनएमडीए ने 16.04.2024 को प्रमुख राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ एनडीएमए भवन, नई दिल्ली में एनडीएमए के सदस्य श्री कृष्ण एस वत्स की अध्यक्षता में आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली के लिए तैयारी और प्रशमन उपायों की समीक्षा की। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को होने वाली मौतों को कम करने के लिए अधिक प्रभावी तरीके से तैयारी और प्रशमन उपाय करने की सलाह दी।

5.26 राष्ट्रीय पुनर्बहाली संसाधन केंद्र (एनआरसीसी):

XVवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत 30 प्रतिशत संसाधन से पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण सुविधा स्थापित की जाए, ताकि दीर्घकालिक आधार पर आपदाओं से प्रभावित लोगों की परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और आजीविका की पुनर्बहाली की जा सके।

एनडीएमए ने राष्ट्रीय पुनर्बहाली संसाधन केंद्र (एनआरआरसी) का मसौदा तैयार किया और एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। मसौदे को स्वीकार किए जाने पर, प्रस्ताव को 08.03.2024 को एनडीएमए के सदस्य और विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया। एनडीएमए ने एनडीएमए में राष्ट्रीय पुनर्बहाली संसाधन केंद्र (एनआरआरसी) की स्थापना के लिए 22.03.2024 को कार्यालय आदेश जारी किया।

5.27 आपदा प्रबंधन में ड्रोन/यूएवी की संभावित भूमिका का अध्ययन

प्रधानमंत्री के एजेंडा 5 अर्थात "आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना" के अनुसरण में, एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से 'आपदा प्रबंधन में यूएवी/ड्रोन की संभावित भूमिका पर अध्ययन' करने का प्रस्ताव शुरु किया।

संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (सीएएसआर), अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई को परियोजना सौंपी गई। अध्ययन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान, विशेषज्ञ समिति सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा और परामर्श हुए। 28 जनवरी, 2022

को जारी ड्रोन नियम, 2021 को ध्यान में रखते हुए मसौदा अध्ययन रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया। 09.11.2023 को आयोजित बैठक में, सीएएसआर को दो अलग-अलग दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया गया। ड्रोन/यूएवी के उपयोग के लिए मसौदा दिशानिर्देश: (i) अवसर और बाधाएं, (ii) राज्यों के लिए एसओपी (क्षेत्रीय और आपदा-वार विनिर्देशों में)। सीएएसआर द्वारा प्रस्तुत इन दस्तावेजों को 11.03.24 को आयोजित विशेषज्ञ बैठक के दौरान विशेषज्ञ सदस्यों की टिप्पणियों/सुझावों को शामिल करने की शर्तों पर इसे अनुमोदित कर दिया गया।

5.28 कटाव पर प्रशमन उपाय और कटाव से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास नीति

XVवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय आपदा प्रशमन कोष (एनडीएमएफ) के तहत कटाव (तटीय और नदी) को रोकने के लिए प्रशमन उपायों और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत कटाव (तटीय और नदी) से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास नीति के लिए उपयुक्त मानदंड विकसित करने की सिफारिश की। एनडीएमए ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थानों और संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए और अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया। गृह मंत्रालय के सुझावों के अनुसार, ये दस्तावेज अर्थात प्रशमन उपायों और पुनर्वास नीति के मानदंडों को पुन: संशोधित किया गया तथा 25.01.2024 को गृह मंत्रालय के साथ साझा किया गया।

व्यय विभाग ने कटाव से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास नीति और कटाव पर प्रशमन उपायों के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों पर अपनी टिप्पणी दिनांक 15.02.2024 के अपने पत्र के माध्यम से भेजी। व्यय विभाग की टिप्पणियों के प्रति सुझाव तैयार किए गए तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एनडीएमए के दिनांक 07.03.2024 के पत्र के माध्यम से डीएम प्रभाग गृह मंत्रालय को भेजे गए।

5.29 शीत लहर और पाला ऋतु 2023-24 के लिए तैयारी और प्रशमन उपाय

एनडीएमए ने शीत लहर से प्रभावित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित मंत्रालय/विभागों के साथ दिनांक 19.12.2023 के एनडीएमए कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2023-24 के लिए शीत लहर के लिए परामर्श और क्या करें और क्या न करें साझा किए, ताकि व्यापक प्रसार हो सके।

तैयारियों और प्रशमन उपायों की समीक्षा के लिए 21.12.2023 को शीत लहर की आशंका वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ सदस्य और विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में एनडीएमए भवन, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विचार-विमर्श के दौरान, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी कार्य योजना तैयार करें और उसकी एक प्रति एनडीएमए के साथ साझा करें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर राज्यों को विशेष रुप से आगामी मौसम के लिए तैयार रहने और आवश्यक तैयारी और प्रशमन उपाय सुनिश्चित करने की सलाह दी गई।

5.30 राज्यों में पीडीएनए अभ्यास:

(क) मानसून-2022 के दौरान भीषण बाढ़ के बाद 8 राज्यों में आपदोत्तर आकलन आवश्यकता (पीडीएनए) अभ्यास

मानसून सीजन 2022 के दौरान कई प्रदेशों में बाढ़ की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, एनडीएमए ने विचार किया कि क्षति, हानि एवं पुनर्बहाली का आकलन करने के लिए द्वितीय चरण का आकलन अर्थात परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना और आजीविका को पुनर्बहाली के लिए दीर्घकालीन आधारित पीडीएनए आवश्यक है। तद्नुसार प्रभावित राज्यों, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, और ओडिशा में पीडीएनए अभ्यास किए गए।

एनडीएमए ने श्री कृष्ण एस वत्स, सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में राज्यों द्वारा प्रस्तुत पीडीएनए रिपोर्टों की जांच की और उनकी रिपोर्ट में आवश्यक सुधार/संशोधन के लिए सुझाव दिया। राज्यों से प्राप्त संशोधित पीडीएनए रिपोर्टों के बाद, एनडीएमए ने इन रिपोर्टों की समीक्षा की और महसूस किया कि राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और मेघालय की रिपोर्ट सही हैं। इसलिए, एनडीएमए ने इन राज्यों के संबंध में अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय को कुल 4056.46 करोड़ रुपये की सहायता की सिफारिश की।

(ख) 2023 में भूस्खलन और धंसाव से प्रभावित उत्तराखंड का जोशीमठ

दिसंबर 2022 में, चमोली जिले के जोशीमठ शहर को भूमि धंसाव की समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे क्षेत्र में भूमि धीरे-धीरे धंसने लगी। भूमि धंसाव ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में निर्मित पर्यावरण को प्रभावित किया। उत्तराखंड सरकार के आपदा एवं पुनर्वास विभाग के अनुरोध को आपदा प्रबंधन, गृह विभाग ने अपने दिनांक 21.03.2023 के पत्र के माध्यम से एनडीएमए को स्थान-विशिष्ट पीडीएनए अभ्यास के संचालन के लिए तकनीकी सहायता और अपेक्षित विशेषज्ञता प्रदान करने की सलाह दी।

एनडीएमए ने पीडीएनए अभ्यास के संचालन के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) तैयार की और राज्य सरकार के साथ अभिविन्यास बैठकें आयोजित कीं। इसके तुरंत बाद, एनडीएमए ने अभ्यास को सुविधाजनक बनाने में राज्य सरकार और तकनीकी संस्थानों के नामित अधिकारियों/विशेषज्ञों की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से एक संयुक्त पीडीएनए अभ्यास की स्थापना की। जोशीमठ में हुए नुकसान और क्षति का आकलन करने के लिए पीडीएनए अभ्यास 22-25 अप्रैल, 2023 के दौरान आयोजित किया गया था। राज्य सरकार ने पीडीएनए रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया और 28.06.2023 को एनडीएमए को सौंप दिया। एनडीएमए ने रिपोर्ट की समीक्षा की और क्षेत्रवार आकलन किया और सहायता करने के लिए गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजी। उत्तराखंड सरकार को विशेष सहायता देने के लिए पीडीएनए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एससी-एनईसी की 12.09.2023 को बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 27.11.2023 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने उत्तराखंड सरकार को आरएंडआर विंडो के तहत 1079.96 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की।

(ग) हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मानसून 2023 के दौरान बाढ़, बादल का फटना और भूस्खलन

हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने पत्र संख्या आर ई वी (डीएमसी) (एफ)-2-2/2023-पीडीएनए-मानसून दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से एनडीएमए से दीर्घकालिक पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण योजना के लिए राज्य में नुकसान और क्षति का आकलन करने के लिए पीडीएनए अभ्यास आयोजित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया।

राज्य में हुए नुकसान और क्षति का आकलन करने के लिए, एनडीएमए ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक संयुक्त विशेषज्ञ समूह गठित किया और 08-12 अगस्त, 2023 के दौरान छह जिलों अर्थात चंबा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, शिमला और सोलन में पीडीएनए अभ्यास का पहला चरण आयोजित किया। इसके बाद, हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) के अनुरोध के अनुसार, शेष छह जिलों अर्थात कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर और लाहौल और स्पीति के लिए 16-19 सितंबर, 2023 के दौरान दूसरे चरण का पीडीएनए अभ्यास आयोजित किया गया।

पीडीएनए अभ्यास पूरा होने पर, राज्य सरकार ने रिपोर्ट की स्वीकृति के लिए एनडीएमए को एक प्रति के साथ 25.11.2023 को गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनडीएमए ने रिपोर्ट की जांच की और अनुमोदन के लिए 20.02.2024 को गृह मंत्रालय को 2787.60 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की सिफारिश की। इसके बाद, 05.03.2024 को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में SEC-NEC की बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि सहायता को अंतिम रूप दिया जाएगा, बशर्ते कि आर एंड आर दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाए।

(घ) सिक्किम में पीडीएनए अभ्यास:

3-4 अक्टूबर, 2023 को, भारत के सिक्किम के मंगन जिले में स्थित एक हिमनद झील, दक्षिण लहोनक झील का निकास मार्ग के ऊपर सैलाब होने के कारण तीस्ता नदी बेसिन में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सिक्किम के चार जिले: मंगन, गंगटोक, पाकयोंग और नामची प्रभावित हुए। यह आपदा संभवतः कई कारकों के संयोजन से शुरू हुई थी, जिसमें भारी मानसून की बारिश, हिमनद का पीछे हटना और पार्श्व मोराइन के एक हिस्से का कटाव शामिल था।

सिक्किम राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 21.10.2023 के माध्यम से एनडीएमए से दीर्घकालिक पुनर्बहाली और

पुनर्निर्माण योजना के लिए राज्य में नुकसान और क्षति का आकलन करने के लिए PDNA अभ्यास आयोजित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। इस संबंध में, एनडीएमए ने संदर्भ की शर्तें (टीओआर) तैयार कीं और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन-सह-प्रशिक्षण आयोजित किया। एनडीएमए ने दिनांक 01.12.2023 के पत्र के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक संयुक्त विशेषज्ञ समूह का गठन किया और पीडीएनए अभ्यास के संचालन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु 7-10 दिसंबर, 2023 के दौरान राज्य का दौरा किया।

पीडीएनए अभ्यास के पूरा होने के बाद, राज्य सरकार ने पीडीएनए रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया और समीक्षा के लिए एनडीएमए को प्रस्तुत किया। विशेषज्ञ समूह ने पीडीएनए रिपोर्ट की समीक्षा की और 01.03.2024 को सुझावों के साथ रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी।

5.31 समेकित चेतावनी तंत्र (सचेत) पर आधारित सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी)" चरण- I

परिचय

- भारत सरकार गृह मंत्रालय और एनडीएमए के माध्यम से समेकित चेतावनी तंत्र (सचेत) पर आधारित एक परियोजना "सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी)" चरण-I को कार्यान्वित कर रही है।
- हिंदी शब्द 'समेकित चेतना तंत्र' के पहले अक्षरों से लिया गया संक्षिप्त नाम 'सचेत', सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल आधारित समेकित चेतावनी तंत्र को विभिन्न चेतावनी एजेंसियों जैसे आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, आईएनसीओआईएस, डीजीआरई, एफएसआई आदि को एक ही वेब-आधारित प्लेटफॉर्म पर लाने और आम लोगों और मोचन एजेंसियों को भू-विशिष्ट चेतावनी जारी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चेतावनी को एसएमएस, इंटरनेट एप्लिकेशन, मोबाइल ऐप, सैटेलाइट चैनल जैसे गगन और नाविक और सोशल मीडिया आदि सहित कई चैनलों के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी सहित स्थानीय भाषाओं में वास्तविक समय में प्रसारित किया जा सकता है।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रतिपादित 'आत्मनिर्भर भारत' के मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत विकसित सचेत को आपदा प्रतिरोधी भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे नागरिक समय रहते आसन्न आपदा के लिए तैयार हो सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) त्वरित कार्रवाई कर सकें और बहुमूल्य जीवन बचा सकें।
- इस परियोजना को एनडीएमए द्वारा दूरसंचार विभाग (डीओटी) के तहत अनुसंधान एवं विकास संगठन के सीडोट (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स) के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है।

समेकन और विस्तार:

- पूर्व चेतावनी संदेशों के प्रसार के लिए इस मंच को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तक विस्तारित किया गया है। आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, एफएसआई, आईएनसीओआईएस और डीजीआरई सहित प्रमुख पूर्वानुमान एजेंसियों को चेतावनी जनरेटिंग एजेंसी के रूप में मंच के साथ समेकित किया गया है। यह मंच भू-लक्षित मोबाइल एसएमएस चेतावनी के लिए देश में सक्रिय सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ भी समेकित है।

अब तक की कार्यान्वयन की स्थिति

- भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (CAP) का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।
- चेतावनी के प्रसार के लिए टेलीविज़न, रेडियो और भारतीय रेलवे के साथ-साथ सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अवधारणा प्रमाण (PoC) परीक्षण किए गए हैं।
- सचेत मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल का शुभारंभ जनता को वास्तविक समय चेतावनी और सुरक्षा जानकारी प्रदान करके सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (CAP) कार्यान्वयन में सहायता करता है, जिससे आपात स्थिति के दौरान तैयारी और समुत्थानशीलता बढ़ता है।

2023-2024 की अवधि के दौरान की गई गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

- सेल ब्रॉडकास्ट एक सेलुलर नेटवर्क तकनीक है जो लाखों मोबाइल फोन पर एक साथ संदेशों की तेज़ डिलीवरी को सक्षम बनाती है। संचार के अन्य रूपों के विपरीत, सेल ब्रॉडकास्ट नेटवर्क अवरोध से अप्रभावित रहता है, जिससे यह आपदा की स्थिति में उपयोग के लिए उस समय अत्यधिक प्रभावी हो जाता है जब समय की बहुत कमी होती है। यह तकनीक मोबाइल डिवाइस पर तुरंत पॉप-अप नोटिफिकेशन और चेतावनी ध्वनि देती है, जिससे उपयोगकर्ताओं का ध्यान बिना किसी देरी के चेतावनी की ओर आकर्षित होता है। सीएपी परियोजना के चरण-1 के भाग के रूप में, सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सीएपी का परीक्षण अवधारणा के प्रमाण के भाग के रूप में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

चित्र 1: सेल ब्रॉडकास्ट परीक्षण

- वर्ष के दौरान विभिन्न हितधारकों के लिए सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) के उपयोग पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शामिल एजेंसियां प्रभावी आपातकालीन संचार और चेतावनी प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में कुशल हैं।

सिस्टम का उपयोग और प्रभावकारिता

- विभिन्न आपदा घटनाओं से संबंधित चेतावनी प्रसारित करने के लिए सिस्टम का उपयोग प्रभावी ढंग से किया गया है। सिस्टम का एक प्रमुख उपयोग वर्ष 2022-23 में चक्रवात "माइकौंग" और "बिपोरजॉय" के दौरान हुआ था।
- विभिन्न आपदा परिदृश्यों में प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग का एक सचित्र चित्रण नीचे दिया गया है:-

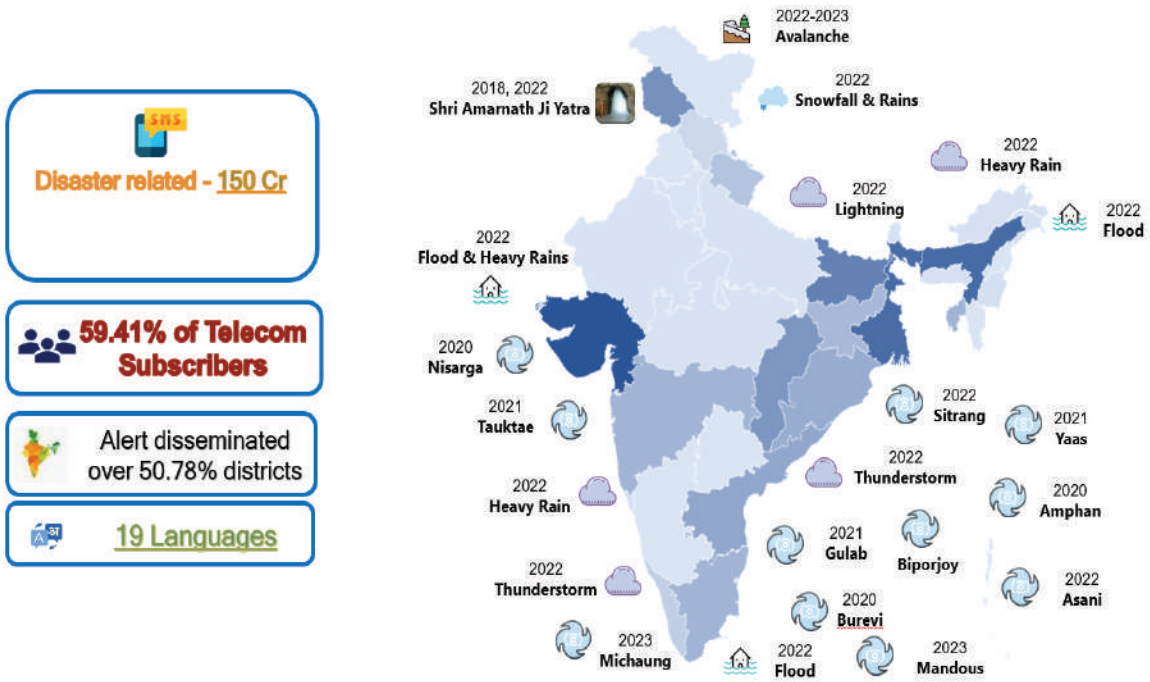

चित्र 2: विभिन्न आपदा घटनाओं में सीएपी प्लेटफॉर्म का उपयोग

प्रभाव

- सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (CAP) को अपनाने से आपातकालीन प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। विभिन्न अलर्टिंग सिस्टम में संचार को मानकीकृत करने के बाद, सीएपी समन्वय और अंतर-संचालन को बढ़ाता है, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी का तेज़ और अधिक प्रभावी प्रसार होता है। यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सार्वजनिक जागरूकता में सुधार करता है, लक्षित चेतावनी के लिए भू-स्थानिक परिशुद्धता की सुविधा प्रदान करता है, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। सीएपी चेतावनियों के प्रसार में सहायक रहा है। इसका हाल ही में चक्रवात 'बिपोरजॉय' जैसी आपदाओं में भी प्रयोग किया गया है, जहाँ जनता को 32.67 करोड़ संदेश भेजे गए थे, चक्रवात मैंडौस के दौरान सेल प्रसारण, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से चेतावनी का प्रसार किया गया था और चक्रवात मिचांग में भी इसका उपयोग किया गया था जहाँ समय पर और सटीक चेतावनियाँ प्रदान करने में इसकी प्रभावशीलता स्पष्ट रही है।

5.32 आपदा आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन मोचन सहायता प्रणाली (ERRSS), डायल 112 का विस्तार"

पृष्ठभूमि

- आपातकालीन मोचन सहायता प्रणाली (ERSS) (डायल 112) आपात स्थितियों में नागरिकों के

लिए अखिल भारतीय एकल नंबर आधारित आपातकालीन मोचन प्रणाली है। पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा आदि के लिए तत्काल सहायता के लिए नागरिक वॉयस कॉल, एसओएस, एसएमएस, ईमेल, वेब अनुरोध और मोबाइल ऐप पर पैनिक बटन के माध्यम से मदद का अनुरोध कर सकते हैं। गृह मंत्रालय (महिला सुरक्षा प्रभाग) द्वारा शुरु की गई परियोजना को देश के सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीडैक द्वारा और 08 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीडैक के अलावा अन्य वेन्डर्स द्वारा) में लागू किया गया है।

5.33 आपदा आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन मोचन सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) (डायल 112) का विस्तार

- माननीय प्रधानमंत्री के 'देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल पैनिक नंबर' के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए, एनडीएमए ने आपदा आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन मोचन सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) (डायल 112) परियोजना के विस्तार की कल्पना की है। इस परियोजना ने आपदा आपात स्थितियों के लिए भी मौजूदा ईआरएसएस प्रणाली का विस्तार किया है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. आपदा आपात स्थितियों से निपटने के लिए मौजूदा ईआरएसएस समाधान को बढ़ाना।
2. लीज्ड लाइनों के माध्यम से एसईओसी के साथ सार्वजनिक सुरक्षा एक्सेस प्वाइंट (पीएसएपी)/पुलिस नियंत्रण कक्षों का एकीकरण।
3. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एसईओसी में ऑपरेटर पदों के लिए हार्डवेयर की स्थापना।
4. लोड वृद्धि का हल करने के लिए चयनित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पीएसएपी में हार्डवेयर का विस्तार।
5. आठ राज्यों में मिनी डेटा सेंटर की स्थापना, जहां ईआरएसएस को एक अलग विक्रेता द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
6. एसईओसी में लीज्ड लाइन/इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान।
7. ऑपरेटर पदों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तीन साल के लिए मैन पावर का प्रावधान।
8. एनडीएमए में परियोजना प्रबंधन इकाई के कर्मचारियों के लिए तीन साल की अवधि के लिए मैन पावर, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, यात्रा शुल्क और वेतन का प्रावधान।
9. 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा ईआरएसएस प्रणाली को लागू करने के अपने अनुभव के आधार पर, सी-डैक को इस योजना को लागू करने के लिए नामित किया गया।
10. यह योजना पूरी तरह से एनडीएमए द्वारा वित्तपोषित है।
11. तीन वर्ष पूरे होने के बाद, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सी-डैक के साथ सीधे वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) करके और अपने संसाधनों से जन शक्ति को काम पर रखकर परियोजना को बनाए रखना है।

कार्यान्वयन की स्थिति

1. यह परियोजना 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से और 08 केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक रूप से चालू है। आपदा से संबंधित 112 कॉल/घटनाओं को संभालने के लिए पीएसएपी और एसईओसी ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया है।
2. 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जन शक्ति को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जन शक्ति उपलब्ध है।

3. 01 वर्ष के लिए 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी कर दी गई है।
4. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
5. सीडैक द्वारा केंद्रीय डैशबोर्ड विकसित। राष्ट्रीय स्तर पर डेटा उपलब्ध है।
6. 112 इंडिया ऐप के एंड्रॉइड और आईओएस संस्करण में आपदा बटन शामिल किया गया है। नागरिक आपदा की स्थिति में ऐप के माध्यम से भी इस बटन को दबा सकते हैं।
7. सीडैक द्वारा परियोजना प्रबंधन उपकरण विकसित।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

1. तेलंगाना राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
2. केंद्रीय डैशबोर्ड की तैनाती।
3. एनडीआरएफ कर्मियों का प्रशिक्षण। एनडीआरएफ के साथ प्लेटफॉर्म साझा करना।
4. एंड्रॉइड और आईओएस दोनों संस्करणों के लिए 112 इंडिया ऐप में आपदा बटन को शामिल करना।
5. 21, 22 और 23 फरवरी 2024 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परीक्षण गतिविधि।
6. मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोलकाता, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और यूपी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण गतिविधि।

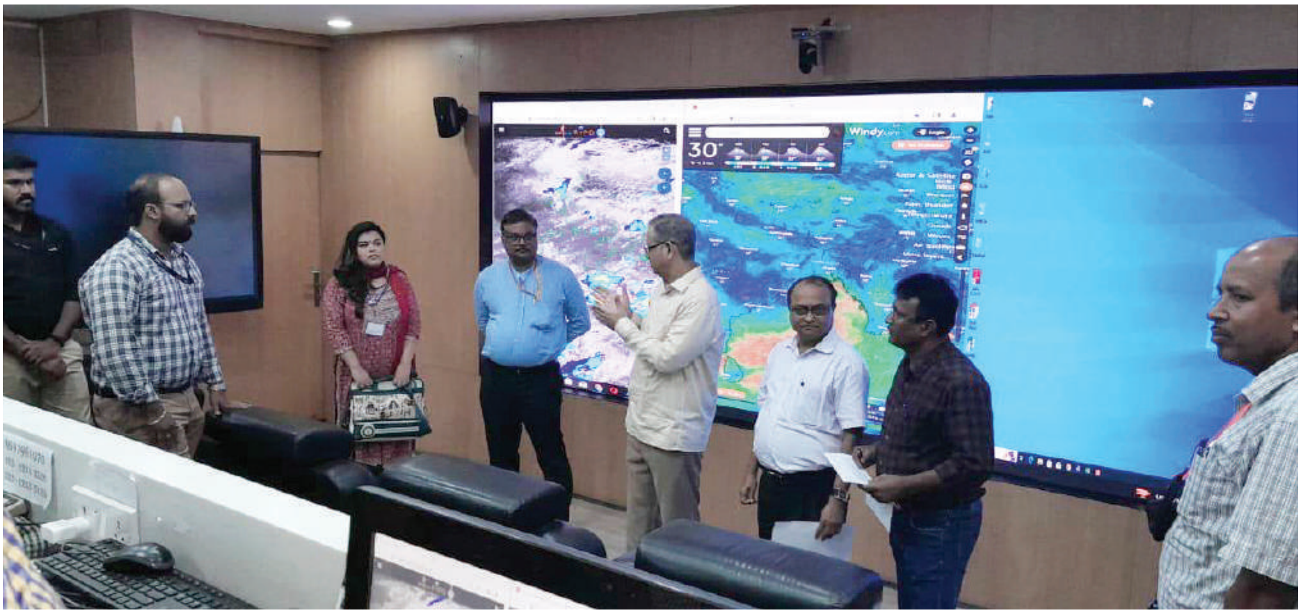

5-6 जुलाई 2023 को कोलकाता एसडीएमए में आयोजित की गई प्रशिक्षण गतिविधि

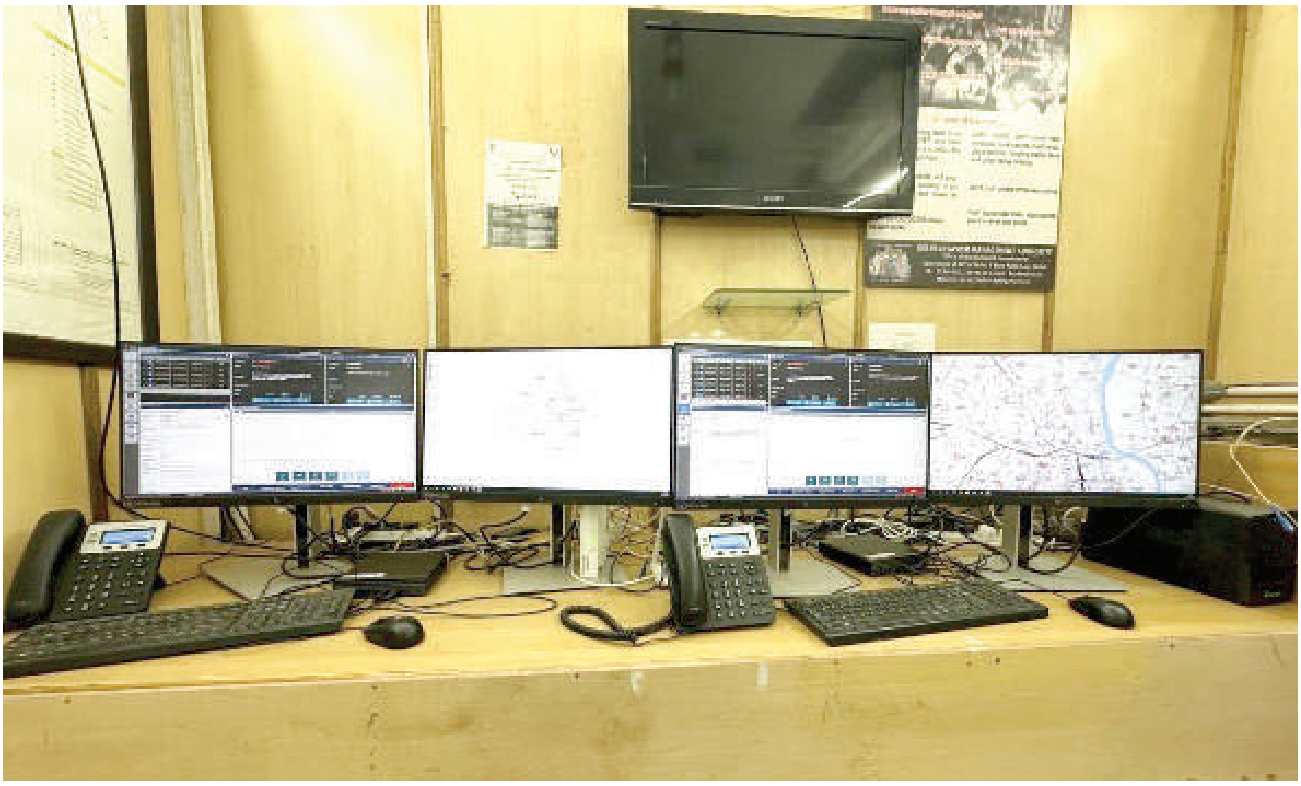

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में तैनात की गई ईआरएसएस प्रणाली

अध्याय-6

कृत्रिम अभ्यास और जागरूकता सृजन

"हम शांति में जितना अधिक पसीना बहाते हैं, युद्ध में उतना ही कम खून बहता है"
"याद रखें: जब आपदा आती है, तो तैयारी का समय बीत चुका होता है"

परिचय

6.1. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा लाए गए प्रतिमान बदलाव के बाद से भारत ने आपदा प्रबंधन (डीएम) में तेजी से प्रगति की है**,** जिसे माननीय प्रधानमंत्री के डीआरआर और एनपीडीएम श्रृंखला पर 10 सूत्री एजेंडे द्वारा और मजबूत किया गया है। प्राकृतिक और मानव-प्रेरित कारकों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न आपदाओं के प्रति देश की अतिसंवेदनशीलता, आपदाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों और प्रभावित समुदायों के लिए कई चुनौतियां पेश करती है। हालाँकि भारत की जोखिम-संवेदनशीलता प्रोफ़ाइल काफी जगजाहिर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और लचर विकास ने जोखिम को बढ़ा दिया है और अप्रत्याशितता की आशंका को बढ़ा दिया है। सेंडाई फ्रेमवर्क की हाल की मध्यावधि समीक्षा ने आपदाओं के कारण जान-माल और बुनियादी ढाँचे के नुकसान को कम करने के प्राथमिक लक्ष्यों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर किया है। इसलिए प्रभावी आपदा मोचन आपदा प्रबंधन (डीएम) की एक प्रमुख कमी बनी हुई है और तैयारी, क्षमता निर्माण और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर सक्रिय प्रयास अपरिहार्य हैं।

आपदा स्थितियों से निपटने के लिए घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) प्राथमिक तंत्र के रूप में उभरी है। जबकि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने आईआरएस को लागू कर दिया है तो अन्य इसे अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, प्रभावी और समन्वित मोचन सुनिश्चित करने के लिए आईआरएस की केवल अधिसूचना अपर्याप्त है, क्योंकि इसके लिए बहु-एजेंसी और बहु-हितधारक के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। इस संबंध में एकीकृत कृत्रिम अभ्यासों (एमई) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अभ्यास भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सभी स्तरों पर हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली बहु-एजेंसियों की भागीदारी होती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्राथमिक खतरों के आधार पर प्रत्येक एमई संभावित विनाशकारी आपदा की नकल करता है, और प्राथमिक खतरों के होने पर होने वाली संभावित बहुआयामी आपदा घटनाओं के लिए सुसंगत "सभी सरकार की ऐसी ही स्थिति" को आधार मानकर मोचन मानकर चलता है।

एकीकृत कृत्रिम अभ्यास

6.2 एकीकृत एमई के उद्देश्य हैं (i) आईआरएस-आईआरटी निर्माण के व्यावहारिक अनुप्रयोग और साथ ही ऐसी तकनीकें जो प्रभावी आपदा मोचन का समर्थन और संवर्धन कर सकती हैं; में दक्षता बढ़ाना (ii) राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों और विभागों के साथ-साथ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और श्री अमरनाथजी यात्रा जैसे आयोजनों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) को मान्य ठहराना; (iii) आईआरएस के अनुसार आपदाओं के प्रबंधन में शामिल विभिन्न नियुक्तियों/हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को उजागर करना; (iv) समग्र समन्वय को बढ़ाना और जिला स्तर पर आपातकालीन सहायता कार्यों

(ईएसएफ) के बीच समन्वय बढ़ाना; और (v) संसाधनों, मानवशक्ति, संचार, मोचन क्षमताओं आदि में अंतराल, यदि कोई हो, की पहचान करना और उन्हें दूर करना। डीएम अधिकारियों के तेजी से बदलाव को देखते हुए, एमई नए पदाधिकारियों को उनकी भूमिकाओं में कुशलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में भी काम करते हैं।

एकीकृत एमई व्यापक प्रक्रिया का वह एक हिस्सा है जो सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सावधानीपूर्वक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के साथ प्रत्येक वर्ष शुरु होता है, और निम्नलिखित अनुक्रम में संचालित किया जाता है:-

चरण	आयोजन	प्रतिभागी
चरण-I (कृत्रिम अभ्यास दिवस माइनस 10 से 7 दिन)	• **अभिविन्यास एवं समन्वय सम्मेलन:** ○ यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में आगामी कृत्रिम अभ्यास के लिए आवश्यक विस्तृत तौर-तरीकों और तैयारियों पर चर्चा की जाती है और उन्हें अंतिम रुप दिया जाता है। ○ **भाग I:** आईआरएस और इसके अनुप्रयोग के मुख्य पहलुओं का संक्षिप्त सार। ○ **भाग II:** व्यापक एमई कार्यक्रम, अपेक्षित प्रारंभिक कार्रवाई, संचालन के तौर-तरीकों और एमई परिदृश्य की व्याख्या की जाती है। ○ **भाग III:** ईआरएसएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) पर संक्षिप्त जानकारी। ○ **भाग IV:** एमई के दौरान किए जाने वाले सिमुलेशन के विवरण पर चर्चा की जाती है और उन्हें अंतिम रुप दिया जाता है, जिसमें सशस्त्र बल, एनडीआरएफ, आईएमडी/सीडब्ल्यूसी/एनसीएस आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारियां शामिल हैं।	• राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान सचिव (डीएम) की अध्यक्षता में एनडीएमए समन्वयक द्वारा संचालित। • **जिला स्तर:** डीसी/डीएम, सभी आईआरएस पदाधिकारी तथा अन्य हितधारक। **राज्य स्तर:** सभी आईआरएस पदाधिकारी तथा अन्य हितधारक। • **केंद्रीय स्तर:** सशस्त्र बल तथा एनडीआरएफ जैसी सभी हितधारक एजेंसियों के प्रतिनिधि।
चरण-II (कृत्रिम अभ्यास दिवस माइनस 02 दिन)	• टेबल-टॉप एक्सरसाइज (टीटीईएक्स) ✓ एसईओसी/यूटीईओसी/हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ भौतिक रुप से आयोजित किया जाता है। टीटीईएक्स आईआरएस कार्यकर्ताओं को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अभ्यास कराता है और उन्हें एमई में भागीदारी के लिए तैयार करता है। ✓ **भाग I:** खतरे के जोखिम और अभ्यास परिदृश्य पर चर्चा और नामित हितधारकों द्वारा डीएम योजनाओं की प्रस्तुति। ✓ **भाग II:** परिकल्पित आपदा परिदृश्य के होने पर होने वाली विभिन्न बहु-खतरनाक स्थितियों/आकस्मिकताओं का चित्रण और संबंधित एजेंसियों और आईआरएस कार्यकर्ताओं द्वारा मोचन । निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है:-	• संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/सचिव (आपदा प्रबंधन) और एनडीएमए के सदस्य के समग्र मार्गदर्शन में एनडीएमए समन्वयक द्वारा आयोजित किया गया। • कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के चार्टर के अनुसार सभी स्तरों पर हितधारकों द्वारा भौतिक भागीदारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले जुड़ते हैं।

चरण	आयोजन	प्रतिभागी
	❖ तैयारी। ❖ संचार अतिरेक सुनिश्चित करना, स्थितिजन्य जागरुकता प्राप्त करना और जीआईएस सहित प्रौद्योगिकी का दोहन करना। ❖ दुर्घटना कार्रवाई योजना तैयार करना। ❖ आईआरएस का स्थिति आधारित अनुप्रयोग, जिसमें महत्वपूर्ण आईआरएस कार्यकर्ताओं द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और मोचन, राहत और बहाली के लिए स्ट्राइक टीमों और टास्क फोर्स/समूहों की संरचना कैसे की जाए। ❖ संसाधन मानचित्रण और सशस्त्र बलों जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय। ❖ आई.सी.पी. और राहत शिविरों जैसी आई.आर.एस. सुविधाओं की स्थापना। ❖ चिकित्सा, पी.डब्ल्यू.डी. आदि जैसे विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई। ✓ **भाग III:** एम.ई. के लिए अंतिम समन्वय।	
चरण-III (कृत्रिम अभ्यास दिवस)	**कृत्रिम अभ्यास (एमई) -** संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (आपदा प्रबंधन) और एनडीएमए सदस्य के समग्र मार्गदर्शन में एनडीएमए समन्वयक द्वारा आयोजित किया जाता है। एमई पर्यवेक्षक प्रणाली और एनडीएमए टीम द्वारा भौतिक दौरों के माध्यम से आईआरएस ढांचे में बहु-खतरे की अभिव्यक्तियों के लिए प्रभावी मोचन के सभी पहलुओं को मान्य किया जाता है। • ईओसी सहित तैयारी। • योजना, समन्वय और आकस्मिक योजना। • कमान और नियंत्रण। • बहु-खतरे आयाम में एसएआर और राहत अभियान। • बहाली अभियान। • विस्तृत हॉटवॉश (डीब्रीफिंग)।	
चरण-IV (कृत्रिम अभ्यास दिवस प्लस 15 दिन)	• राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एनडीएमए को अंतिम रिपोर्ट। • एनडीएमए समन्वयक द्वारा कार्रवाई के बाद रिपोर्ट (एआर)। • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और, जहां आवश्यक हो, अन्य संगठनों को 'पहचाने गए अंतराल', 'सीखे गए सबक' और 'सर्वोत्तम प्रथाओं' पर फीडबैक।	एनडीएमए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, संयुक्त रूप से

6.3 आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों के दौरान जिन पहलुओं पर जोर दिया जाता है**,** उनका सारांश नीचे दिया गया है:

(क) वृद्धिशील कार्यवाही जिसमें आपदा के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है और सुसंगत मोचन की जाती है, जिसमें घटना कार्रवाई योजना बनाना शामिल है।

(ख) प्रत्येक स्तर पर टास्क फोर्स/समूहों की संरचना कैसे की जाए, और आईआरएस नियुक्तियों की भूमिका।

(ग) विभिन्न आईआरएस सुविधाओं का संयोजन, संरचना और कार्यप्रणाली।

(घ) विभिन्न मोचन और बहाली कार्यों के लिए स्ट्राइक टीमों/टास्क फोर्स/समूहों की अनुशंसित संरचना।

(ड) आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए एक विश्वसनीय, दोष सुरक्षा और अतिरिक्त संचार संरचना का निर्माण कैसे किया जाए। आपदा की स्थिति के दौरान पुलिस रेडियो नेटवर्क का उपयोग इसमें कैसे किया जाए, शामिल है।

(च) तीन महत्वपूर्ण तत्व जो आपदा के मद्देनजर त्वरित, विश्वसनीय मोचन सुनिश्चित करेंगे:

i. आपदा-प्रतिरोधी आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी); इसके घटक, उपकरण और कार्यप्रणाली जिसमें एसओपी/प्रोटोकॉल शामिल हैं।

ii. आपदा के तत्काल बाद 'स्थिति जागरूकता' का महत्व और इसे प्राप्त करने के साधन।

iii. आपदा-पूर्व अवधि के दौरान संपर्क और 'संसाधन मानचित्रण' (सशस्त्र बलों, सीएपीएफ, पीएसयू, आपदा मित्र स्वयंसेवकों, पूर्व सैनिकों, पूर्व सीएपीएफ आदि के संसाधनों सहित) का महत्व और आपदा की स्थिति/आपातकाल के दौरान मोचकों की स्थिति सहित संसाधन जागरूकता प्राप्त करने के साधन।

(छ) प्राकृतिक आपदा निगरानी के लिए राष्ट्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली (एनईडब्ल्यूएस); इसमें शामिल एजेंसियाँ और उनके द्वारा चलाए जा रहे वेब पोर्टल; प्रत्येक द्वारा दी गई जानकारी; और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए इस जानकारी का लाभ कैसे उठाया जाए।

(ज) राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और **"सीएपी आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली" सचेत**, **भुवन**, आपातकालीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीईएम 4.0), भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन), **भूकंप** और **दामिनी** आदि के मोबाइल ऐप जैसे पोर्टल और ऐप का लाभ कैसे उठाया जाए। राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल (सचेत) https://sachet.ndma.gov.in/ पर उपलब्ध है और मोबाइल ऐप (सचेत) का एंड्रॉइड और आईओएस संस्करण क्रमशः गूगल प्ले और ऐप्पल स्टोर पर उपलब्ध है।

(झ) जीआईएस प्लेटफार्मों का महत्व और उपयोग।

6.4 एकीकृत एमई इस प्रकार आईआरएस निर्माण के व्यावहारिक अनुप्रयोग में और किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से मोचन करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता-निर्माण के लिए एक इष्टतम, किफायती साधन प्रदान करता है। तदनुसार एनडीएमए का संचालन प्रभाग राज्य/बहु-राज्य स्तर पर और विशेष मामलों में, जिला-स्तर पर और सामूहिक सभाओं के आयोजनों में भी एकीकृत एमई आयोजित कर रहा है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से मिलने वाली प्रतिक्रियाएं एवं फीडबैक प्रोत्साहित कर रही हैं। राज्य/केंद्रशासित राज्य/संगठनों के अनुरोध पर आईआरएस स्टेन्ड अलोन प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित कृत्रिम अभ्यास

6.5 प्रशिक्षण वर्ष 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान, एनडीएमए ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एमई आयोजित किए हैं। एमई की झलकियां और मुख्य विवरण नीचे दिए गए हैं:-

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
11, 18-20 अप्रैल, 2023	**राज्य:** उत्तराखंड **परिदृश्य** : भूकंप एवं भूस्खलन/चार धाम यात्रा **घटना:** चार धाम यात्रा – 2023	उत्तराखंड राज्य को सुरक्षित, संरक्षित और दुर्घटना मुक्त पवित्र चार धाम यात्रा सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए, एनडीएमए द्वारा भूकंप और भूस्खलन पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने की और सह-अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने की, जिसका संचालन एनडीएमए के सलाहकार (एमई और आईआरएस) ने किया। राज्य/जिला घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए, डीडीएमए, लाइन विभाग, एसडीआरएफ के अधिकारी और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
11, 25-27 अप्रैल, 2023	**राज्य:** असम **परिदृश्य** : बाढ़ **घटना:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	असम राज्य के लिए बाढ़ प्रमुख खतरों में से एक है। इसलिए, बाढ़ के मौसम से पहले एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और सह-अध्यक्षता सचिव (राजस्व और डीएम), असम सरकार ने की। एमई का संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया था। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और पूर्व-चेतावनी एजेंसियों/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
2, 10-12 जून, 2023	**राज्य:** सिक्किम **परिदृश्य** : भूकंप और हिमनदीय झील प्रस्फोट जनित बाढ़ (जीएलओएफ) **घटना:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	सिक्किम राज्य भूकंपीय क्षेत्र-IV के अंतर्गत आता है और यहाँ भूकंपों का लंबा इतिहास रहा है। इसलिए, राज्य के लिए भूकंप और जीएलओएफ परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और सह-अध्यक्षता श्री कुंजा नीमा लेप्चा, माननीय एलआर और डीएमडी मंत्री और सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव ने की। एमई का संचालन एनडीएमए के सलाहकार (एमई और आईआरएस) द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस), सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
30 मई, 06-08 जून, 2023	**राज्य:** मध्य प्रदेश **परिदृश्य** : बाढ़ **घटना:** राज्य मुख्यालय और सभी जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	मध्य प्रदेश राज्य में बाढ़ एक मुख्य खतरा है। इसलिए बाढ़ के मौसम से पहले राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की तथा सह-अध्यक्षता सचिव राजस्व, मध्य प्रदेश सरकार ने की। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग तथा ईडब्ल्यू एजेंसियों/ केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
30 मई, 06-08 जून, 2023	**राज्य:** हिमाचल प्रदेश **परिदृश्य** : बाढ़ एवं भूस्खलन **घटना:** राज्य मुख्यालय और सभी जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	हिमाचल प्रदेश राज्य बाढ़/चक्रवात से उत्पन्न बाढ़ और भूस्खलन से ग्रस्त है, इन आपदाओं के कारण राज्य में जान-माल का नुकसान हुआ है। इसलिए, राज्य के लिए बाढ़ और भूस्खलन परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और सह-अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (राजस्व और डीएम) ने की, जिसका संचालन एनडीएमए के सलाहकार (एमई और आईआरएस) ने किया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियों/सीडब्ल्यूसी, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
14, 22 एवं 24 जून 2023	**राज्य:** जम्मू एवं कश्मीर **घटना:** श्री अमरनाथ जी यात्रा-2023 **परिदृश्य** : भूकंप, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि	श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले विभिन्न परिदृश्यों जैसे भूकंप, अचानक बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि पर आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण एक वार्षिक कार्यक्रम रहा है। जून 2023 में भी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अनुरोध पर, एनडीएमए ने यात्रा में शामिल सभी हितधारकों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण आयोजित किया। यात्रा के दोनों मार्गों, यानी बालटाल एक्सिस (जिला गंदेरबल) और पहलगाम एक्सिस (जिला अनंतनाग) पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण अलग-अलग आयोजित किया गया था। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य और विभागाध्यक्ष तथा जम्मू-कश्मीर सरकार के डीएमआरआरआर सचिव, दोनों जिलों के डीएम/डीसी और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने की। प्रथम मोचक अर्थात एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और सामुदायिक स्वयंसेवक और अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
04, 18-20 जुलाई 2023	**राज्य:** उत्तर प्रदेश **परिदृश्य** : बाढ़ **घटना:** राज्य मुख्यालय और बाढ़ संभावित जिलों के लिए राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बाढ़ प्राथमिक खतरों में से एक है। तदनुसार, बाढ़ के मौसम से पहले बाढ़ परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और सह-अध्यक्ष, यूपीएसडीएमए द्वारा की गई और इसका संचालन सलाहकार (ऑप्स), एनडीएमए द्वारा किया गया। सचिव (डीएम) और राहत आयुक्त, यूपी सरकार राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियों / केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
19, 25-27 जुलाई 2023	**राज्य:** दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली **परिदृश्य**: चक्रवात एवं बाढ़ **घटना:** केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय और जिलों के लिए केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश देश के पश्चिमी भाग में स्थित है तथा चक्रवात और चक्रवात से उत्पन्न बाढ़ आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। तदनुसार, चक्रवात और चक्रवात से उत्पन्न आपदा परिदृश्यों पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त सचिव एवं पीडी (एनसीआरएमपी), एनडीएमए ने की, सह-अध्यक्षता केंद्र शासित प्रदेश के वित्त एवं राजस्व सचिव ने की तथा सलाहकार (तटीय-क्षेत्र) ने इसका संचालन किया। केंद्र शासित प्रदेश/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियां/आईएमडी, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
24, 31 अगस्त एवं 02 सितंबर 2023	**राज्य:** तमिलनाडु **परिदृश्य** : चक्रवात **घटना:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	तमिलनाडु राज्य के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राथमिक खतरों में से एक हैं। इसलिए, चक्रवात परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और सह-अध्यक्षता तमिलनाडु सरकार के अपर मुख्य सचिव/आयुक्त (राजस्व) ने की। सलाहकार (तटीय-क्षेत्र) द्वारा एम.ई. आयोजित किया गया था। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियां/आईएमडी, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ, सभी अन्य हितधारकों के साथ इसमें भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
26 जुलाई, 02-04 अगस्त 2023	**राज्य:** केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख **परिदृश्य** : भूकंप **घटना:** केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भूकंपीय क्षेत्र-IV में आता है और भूकंप आपदाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। तदनुसार, भूकंप परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के अपर सचिव और माननीय एलजी, संभागीय आयुक्त और सचिव (राजस्व और डीएम), केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने इसकी अध्यक्षता की। एमई का संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। केंद्र शासित प्रदेश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी), लाइन विभाग और एनसीएस, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
14, 20-22 सितंबर, 2023	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:** लक्षद्वीप **परिदृश्य** : चक्रवात **घटना:** केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हर साल अक्टूबर से नवंबर के दौरान चक्रवाती तूफानों के लिए अत्यधिक संवेदनशील रहता है। तदनुसार, चक्रवाती अवधि की शुरुआत से पहले चक्रवात परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव (डीएम), केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने की और एमई का संचालन सलाहकार (तटीय-क्षेत्र), एनडीएमए ने किया। केंद्र शासित क्षेत्र दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी), लाइन डिपार्टमेंट और ईडब्ल्यू एजेंसियों/आईएमडी, सशस्त्र बलों के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
03, 10 एवं 12 अक्टूबर, 2023	**राज्य:** मेघालय **परिदृश्य** : भूकंप **घटना:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र दुनिया में भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में 1897 से दो बड़े भूकंप (M>8.0) और लगभग 20 बड़े भूकंप (M>7.0) आए हैं। मेघालय राज्य, जिसका अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र-V में है, में भूकंपों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसलिए, राज्य के लिए भूकंप आपदा परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के अपर सचिव और मेघालय सरकार के आयुक्त एवं सचिव (राजस्व) की सह-अध्यक्षता में की गई। कृत्रिम अभ्यास का संचालन एनडीएमए के सलाहकार (एमई और आईआरएस) द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए, डीडीएमए, लाइन विभागों, एसडीआरएफ के अधिकारी और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
27, 31 अक्टूबर-02 नवंबर 2023	**राज्य:** नागालैंड **परिदृश्य:** चरम मौसम स्थितियों के साथ भूकंप **घटना:** नागालैंड आपातकालीन तैयारी अभ्यास (एनईपीएक्स) के लिए भूकंप पर राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास।	नागालैंड राज्य भूकंपीय क्षेत्र-V के अंतर्गत आता है। इसलिए, नागालैंड के लिए भूकंप एक 'मध्यम संभावना-उच्च प्रभाव' वाली घटना है। इसलिए, राज्य के लिए चरम मौसम की स्थिति परिदृश्य के साथ भूकंप पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नागालैंड सरकार के प्रधान सचिव (गृह और डीएम) ने की और कृत्रिम अभ्यास का संचालन एनडीएमए के सलाहकार (एमई और आईआरएस) ने किया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए, डीडीएमए, लाइन विभाग, एसडीआरएफ के अधिकारी और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
01, 07-09 नवंबर, 2023	**राज्य:** महाराष्ट्र **परिदृश्य:** चक्रवात **घटना:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	बाढ़/शहरी बाढ़ जैसी अन्य आपदाओं के अलावा, महाराष्ट्र राज्य चक्रवातों से भी ग्रस्त है। इसलिए, राज्य के लिए चक्रवात परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और सह-अध्यक्षता महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव (राहत और डीएम) ने की। कृत्रिम अभ्यास सलाहकार (तटीय-क्षेत्र) द्वारा आयोजित किया गया था। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियां/आईएमडी, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ, अन्य सभी हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
09, 21-23 नवंबर, 2023	**राज्य:** अरुणाचल प्रदेश **परिदृश्य:** भूकंप **घटना:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास।	अरुणाचल प्रदेश राज्य भूकंपीय क्षेत्र-V में स्थित है, जहां बड़े भूकंपों का इतिहास रहा है। पहाड़, विशाल नदियाँ और घने जंगल आमतौर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच अंतर-संचार में बाधा डालते हैं। भूकंप जैसे प्राकृतिक खतरों से यह अलगाव और भी बढ़ जाता है। इसलिए, राज्य के लिए भूकंप परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने की और सह-अध्यक्षता अरुणाचल प्रदेश सरकार के सचिव (डीएम) ने की। कृत्रिम अभ्यास का संचालन एनडीएमए के सलाहकार (एमई और आईआरएस) द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और एनसीएस, बीआरओ, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
12, 19-21 दिसंबर 2023	**राज्य:** त्रिपुरा **परिदृश्य:** भूकंप **घटना:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास।	त्रिपुरा राज्य सहित भारत का पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-V के अंतर्गत आता है और यहाँ विभिन्न परिमाणों के भूकंपों का इतिहास रहा है। इसलिए, राज्य के लिए भूकंप परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने की और सह-अध्यक्षता त्रिपुरा सरकार के मुख्य सचिव ने की। कृत्रिम अभ्यास का संचालन एनडीएमए के सलाहकार (एमई और आईआरएस) द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और एनसीएस, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
12, 19-21 दिसंबर 2023	**राज्य:** झारखंड **परिदृश्य:** बाढ़ **घटना:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास।	झारखंड राज्य बाढ़ से ग्रस्त है। इन बाढ़ों के कारण राज्य को जान-माल का नुकसान हुआ है। इसलिए, राज्य के लिए बाढ़ परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा आयोजित किया गया था। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियों/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
12, 19-21 दिसंबर, 2023	**राज्य:** कर्नाटक **परिदृश्य:** बाढ़ **घटना:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास।	कर्नाटक राज्य, अन्य आपदाओं के अलावा, बाढ़/शहरी बाढ़ से ग्रस्त है। इसलिए, राज्य के लिए बाढ़ परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्नाटक सरकार के आयुक्त (डीएम) ने की। कृत्रिम अभ्यास का संचालन सलाहकार (तटीय-क्षेत्र), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियों/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
03, 09-11 जनवरी 2024	**राज्य:** ओडिशा **परिदृश्य:** रासायनिक (औद्योगिक) **घटना:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास।	ओडिशा देश के सबसे अधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है, जहाँ आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास बड़ी संख्या में रासायनिक और पेट्रो-रसायन उद्योग हैं। इसलिए, राज्य के लिए रासायनिक (औद्योगिक) आपदा परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ओडिशा सरकार के अपर मुख्य सचिव और विशेष राहत आयुक्त ने की। कृत्रिम अभ्यास का संचालन एनडीएमए के सलाहकार (तटीय क्षेत्र) द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, डीजी एफएएसएलआई, सीपीसीबी, एसपीसीबी, कारखाना/उद्योग विभाग, प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एमएएच) इकाइयों के प्रतिनिधि और सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
02, 13-15 फरवरी, 2024	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:** पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश **परिदृश्य:** चक्रवात और चक्रवात से उत्पन्न आपदाएँ **घटना:** केंद्र शासित प्रदेश स्तर का कृत्रिम अभ्यास	पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश का बड़ा हिस्सा बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसे कई प्राकृतिक खतरों से ग्रस्त है और मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभावित है। इसलिए, चक्रवात और चक्रवात से होने वाली आपदाओं पर केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के सचिव ने की। कृत्रिम अभ्यास का संचालन एनडीएमए के सलाहकार (तटीय-क्षेत्र) द्वारा किया गया। केंद्र शासित प्रदेश/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी), लाइन विभागों के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और ईडब्ल्यू एजेंसियों/आईएमडी, सशस्त्र बलों और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
06, 21-22 फरवरी 2023	**राज्य:** चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश **परिदृश्य**: भूकंप **घटना:** केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय के लिए केंद्र शासित प्रदेश स्तर का कृत्रिम अभ्यास।	चंडीगढ़, "द सिटी ब्यूटीफुल", देश का एक सुनियोजित शहर है जो 140 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भूकंप आपदाओं के लिए अतिसंवेदनशील है। इसलिए, केंद्र शासित क्षेत्र के लिए भूकंप आपदा परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चंडीगढ़ के गृह सचिव ने की। कृत्रिम अभ्यास का संचालन एनडीएमए के सलाहकार (ऑप्स) द्वारा किया गया था। एसडीएमए दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी), लाइन विभाग, एसडीआरएफ और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
26 फरवरी, 05-07 मार्च 2024	**राज्य:** आंध्र प्रदेश **परिदृश्य:** रासायनिक (औद्योगिक) **कार्यक्रम:** राज्य मुख्यालय और जिलों के लिए राज्य-स्तरीय कृत्रिमअभ्यास	आंध्र प्रदेश देश के सबसे अधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है, जहाँ आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास बड़ी संख्या में रासायनिक और पेट्रो-रसायन उद्योग हैं। इसलिए, राज्य के लिए रासायनिक (औद्योगिक) आपदा परिदृश्य पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक (डीएम और प्रबंध निदेशक), एपीएसडीएमए ने की। कृत्रिम अभ्यास का संचालन सलाहकार (तटीय-क्षेत्र), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, डीजी एफएएसएलआई, सीपीसीबी, एसपीसीबी, कारखाना/उद्योग विभाग, प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एमएएच) इकाइयाँ और सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
14, 26-28 मार्च, 2024	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र **परिदृश्य:** भूकंप **घटना:** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय कृत्रिम अभ्यास।	ऐतिहासिक शहर और भारत की राजधानी दिल्ली में ऊंची इमारतें, सुरंगनुमा मेट्रो नेटवर्क, बड़ी संख्या में फ्लाईओवर और घनी आबादी वाले उपनगरीय इलाके हैं। इसलिए, भूकंप आपदा परिदृश्य पर केंद्र शासित क्षेत्र के लिए एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने की। कृत्रिम अभ्यास का संचालन एनडीएमए के सलाहकार (एमई और आईआरएस) द्वारा किया गया। डीडीएमए, दुर्घटना मोचन दल (आईआरटी), लाइन विभागों और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने भाग लिया।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कृत्रिम अभ्यास के आयोजन के बाद फीडबैक साझा करना:

6.6 प्रत्येक मॉक अभ्यास के सफल संचालन के बाद, फीडबैक/सीखे गए सबक को संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा किया जाता है, जिसमें भारत को एक आपदा रोधी देश बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनकी तैयारियों में सुधार करने और उनकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए पहचानी गई सर्वोत्तम पद्धतियों और चूकों पर प्रकाश डाला जाता है।

विदेशों के साथ संयुक्त मॉक अभ्यास

6.7 त्रि-सेवा के लिए वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास (एजेएचई)-2023 दिनांक 09-11 अक्टूबर, 2023 को गोवा में आयोजित किया गया। एजेएचई का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा विदेश मंत्रालय, एचक्यूआईडीएस, आईएमडी, विभिन्न सरकारी और राज्य एजेंसियों की भागीदारी के साथ किया गया था, ताकि जरूरत के समय कीमती प्राणों को बचाया जा सके और पड़ोसी देशों के साथ समुत्थानशील बनाने के लिए कुशल और प्रभावी मोचन किया जा सके।

जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सीबीआरएन आकस्मिकताओं से निपटने की तैयारी

6.8 भारत ने एक वर्ष की अवधि अर्थात् 01 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए जी-20 की अध्यक्षता संभाली है। इस अवधि के दौरान देश भर में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों में जी-20 सदस्य देशों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वीवीआईपी/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। NDMA ने रासायनिक जैविक, विकिरणीय तथा नाभिकीय (CBRN) के दृष्टिकोण से सुरक्षित, संरक्षित और घटना मुक्त G20 शिखर सम्मेलन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/हितधारकों अर्थात् विदेश मंत्रालय, DAE, DRDE, DRDO, NSG, NDRF, दिल्ली पुलिस आदि के बीच बेहतर समन्वय के साथ CBRN आकस्मिकताओं से निपटने की तैयारी के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की। NDMA द्वारा निम्नलिखित तैयारी अभ्यास/टेबल-टॉप अभ्यास आयोजित किए गए:-

(क) सीबीआरएन परिप्रेक्ष्य से हवाई अड्डों (गैर विमानन संबंधित) के लिए आपदा की तैयारी: सीबीआरएन परिप्रेक्ष्य पर हवाई अड्डों की तैयारी के लिए एक अवधारणा नोट तैयार किया गया और सीबीआरएन परिप्रेक्ष्य से हवाई अड्डों अर्थात् मुंबई, कोलकाता, आईजीआई (नई दिल्ली), एएफएस (पालम), चेन्नई और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर आपदा तैयारी अभ्यास/टेबल-टॉप अभ्यास आयोजित किए गए। इन आयोजनों के दौरान एएआई, हवाई अड्डा प्रबंधन, एनडीआरएफ, डीएई, एसडीएमए जैसे संबंधित हितधारकों को भी शामिल किया गया।

(ख) जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए दिल्ली में चिह्नित होटल क्लस्टरों के लिए सीबीआरएनई परिप्रेक्ष्य पर आपदा तैयारी अभ्यास/टेबल-टॉप अभ्यास आयोजित किए गए। इस श्रृंखला में, होटल ताज पैलेस, होटल ली मेरिडियन, होटल लीला के लिए टेबल-टॉप/मॉक अभ्यास आयोजित किए गए। इन आयोजनों के दौरान गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, एनडीआरएफ, एनएसजी, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा होटल प्रशासन आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/हितधारकों ने भाग लिया।

(ग) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के लिए आपदा की तैयारी: जी-20 शिखर सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम आईटीपीओ परिसर के अंदर स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया था, इसलिए आईटीपीओ परिसर के लिए सीबीआरएन के परिप्रेक्ष्य से आपदा तैयारी अभ्यास/टेबल-टॉप अभ्यास भी आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यालय आईडीएस, एनएसजी, आईटीपीओ स्टाफ, दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, डीएई, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जैसे हितधारकों को भी शामिल किया गया था।

एनडीआरएफ द्वारा जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम

6.9 माननीय गृह मंत्री द्वारा समीक्षा

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने 30 जून 2020 को देश की आपदा प्रबंधन (डीएम) से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की और निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए देश के प्रत्येक जिले में तीन वर्षों की अवधि में कम से कम एक बार कृत्रिम अभ्यास आयोजित करने का निदेश दिया।

(1) प्रत्येक जिला आपदा मोचन के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षित टीमों का गठन सुनिश्चित करना।

(2) प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन योजनाओं की क्षमता और उसके तैयारी घटक का परीक्षण करना।

(3) विभिन्न हितधारकों के बीच और अधिक सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना।

6.10 निदेशों के अनुसार, एनडीआरएफ को जिला स्तर पर कृत्रिम अभ्यास आयोजित करने का काम सौंपा गया है। वर्ष 21-2020 से एनडीआरएफ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय एमई इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	कवर किये गये जिले
2020-21	98
2021-22	239
2022-23	331
2023-24	283
2024-25	250 जिलों के लिए योजनान्वयन

6.11 एनडीएमए ने प्रशिक्षण वर्ष 2024-25 के लिए 250 जिलों को कवर करते हुए वार्षिक जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम प्रसारित किए हैं, जिसमें सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एनडीआरएफ के साथ तिथियों का समन्वय करने और सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी के साथ जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास आयोजित करने का निदेश दिया।

आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और नेतृत्व

6.12 एनडीएमए द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) से संबंधित एनडीआरएफ बटालियनों में प्रतिनियुक्ति पर अधिकृत सामान्य ड्यूटी (जीडी) महिला कर्मियों को उपलब्ध करवाने के लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से ठोस प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरुप, कुल 377 जीडी महिला कर्मी एनडीआरएफ में शामिल हो गई हैं।

6.13 प्रमुख घटनाओं के बाद बैठकें/ संक्षिप्त विवरण (डीब्रीफिंग) सत्र

(क) दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए मानसून-पूर्व की स्थिति की समीक्षा के लिए एनडीएमए द्वारा 03 मई 2023 को बैठक आयोजित की गई। इसमें पूर्व चेतावनी एजेंसियों, मोचन एजेंसियों और

बाढ़ संभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के रेजिडेंट आयुक्तों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, एनआरएससी और एनडीआरएफ सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। मुख्यालय आईडीएस और डीएम डिवीजन, गृह मंत्रालय ने भी इस विषय पर इनपुट प्रदान किए। बैठक में एसडीआरएफ, सीडी वालंटियर्स, होमगार्ड, आपदा मित्र, बेहतर समन्वय के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नोडल अधिकारियों के नामांकन, एनडीआरएफ की मानसून-पूर्व तैनाती और सशस्त्र बलों के साथ उन्नत समन्वय के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

(ख) एनडीएमए ने दक्षिण-पश्चिम मानसून की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा के लिए 26 मई 2023 को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों/सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में भी भाग लिया। आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, जीएसआई, एनआरएससी (इसरो), मुख्यालय आईडीएस (रक्षा मंत्रालय), एनआईसी, एमएचए, एनडीआरएफ और कुछ राज्यों सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं, जिसके बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून की तैयारियों और सर्वोत्तम अभ्यासों और सीखे गए सबक को साझा करने के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

(ग) एनडीएमए ने 30 अप्रैल 2023 को लुधियाना, पंजाब में हुई खतरनाक गैस रिसाव की घटना के दौरान उनके द्वारा की गई मोचन गतिविधियों के बारे में 08 मई 2023 को एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन पंजाब, जिला मजिस्ट्रेट लुधियाना और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ एक संक्षिप्त विवरण सत्र आयोजित किया। बैठक के दौरान ऐसी रासायनिक आपात स्थितियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल की क्षमता निर्माण की आवश्यकता, कमियों की पहचान करने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

(घ) देश में बोरवेल/ट्यूबवेल में गिरने से होने वाली जानलेवा घटनाओं की रोकथाम के लिए 12 जून 2023 को गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय जल संसाधन बोर्ड, एनआईडीएम और एनडीआरएफ के साथ बैठक हुई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के महत्व पर विचार-विमर्श किया गया।

(ङ) 02 जून 2023 को हुई बालासोर (ओडिशा) ट्रेन दुर्घटना के बाद, एनडीएमए ने 13 जुलाई 2023 को रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एनआईडीएम, आईडीएस, एनडीआरएफ, आरपीएफ और ओडिशा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक संक्षिप्त विवरण सत्र आयोजित किया। रेल मंत्रालय, एनडीआरएफ और ओडीआरएफ द्वारा मोचन बलों की लामबंदी, पहचानी गई कमियों और उक्त ट्रेन दुर्घटना के दौरान सीखे गए सबक पर प्रस्तुतियां दी गईं।

(च) 04 अक्टूबर 2023 को सिक्किम में आकस्मिक बाढ़ की घटना के बाद, सिक्किम और उत्तर बंगाल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए 06 अक्टूबर 2023 को सीडब्ल्यूसी, आईएमडी, जीएसआई और एनआरएससी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई और आवश्यक राहत उपाय शुरू किए गए।

(छ) 06 दिसंबर 2023 को, एनडीएमए ने तमिलनाडु में चक्रवात के बाद की स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए संबंधित एजेंसियों और राज्य अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई।

एनडीएमए के सदस्यों द्वारा एनपीपी का दौरा

6.14 ऑफ-साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई) के लिए एनडीएमए के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष/सदस्यों द्वारा निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) का दौरा किया गया:-

(क) श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य एनडीएमए ने 02 नवंबर 2023 को एनपीपी, कैगा (कर्नाटक) का दौरा किया।

(ख) लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने 31 अगस्त 2023 को एनपीपी, कलपक्कम और 18 जनवरी 2024 को एनपीपी, रावतभाटा (राजस्थान) का दौरा किया। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध किए जाने के कारण एनपीपी नरोरा का दौरा अंतिम समय में रद्द कर दिया गया।

क्षमता निर्माण के लिए सशस्त्र बलों के साथ सहयोग और आपदा प्रबंधन संसाधनों के इष्टतमीकरण के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ सहभागिता

6.15 सिक्किम में 04 अक्टूबर 2024 को हिमनदीय झील प्रस्फोट जनित बाढ़ (जीएलओएफ) के बाद, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने सिक्किम जीएलओएफ के दौरान सीखे गए सबक में से सशस्त्र बलों की एक परिचालन योजना और आचरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का गहन मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उपरोक्त प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए एनडीएमए ने निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरु की हैं:-

(क) समझौता ज्ञापन: एनडीएमए ने थल युद्ध अध्ययन केंद्र (सीएलएडब्लूएस) और वायु शक्ति अध्ययन केंद्र (सीएपीएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के आधार पर, वर्तमान में एनडीएमए अपने व्यापक मार्गदर्शन में सशस्त्र बलों और आपदा प्रबंधन/आपदा जोखिम समुत्थानशीलता पर प्रायोजित अध्ययनों और कार्यशालाओं/सेमिनारों के संचालन के लिए क्लॉज और सीएपीएस के साथ समझौता ज्ञापनों को अंतिम रुप देने की प्रक्रिया में है।

(ख) त्रि-सेवा अध्ययन समूह: एनडीएमए ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संभावित आपदा और पूर्व चेतावनी तंत्र के पूर्वानुमान, ऐसी आपदाओं के प्रभाव को रोकने/कम करने के उपायों, सशस्त्र बलों की संवेदनशीलता को कम करने के लिए ऐसी आपदाओं के प्रभाव के प्रभावी और समय पर प्रशमन के लिए संसाधनों की आवश्यकता, अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिए तंत्र का प्रस्ताव, राज्य सरकारों द्वारा आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया की योजना और कार्यान्वयन में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों और सीएपीएफ को समावेश/सम्मिलित करने और क्षेत्र विशेष आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ चयनित सशस्त्र बल इकाइयों को सुसज्जित करने और प्रशिक्षण देने पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुख्यालय आईडीएस द्वारा संचालित त्रि-सेवा अध्ययन समूह के लिए एक सदस्य को नामित किया है।

(ग) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के साथ बैठक: एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 14 मार्च 2024 को एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एसएसबी की आवश्यकताओं और प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एसएसबी की 18 बचाव एवं राहत टीमों (आरआरटी) के लिए प्रस्तावित तैनाती स्थानों पर भी चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन संसाधनों और प्रतिक्रिया रणनीतियों को अधिकतम करना था।

वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक एमई कैलेंडर को अंतिम रूप देना:

6.16 प्रशिक्षण वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक कृत्रिम अभ्यास कैलेंडर तैयार करने के लिए 28 फरवरी 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श सम्मेलन आयोजित किए गए। तदनुसार, कृत्रिम अभ्यास कैलेंडर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिया गया है।

अतिरिक्त गतिविधियां

6.17 वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान, एनडीएमए ने विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रदान

किया, जागरूकता अभियान आयोजित किए और विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित कीं। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:-

दिनांक	विषय/कार्यक्रम
24 अप्रैल 2023	विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित क्वाड परिणाम प्रबंधन अभ्यास के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।
20 और 21 जुलाई 2023	नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा ओवरनाइट कमेटी (सीवीओसी) द्वारा आयोजित 'सम्मेलन और कृत्रिम अभ्यास' में भाग लिया।
30-31 अगस्त 2023	मुख्यालय 17 कोर, पानागढ़ (पश्चिम बंगाल) द्वारा आयोजित 'क्षेत्रीय एचएडीआर कॉन्क्लेव/टीटीएक्स' में भाग लिया।
12 अक्तूबर 2023	कोलकाता में आयोजित 'राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव (एनएमएसएआर)' बोर्ड की बैठक में भाग लिया।
22 नवंबर 2023	भूकंप की तैयारियों पर दिल्ली की एनसीटी सरकार के साथ बैठक आयोजित की गई।
24-25 नवंबर 2023	गुजरात के वाडिनार में आयोजित '09वें राष्ट्र स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास (NATPOLREX-IX)' में भाग लिया।
15 और 18 जनवरी 2024	नई दिल्ली के होटल ताज मान सिंह में एनएसजी द्वारा आयोजित टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीईएक्स) और डर्टी बम परिदृश्य पर एमई में भाग लिया।

6.18 **सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार:** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में "सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार (SCBAPP)" की परिकल्पना की गई थी। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तिगत और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष 'व्यक्तिगत/संस्थाओं' को दिया जाता है। इसके क्षेत्र रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, बचाव, मोचन, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/नवाचार और पूर्व चेतावनी हैं। वर्ष 2024 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी के तहत 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल, उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है।

जागरूकता सृजन

6.19 लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में, जनसंपर्क एवं जागरूकता सृजन (पीआरएंडएजी) प्रभाग पूरे वर्ष में समय-समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता पहल करता है। इसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी समाज के लिए जनता के साथ-साथ सभी हितधारकों को सूचित, शिक्षित और संवाद करके एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना है। ये जागरूकता अभियान टीवी, रेडियो, प्रिंट, कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शनियों, सोशल मीडिया आदि जैसे माध्यमों से चलाए जाते हैं। जागरूकता अभियानों के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

क) किसी भी आसन्न आपदा (भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, आंधी-तूफान और आकाशीय आकाशीय बिजली, आदि) के लिए नागरिकों को तैयार करना।

ख) नुकसान को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए विभिन्न रोकथाम और प्रशमन उपायों पर लोगों को सूचित और शिक्षित करना।

6.20 वर्ष 202324- के दौरान (01/04/2023 से 31/03/2024 तक) निम्नलिखित जागरूकता अभियान चलाए गए

श्रव्य-दृश्य अभियान

6.21 दूरदर्शन और आकाशवाणी के नेटवर्क के माध्यम से चक्रवात, आंधी तूफान और आकाशीय बिजली तथा लू जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ऑडियो-वीडियो स्पॉट प्रसारित किए गए। आपदाओं से संबंधित क्या करें और क्या न करें वाले कई स्पॉट संबंधित आपदा संभावित क्षेत्रों में चलाए गए। वर्ष के दौरान चलाए गए अभियानों का विवरण इस प्रकार है:

आपदा/खतरा	दूरदर्शन	ऑल इंडिया रेडियो
चक्रवात	7 दिन, 12/05/2023 से 18/05/2023 तक	7 दिन,12/05/2023 से 18/05/2023 तक
आंधी तूफान और तड़ित	10 दिन, 22/06/2023 से 01/07/2023 तक	7 दिन,22/06/2023 से 28/06/2023 तक
लू	7 दिन, 08/03/2024 से 14/03/2024 तक	7 दिन,08/03/2024 से 14/03/2024 तक

6.22 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार (एससीबीएपीपी) का प्रचार-प्रसार: आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश में व्यक्तिगत और संस्थाओं द्वारा किए गए निस्वार्थ और उत्कृष्ट कार्यों को सम्मान देने के लिए एक पुरस्कार अर्थात् सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार (एससीबीएपीपी) जो आमतौर पर हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है, को अंतिम तिथि 31.8.2023 तक नामांकन प्राप्त करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में 01/07/2023 को विज्ञापित किया गया था। 30.9.2023 तक अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए 01.09.2023 को विज्ञापन फिर से जारी किया गया। अधिकतम नामांकन/आवेदन प्राप्त करने के व्यापक प्रचार के लिए, सोशल मीडिया पर गहन और निरंतर अभियान चलाया गया और डीडी न्यूज और क्षेत्रीय चैनलों पर एनडीएमए का 'आपदा का सामना' कार्यक्रम के दौरान टीवी पर रचनात्मक ऑडियो वीडियो का विज्ञापन दिखाया गया।

6.23 "आपदा का सामना" दूरदर्शन पर पैनल चर्चा/टॉक शो का एक विशेष कार्यक्रम: लागों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए, एनडीएमए ने डीडी न्यूज़ पर प्रासंगिक आपदा/विषय पर विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ चर्चा/वार्ता के रूप में एक विशेष कार्यक्रम चलाया है जिसका शीर्षक है "आपदा का सामना"। इस कार्यक्रम के दो एपिसोड आमतौर पर एक महीने में रिकॉर्ड किए जाते हैं और प्रसारित किए जाते हैं। एपिसोड आमतौर पर रविवार को डीडी न्यूज़ पर प्रसारित किए जाते हैं और अगले शनिवार को संबंधित भाषाओं में डीडी के क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से पुनः प्रसारित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान कुल 17 एपिसोड प्रसारित और पुनः प्रसारित किए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	एपिसोड	प्रसारण की तिथि	पुनः प्रसारण की तिथि
1	लू	16 अप्रैल 2023	22 अप्रैल 2023
2	चक्रवात	7 मई 2023	13 मई 2023
3	वनाग्नि	21 मई 2023	27 मई 2023
4	आंधी तूफान और आकाशीय बिजली	28 मई 2023	03 जून 2023
5	बाढ़	11 जून 2023	17 जून 2023
6	भूस्खलन	25 जून 2023	01 जुलाई 2023

क्र.सं	एपिसोड	प्रसारण की तिथि	पुनः प्रसारण की तिथि
7	शहरी बाढ़	09 जुलाई 2023	15 जुलाई 2023
8	सामुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	23 जुलाई 2023	29 जुलाई 2023
9	अग्नि सुरक्षा	27 अगस्त 2023	16 सितंबर 2023
10	भूकंप	6 सितंबर 2023	9 सितंबर 2023
11	आपदा प्रशमन के लिए एक भविष्य दृष्टि	24 सितंबर 2023	26 सितंबर 2023
12	हिमनदीय झील प्रस्फोट जनित बाढ़ (जीएलओएफ)	5 नवंबर 2023	2 दिसंबर 2023
13	चक्रवात	10 दिसंबर 2023	10 फरवरी 2024
14	अस्पताल तैयारी	24 दिसंबर 2023	3 फरवरी 2024
15	हिमस्खलन	7 जनवरी 2024	27 जनवरी 2024
16	लू	10 मार्च 2024	16 मार्च 2024
17	भूकंप	17 मार्च 2024	23 मार्च 2024

एनडीएमए के डिजिटल न्यूज़ लेटर्स:

6.24 एनडीएमए द्वारा सरकार के ई-संपर्क नेटवर्क और विभिन्न हितधारकों के ई-मेल और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से "आपदा संवाद" नामक एक डिजिटल मासिक समाचार पत्र जारी किया जाता है। समाचार पत्र में हितधारकों के साथ एनडीएमए की प्रमुख गतिविधियाँ और जुड़ाव, मुद्दे से संबंधित विषय पर विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेख/पत्र, क्या करें और क्या न करें, प्रासंगिक विषय पर लघु वीडियो सहित आईईसी सामग्री आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान जारी किए गए समाचार पत्रों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	मास	विषय
1.	अप्रैल 2023	लू
2.	मई 2023	वनाग्नि
3.	जून 2023	चक्रवात
4.	जुलाई 2023	बाढ़ और भूस्खलन
5.	अगस्त 2023	बाढ़
6.	सितंबर 2023	स्थापना दिवस विशिष्ट
7.	अक्तूबर 2023	भूस्खलन
8.	नवंबर 2023	चक्रवात और भूस्खलन
9.	दिसंबर 2023	शीत लहर

सोशल मीडिया अभियान

6.25 टीवी और रेडियो पर जागरूकता अभियानों के अलावा, आपदाओं से पहले, उसके दौरान और आपदाओं के बाद रोकथाम, प्रशमन और तैयारियों से संबंधित जागरूकता अभियान भी पूरे साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाए गए, जिसमें गर्मी का मुकाबला, लू, भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, आकाशीय बिजली से सुरक्षा, शीत लहर, हिमस्खलन आदि जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया। समय-समय पर एनडीएमए के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या करें और क्या न करें, पर प्रकाश डालने वाली रचनात्मक सोशल मीडिया और लघु फिल्में साझा की गईं।

सोशल मीडिया अकाउंट आंकड़े:

6.26 एनडीएमए की X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पर भी उपस्थिति दर्ज है। एनडीएमए हैंडल के फॉलोअर्स की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। 31.3.2024 तक इन हैंडल के फॉलोअर्स की संख्या इस प्रकार है:

- X : 417 हजार
- फेसबुक : 304 हजार

- इंस्टाग्राम : 3 हजार
- यूट्यूब सब्सक्राइबर : 9.35 हजार

एनडीएमए के 19वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन

6.27 एनडीएमए का 19वां स्थापना दिवस 27.9.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'आपदा न्यूनीकरण के लिए दूरदृष्टि' थीम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। तकनीकी सत्रों के दौरान, i) भूस्खलन प्रशमन और राष्ट्रीय भूस्खलन प्रशमन कार्यक्रम और ii) आपदा प्रबंधन में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, तीन राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और केरल ने भूस्खलन प्रशमन और राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन पर अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रक्रिया को साझा किया। दूरसंचार विभाग, मेटा इंडिया, गूगल इंडिया और एलेना जियो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने तकनीकी सत्र के दूसरे भाग में आपदा प्रबंधन में उभरती प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। मेटा इंडिया के प्रतिनिधि ने उभरते रुझानों की भूमिका और आपदा प्रबंधन में उनके अनुप्रयोग पर प्रस्तुति दी, गूगल इंडिया के प्रतिनिधि ने आपदा प्रबंधन के लिए एंड्रॉयड भूकंप अलर्ट और गूगल की अन्य पहलों पर प्रस्तुति दी। एलेना जियो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने आपदा प्रबंधन के लिए नेविक सिस्टम पर प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर निम्नलिखित वीडियो/दस्तावेज लॉन्च किए गए:

(i) एक लघु वीडियो: आपदा मित्र योजना का विस्तार: मुख्य अतिथि ने आपदा मित्र योजना के विस्तार को प्रदर्शित करने वाले एक वीडियो का अनावरण किया। अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाते हुए, आपदा मित्र योजना, स्वैच्छिकता की भावना पर आधारित भारत सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है, जो आपदाओं के दौरान सबसे पहले मोचन करने वालों को सशक्त बनाती है। वीडियो अनावरण का उद्देश्य योजना के सफल कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना और आपदा मित्र स्वयंसेवकों की अटूट प्रतिबद्धता, साहस और निस्वार्थता को पहचानना।

(ii) आपदा मित्र: मुख्य अवधारणा और उपलब्धि: मुख्य अतिथि और मंच पर उपस्थित गणमान्यजनों ने इस अवसर पर आपदा मित्र योजना के विस्तार पर एक पुस्तिका का विमोचन किया। आपदा मित्र योजना, एक परिवर्तनकारी पहल है जिसे देश भर में एक लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिसने भारत के समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। दूरदर्शी नेतृत्व और व्यापक प्रशिक्षण, स्वयंसेवकों को पेशेवर आपातकालीन मोचन किट और चिकित्सा बीमा प्रदान करने के साथ, इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(iii) आपदाओं में मनोसामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण मॉड्यूल: एक और अग्रणी पहल में, एनडीएमए ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर मनोसामाजिक देखभाल प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए। मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा, आपदाओं में मनोसामाजिक देखभाल, मनोसामाजिक तैयारी और आपदा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को कवर करते हुए, ये महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल व्यापक आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए के समर्पण को रेखांकित करते हैं। इस अवसर पर प्रशिक्षण मॉड्यूल के चार खंड लॉन्च किए गए।

(iv) अस्पताल आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल: समग्र दृष्टिकोण के महत्व को स्वीकार करते हुए, एनडीएमए ने अस्पताल आपदा प्रबंधन (एचडीएम) के लिए मॉड्यूल पेश किए हैं। ये मॉड्यूल अस्पताल सेटिंग के भीतर विभिन्न हितधारकों की समस्याओं को हल करते हैं, उन्हें बहु-खतरे और अंतर्विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाते हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल के पांच खंडों में बुनियादी, मध्यवर्ती, उन्नत और मूल्यांकनकर्ता घटक शामिल हैं।

(v) पारंपरिक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण पद्धतियों पर संग्रह: पारंपरिक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण पद्धतियों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए, एनडीएमए ने इस अवसर पर एक संग्रह जारी किया। यह बहुमूल्य संसाधन भूकंपीय घटनाओं के दौरान संरचनाओं के प्रतिरोधकता में योगदान देने वाले पारंपरिक ज्ञान को समाहित करता है। यह संग्रह आपदा प्रतिरोधी में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए NDMA की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

Mygov गतिविधियों की घोषणा और क्विज़ के विजेताओं का सम्मान:

देश भर में आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, एनडीएमए ने 22 अगस्त, 2023 से 21 सितंबर, 2023 तक Mygov प्लेटफॉर्म पर जागरूकता और प्रचार गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की। Mygov पर आयोजित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार था:

i. **शपथ: कार्रवाई में जिम्मेदार नागरिक; आपदा तैयारी के लिए हमारा वायदा:** NDMA ने नागरिकों को आपदा तैयारी के लिए वायदा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

ii. इस शपथ के साथ-साथ **"प्रीपेयर टू प्रिवेल: डिजास्टर आईक्यू टेस्ट, टेस्ट योर प्रिपेयरनेस स्किल्स" शीर्षक** से एक क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों की तैयारी कौशल का परीक्षण किया गया।

iii. **कलात्मक तैयारी पोस्टर प्रतियोगिता:** NDMA ने आपदा तैयारी, समुत्थानशीलता और प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पोस्टर-मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की। इस गतिविधि का उद्देश्य प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए अपनी रचनात्मकता और कहानी कहने के दृश्यात्मक कौशल को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना था। विजेताओं के चयन के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता की प्रविष्टियों की जांच की गई।

इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भागीदारी हुई तथा लगभग 20,000 व्यक्तियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

क्विज़ प्रतियोगिता के विजेता: क्विज़ प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभागियों के आपदा की तैयारी, मोचन और बचाव के ज्ञान को चुनौती देना था। क्विज़ प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा एनडीएमए की एक पुस्तक और स्मृति चिह्न भेंट करके सम्मानित किया गया:

- **प्रथम स्थान (चैंपियन):** श्री मनोज कुमार, जो वर्तमान में इग्नू से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स कर रहे हैं और नई दिल्ली में नेहरू युवा केंद्र (NYK) के स्वयंसेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, क्विज़ प्रतियोगिता के चैंपियन के रूप में उभरे। उनका उत्कृष्ट ज्ञान और समर्पण वास्तव में सराहनीय था।

  क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम स्थान के लिए 5,000 रुपये, दूसरे स्थान के लिए 3,000 रुपये तथा तीसरे स्थान के लिए 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार बाद में उनके बैंक खातों में जमा किया गया।

- **दूसरा स्थान:** डीएवी सेंटेनरी स्कूल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली की कक्षा 10 की छात्रा अनुष्का सेनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपदा से संबंधित विषयों में उनकी उल्लेखनीय विशेषज्ञता ने उन्हें यह सम्मान दिलाया।

- **तीसरा स्थान:** हरियाणा के झज्जर से कक्षा 9 के छात्र श्री विदित कुमार ने आपदा प्रबंधन अवधारणाओं पर असाधारण पकड़ दिखाई। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्कूल की परीक्षा छोड़ कर अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया।

उद्घाटनकर्ता : श्री सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, रेजिडेंट कमिश्नरों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के के.स.पु.ब. (सीएपीएफ) के महानिदेशकों, एसडीएमए, संबंधित संगठनों और प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकों के **450** से अधिक प्रतिभागियों ने स्थापना दिवस में भाग लिया।

भारत सरकार
National Disaster Management Authority
Government of India
27th September, 2023
Vigyan Bhawan, New Delhi

विषय / Theme
आपदा प्रशमन की दूरदृष्टि
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार
HITESH KUMAR S MAKWANA
KRISHNA S VATSA
RAJENDRA SINGH
SUMAN BERY
KAMAL KISHORE

SECRETARIES

6.28 कार्यक्रम/प्रदर्शनी: एनडीएमए ने 15.1.2024 को विज्ञान भवन में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा अपनी 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी में एनडीएमए की आईईसी सामग्री, दिशा-निर्देश, पॉकेटबुक, स्टैंडीज़ आदि प्रदर्शित किए गए।

6.29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संवाद: एनडीएमए ने लोगों में जागरूकता सृजन करने के लिए चक्रवात, बाढ़, आकाशीय बिजली, लू, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, शीत लहर और शहरी बाढ़ आपदाओं पर 160 से अधिक लघु फिल्में बनाई हैं। इन फिल्मों को एनडीएमए की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के अलावा, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया कि वे समय-समय पर अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता सृजन करने के लिए इन फिल्मों का उपयोग करें।

तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अर्थात आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी), 2019 का अनुसूचित क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना था। संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे इन दस्तावेज़ों का अपनी-अपनी अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद करवाएँ और उन्हें आम जनता और अन्य हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर डालें। चार राज्यों अर्थात गुजरात, सिक्किम, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर ने यह कार्य पूरा कर लिया है। शेष राज्यों में तेजी लाने के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

6.30 आईईसी सामग्री: एनडीएमए के पास जागरूकता सृजन करने के लिए कई छोटे वीडियो स्पॉट, एनीमेशन फिल्में, सांकेतिक भाषा के वीडियो हैं। ये सामग्रियाँ एनडीएमए की वेबसाइट के साथ-साथ एनडीएमए के यूट्यूब चैनल 'भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' पर जागरूकता सृजन करने के लिए उपलब्ध हैं। इन सामग्रियों का इस्तेमाल एनडीएमए द्वारा समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर किया जा रहा है।

6.31 ऊपर बताए गए जागरूकता सृजन कार्यों ने निश्चित रूप से देश के लोगों को जीवन और आजीविका बचाने में मदद की है। यह सराहनीय है कि एनडीएमए के सोशल मीडिया अकाउंट अर्थात् ट्विटर के फॉलोअर्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस प्रकार, एनडीएमए की आईईसी गतिविधियाँ लोगों और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता सृजन करने में बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं।

अध्याय-7

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

7.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग शामिल हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं-(i) नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, जागरूकता सृजन और क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन तथा समन्वय प्रभाग और (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, क्षमता-निर्माण एवं प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन प्रभाग

7.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों के निर्माण और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता-निर्माण एवं जागरूकता से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण है। यह प्रभाग क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यकलाप तथा परियोजनाओं का संचालन करता है।

7.3 जनसंपर्क और जागरूकता सृजन इस प्रभाग का एक अन्य प्रमुख कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा निपटाया जाने वाला एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में लिया है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर लोगों के मन में बैठाई जाए। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा बनाने के साथ-साथ निष्पादन का भी काम करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारी (स्टाफ) की संख्या 20 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), चार संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), एक अनुभाग अधिकारी तथा दस सहायक स्टाफ शामिल हैं।

प्रशमन प्रभाग

7.4 इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों में केंद्रीय सरकार और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं (चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों जैसे खतरे और अबाधित संचार व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी योजना आदि) का काम करना शामिल है। यह माइक्रोजोनेशन, विश्लेषण संवेदनशीलता आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा निगरानी (मॉनिटर) भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 14 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और नौ सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

7.5 आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए एन.डी.एम.ए. को सदैव तैयार रहना आवश्यक है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण अद्यतन रहना अनिवार्य

है। इसके लिए एन.डी.एम.ए. के पास एक प्रचालन केंद्र है जो एनडीएमए के अधिकारियों की आपदा विशिष्ट सूचना और डाटा इनपुट्स प्रदान करता है । यह प्रभाग किसी आपदा के मोचन चरण के दौरान सभी हितधारकों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। देश के प्रथम मोचकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता-निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका है। केंद्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों तथा सीएपीएफ समेत सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राज्य तथा बहु-राज्य स्तर के कृत्रिम अभ्यासों का संचालन करता है। आईआरएस पर प्रशिक्षण समेत प्रशिक्षण कार्यकलापों से संबंधित आपदा प्रबंधन के कार्य तथा देश में शीर्ष संस्थानों में जागरुकता बढ़ाना भी इस प्रभाग के काम में शामिल है। इसके अलावा, यह प्रभाग पुनर्वास तथा पुनर्बहाली से जुड़े कार्यों से भी निकटता से जुड़ा रहता है। यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की संकट प्रबंधन योजनाओं की जांच करता है।

7.6 यह प्रभाग एनडीएमए के लिए संचार तथा आईटी से संबंधित समाधानों को लागू करता है। संचार, आईटी, जीआईएस के क्षेत्र में यह सभी केंद्रीय तथा राज्य के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देता है तथा उनकी क्षमता-निर्माण में मदद करता है। इस प्रभाग की कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 15 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और सात सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

7.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यकलापों में मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों के साथ व्यापक संयोजन (इंटरफेस) रखना शामिल है। यह प्रभाग सभी स्तरों पर एनडीएमए के सदस्यों और कर्मचारियों को प्रशासनिक और साजो-सामान संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 22 है, जिनमें संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव, एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो अनुभाग अधिकारी और 15 सहायक स्टाफ हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

7.8 खातों के रखरखाव, बजट की तैयारी, प्रस्तावों की वित्तीय जांच आदि से संबंधित कार्य वित्त एवं लेखा प्रभाग देखता है। यह प्रभाग व्यय की स्थिति की निगरानी भी करता है और अपनी प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर एनडीएमए को सलाह देता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ 8 है, जिसमें एक वित्तीय सलाहकार (जेएस स्तर), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (यूएस स्तर), एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) और 2 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। इसके कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण इस प्रकार है:

- प्रदत्त शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर एनडीएमए को सलाह देना।
- योजनाओं और महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के प्रारंभिक चरण से ही उनके निर्माण में बारीकी से सहयोग करना।
- लेखापरीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ को बारीकी से देखना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पीएसी) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्ट और विवरणी समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करना।
- एनडीएमए के बजट की तैयारी और निगरानी

7.9 एनडीएमए के खातों का रखरखाव मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), गृह मंत्रालय के कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा एनडीएमए के लिए भुगतान और आय कार्यों का प्रबंधन भी सीसीए, गृह मंत्रालय की देखरेख में वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), एनडीएमए द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजट:

अप्रैल 2023 से मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए योजना-वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	बजट अनुमान 2023-24	संशोधित अनुमान 2023-24 (अंतिम)	31.03.2024 तक व्यय
विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी)	**110.00**	**2.43**	**2.35**
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं - (ओडीएमपी)	**16.39**	**8.28**	**8.17**
स्थापना शुल्क	**61.84**	**58.78**	**42.82**
आपदा समुत्थानशील अवसंरचना सोसायटी गठबंधन (सीडीआरआई)	**50.00**	**50.00**	**50.00**

अनुदान संख्या 49 गृह मंत्रालय (आंकड़े करोड़ में)				
मुख्य शीर्ष	योजना	बजट अनुमान 23-24	संशोधित अनुमान (अंतिम) 23-24	दिनांक 31.3.2023 तक व्यय
2245	ओडीएमपी	6.03	1.62	1.51
3601	ओडीएमपी (राज्य सरकार को जारी)	10.00	6.39	6.39
3602	केंद्र शासित प्रदेश को रिलीज (w/o Legis)	0.36	0.27	0.27
कुल (क)		**16.39**	**8.28**	**8.17**
2245	**एनसीआरएमपी (अनुमानित प्रभार)**	11.00	2.43	2.35
3601	**एनसीआरएमपी (जीआईए)**	99.00	0	0
कुल (ख)		**110.00**	**2.43**	**2.35**
2245	**स्थापना प्रभार**	61.84	58.78	42.82
	कुल (ग)	**101.08**	**61.19**	**45.23**
2245	सीडीआरआई स्थापना प्रभार	50.00	50.00	50.00
	कुल (घ)	**50.00**	**50.00**	**50.00**
सकल योग एनडीएमए		**277.47**	**121.90**	**105.75**

अनुलग्नक-I

एनडीएमए की संरचना

वर्तमान रचना

1.	भारत के माननीय प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	**श्री कमल किशोर**	**सदस्य (16.02.2015 से)** **विभागाध्यक्ष (01.10.2021 से 19.05.2024 तक)**
3.	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बीएआर	सदस्य (21.02.2020 से)
4.	श्री राजेंद्र सिंह	सदस्य (20.02.2020 से)
5.	श्री कृष्ण स्वरुप वत्स	सदस्य (04.05.2020 से)

पूर्व सदस्य

1.	जनरल एनसी विज	उपाध्यक्ष (28.9.2005 से 27.9.2010 तक)
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014 तक) सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010 तक) सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
3.	लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) जेआर भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
4.	डॉ. मोहन कांडा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
5.	प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
6.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
7.	श्री केएम सिंह	सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
8.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)
9.	श्री जेके सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014 तक) सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012 तक)
10.	श्री टी. नंदकुमार	सदस्य (8.10.2010 से 28.2.2014 तक)
11.	श्री वीके दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013 तक)
12.	मेजर जनरल जेके बंसल	सदस्य (6.10.2010 से 11.07.2014 तक)
13.	मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015 तक)
14.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014 तक)

15.	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014 तक)
16.	श्री केएन श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014 तक)
17.	श्री आर.के. जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015 तक) सदस्य (01.12.2015 से 30.11.2018 तक)
18.	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनसी मारवाह , पीवीएसएम, एवीएसएम	सदस्य (30.12.2014 से 29.12.2019 तक)
19.	डॉ. डीएन शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से 18.01.2020 तक)

अनुलग्नक-II

एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	श्री कमल किशोर, सदस्य (16.02.2015 से) एवं विभागाध्यक्ष (01.10.2021 से 19.05.2024 तक)
2.	श्री आलोक, अपर सचिव (23.01.2023 से 09.01.2024 तक)
3.	श्री हर्ष गुप्ता, परियोजना निदेशक, एनसीआरएमपी (28.04.2022 से 08.01.2024 तक)
4.	श्री कुणाल सत्यार्थी, सलाहकार (नीति एवं योजना) (24.09.2021 से 18.03.2024 तक)
5.	सुश्री श्रेयसी चौधरी, संयुक्त सचिव (17.01.2020 से)
6.	श्री रविनेश कुमार, वित्तीय सलाहकार (10.10.2017 से 09.10.2024 तक)
7.	कर्नल के. पी. सिंह, सलाहकार (प्रचालन) (12.09.2022 से)

Printed & Designed By:
Creative Offset Press : #91364 34848